रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226336
CG-DL-E-01042021-226336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 242(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 के उपनियम (1) में,--

(क) आरंभिक भाग में “2020” अंकों के स्थान पर, “2021” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) के, परंतुक में,-

(i) उपखंड (v) में, शब्द "या" का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(vii) एक व्यक्ति है, जिसके मामले में धारा 194ढ के अधीन कर की कटौती की गई है, या

(viii) एक व्यक्ति है, जिसके मामले में कर के भुगतान या कटौती को धारा 191 की उपधारा (2) या 192 की उपधारा (1ग) के अधीन आस्थगित किया गया है;";

(ग) खंड (गक) के परंतुक के, उपखंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड को

अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(vi) जिसके पास धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय है जिस पर धारा 191 की उपधारा (2) या

192 की उपधारा (1ग) के अधीन कर संदेय या कटौती योग्य है, जैसा भी मामला हो;."

3. मूल नियमों के परिशिष्ट (II) में, "प्ररूप सहज आईटीआर-1, "प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप सुगम आईटीआर-4, प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर-V के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"आ.क.वि.- 1 सहज	**भारतीय आयकर विवरणी** [ऐसे व्यष्टिकों के लिए, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से और कृषि से पचास लाख रुपए तक आय है] [किसी व्यष्टि के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो, यदि इएसओपी में आयकर भिन्न है।] **(पात्रता के लिएअनुदेश देखें)**	**निर्धारण वर्ष** 2 0 2 1 - 2 2

भाग क - साधारण जानकारी

स्थायी लेखा संख्या	**नाम**	जन्म की तारीख दि दि मा मा व व व व	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी (*28* अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)
मोबाइल नं0	**ई-मेलपता**		**पता:** फ्लैट / द्वार /ब्लाक सं.परिसर / भवन / ग्राममार्ग / गली /डाकघर क्षेत्र/ अवस्थान नगर/ शहर/ जिला राज्य देश पिनकोड

धारा के अधीन फाइल*(चिह्न लगाएं)* *[कृपया अनुदेश देखें]*	☐139(1)- **नियत तारीख को या इससे पूर्व,** ☐ 139(4)- विलंबित, ☐139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 119(2)(ख)-विलंब को माफ करने के पश्चात्	रोजगार की प्रकृति- ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ पेंशनभोगी ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)
या धारा ..... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9) , ☐ 142(1) , ☐148	
यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन /मास /वर्ष*)*		/ /
यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है — यूनिक संख्या /दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।		/ /

क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? · हां · नहीं

क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं ☐ हां ☐ नहीं
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें
[नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]

क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)

भाग ख- सकल कुल आय केवल संपूर्ण रुपए (₹) में

ख1	i	सकल वेतन (**i**क + **i**ख + **i**ग)				i	
वेतन/पेंशन		क	धारा **17(1)** के अनुसार वेतन	**i**क			
		ख	धारा **17(2)** के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	**i**ख			
		ग	धारा **17(3)** के अनुसार वेतन के बदले लाभ	**i**ग			
	ii	धारा **10**के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता *(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)* [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]				ii	
	iii	शुद्ध वेतन (**ii – iii**)				iii	
	iv	धारा 16 केअधीनकटौतियां(**iv**क + **iv**ख+ **iv**ग)				iv	
		क	धारा **16(i**क) के अधीन मानक कटौती	**iv**क			
		ख	धारा **16(ii)**के अधीन मनोरंजन भत्ता	**iv**ख			
		ग	धारा **16(iii)**के अधीन वृत्तिक कर	**iv**ग			
	V	'वेतन'शीर्षकेअधीनप्रभार्यआय (**iii - iv**)				ख1	
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं☐स्व:अधिभोग ☐किराए पर☐किराए पर समझी गई						
गृह संपत्ति	I	वर्ष के दौरान प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराए का मूल्य				i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		ii			
	iii	वार्षिकमूल्य(**i + ii**)				iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत		iv			
	V	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		v			
	vi	बकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30**%**		vi			
	vii	'गृह संपत्ति'शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (**iii – iv - v**) + **vi**				ख2	
ख3	**अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते ,जमा आदि से ब्याज ई-फाईलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।)**						
	घटा : धारा **57(ii**क) के अधीन कटौती *(केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)*					ख3	
ख4	**सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3)***(यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें)* नोट: क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें					ख4	

भाग ग – कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित की गई थी।

80ग	80गगग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80घ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	80घघ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	80घघख(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	80ङ	80ङङ

80 ङङक	80ङङख	80छ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	80छछ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	80छछक(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरेंभरे जाएं)	80छछग	80ननक	80ननख	80प(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)

कुलकटौतियां	ग1	कुलआय(ख4 -ग1)	ग2

रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण – यदि कृषि आय 5000/- रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है)	छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें

भाग घ –संदेय कर की संगणना

घ 1	कुल आय पर संदेय कर		घ 2	धारा 8 7क के अधीन छूट		घ 3	रिबेट के पश्चात् कर	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर		घ 5	कुल कर और उपकर		घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ङ को भरना सुनिश्चित करें।)	
घ 7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ 8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ 9	धारा 234ग के अधीन	
घ 10	धारा 234च के अधीन फीस		घ 11	कुल कर , फीस और ब्याज(घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 – घ6)				
घ 12	कुल संदत्त कर		घ 13	कुल संदेय(घ11 –घ12)(यदिघ11 >घ12)		घ 14	प्रतिदाय(घ12 – घ11)(यदिघ12 >घ11)	

भाग ङ–अन्य जानकारी- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रमसं	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
I				

1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

अनुसूची-आयकर आय- करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआरकोड (स्तंभ i)	निक्षेप की तारीख(तारीख/मास/वर्ष) (स्तंभ ii)	चालानसं. (स्तंभ iii)	संदत्तकर (स्तंभ iv)
आर 1				
आर 2				

अनुसूची –स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]

	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पेन/ आधार सं.	कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5)में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी1						
टी2						

स्टांप रसीद सं. प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर	मैं, ...पुत्र / पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है । मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह विवरणी ..... (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूं और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं । मेरा स्थायी लेखा संख्यांक ..... है (कृपया अनुदेश देखें) । तारीख: हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है , तो और ब्यौरे नीचे दें :

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्ररूप आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखे)	निर्धारण वर्ष 2 0 2 1 - 2 2

भाग क- साधारण *साधारण*

व्यक्तिगत सूचना प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम स्थायी लेखा सं. (पैन)

प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)

फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / गांव का नाम	*प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
मार्ग / गली / डाकघर	*जन्म तिथि* / गठन / *(तिथि / मास / वर्ष)* / /	
क्षेत्र / अवस्थान	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)	
नगर / शहर / जिला	राज्य देश	पिन कोड / जिप कोड
निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. १		मोबाइल नं० २
ई मेल पता -१ (स्वयं का)		ई मेल पता -२

प्रस्थत पइल करन

(क1)	धारा के अधीन दाखिल *(सही का निशान लगाएं) झ्कृपया अनुदेश देखिए ट*	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ १३९(४)- विलंबित, ☐१३९(५)- पुनरीक्षित, ☐९२गघ-उपांतरित विवरणा ☐ 119(2)(JÉ)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्
	या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153BÉE, ☐153MÉ
(क2)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? ☐ हां ☐ नहीं	
(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]	
(खा)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)

(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। *(तिथि / मास / वर्ष)*		/ /
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर)	/ /

(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति(व्यष्ठि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)	अ. निवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] ☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे है [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है]
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	☐ आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे है [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे है [धारा 6(6)(क)]
		इ. अनिवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करे -

क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)
1		
2		

(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करे -

पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)

	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)	ई. ☐ निवासी ☐ निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं ☐ अनिवासी
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते है (निवासी की दशा में लागू)	☐ हां ☐ नहीं

(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाए) ☑ ☐ हां ☐ **नहीं** (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)	
(ज)	**क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? *(√)*☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -**	
	(1)	**प्रतिनिधि का नाम**
	(2)	**प्रतिनिधि की क्षमता** (*ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)*
	(3)	**प्रतिनिधि का पता**
	(4)	**प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/** आधार

(झ)	**क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ?** *(*सही का निशान लगाये*)* ☑ ☐ हां ☐ **नहीं** **यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -**				
	कंपनी का नाम	**कंपनी का प्रकार**	**पेन**	**क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध**	**निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)**
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			

(ञ)	**क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ?** *(*सही का निशान लगाये) ☑ ☐ हां ☐ **नहीं** **यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे**													
	कंपनी का नाम	**कंपनी का प्रकार**	**पेन**	**आरंभिक अधिशेष**		**वर्ष के दौरान अर्जित शेयर**					**वर्ष के दौरान अंतरित शेयर**		**अंतिम अधिशेष**	
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		**शेयरों की संख्या**	**अर्जन की लागत**	**शेयरों की संख्या**	**अभिदान/क्रय की तारीख**	**प्रति शेयर अंकित मुल्य**	**प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)**	**प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)**	**शेयरों की संख्या**	**विक्रय प्रतिफल**	**शेयरों की संख्या**	**अर्जन की लागत**
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन **वेतन से आय का ब्यौरा**

नियोजक का नाम	नियोक्त की प्रकृति *(टिक)* ☑ (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		नियोजक का टेन *(आज्ञापक यदि कर काटा गया है)*
नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य	**पिन कोड** / जिप कोड

वेतन

1	सकल वेतन **(1क + 1ख + 1ग)**		1	
	क धारा **17(1)** के अनुसार वेतन (***ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)***	1क		
	ख धारा **17(2)** के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (***ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)***	1ख		
	ग धारा **17(3)** के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (***ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)***	1ग		
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोडे)			
2	कुल सकल वेतन *(सभी नियोजकों से)*		2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ***ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)*** *(कृपया अनुदेश देंखे)* (नोटः यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3	
4	कुल वेतन **(2 - 3)**		4	
5	**धारा 16 के अधीन कटोतियां (5क + 5ख + 5ग)**		5	
	क धारा **16(i**क**)** के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख धारा **16(ii)** के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग धारा **16(iii)** के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	**'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 – 5)**		6	

अनुसूची गृह संपत्ति **गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा** *(कृपया अनुदेशों को देखें)*

1	**संपत्ति 1 का पता**	**नगर / शहर**	**राज्य**	**पिन कोड** / जिप कोड

गृह संपत्ति

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ **(यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)**

संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	***सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.***	**संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता**
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य		1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
ग	**स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर**	1ग		
घ	**योग (1ख + 1ग)**	1घ		
ङ	**वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है**		1ङ	
च	**स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)**		1च	
छ	**1च का 30%**	1छ		
ज	**उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज**	1ज		
झ	**योग (1छ + 2ज)**		1झ	
ञ	वर्ष के दौरान **30%** से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		1ञ	
ट	**गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)**		1ट	

2	**संपत्ति 2 का पता**	नगर / शहर	राज्य	**पिन कोड** / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं **(यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)**

संपत्ति ***में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)***

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	***सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या***	**संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता**
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] ***(सही का निशान लगाएं)*** ☑	**किराएदार का नाम**)यदि किराये पर हो(	**किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/** आधार (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का **पैन**/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
☐ **यदि किराए पर हो**	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य **(यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो *दोनों में* अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो *दोनों में* न्यूनतम)**			2क	
ख	**किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती**	2ख			
ग	**स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर**	2ग			
घ	**योग (2ख + 2ग)**	2घ			
ङ	**वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)**			2ङ	
च	**स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)**			2च	
छ	**1च का 30%**	2छ			
ज	**उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज**	2ज			
झ	**योग (2छ +2ज)**			2झ	
ञ	वर्ष के दौरान **30%** से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			2ञ	
ट	**गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)**			2ट	
3	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *			3	
4	**"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3)** (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)			4	

टिप्पण ►	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।
टिप्पण ►	किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची -गछ **पूंजी अभिलाभ**

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूंअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)						
अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	कां		
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कांii		
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (कांii), (कां) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कां) लेंगें अन्यथा (कांii) लेंगे।	कांiii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खां		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खांii		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खांiii		
			iv	कुल (खां + खांii + खांiii)	खांiv		
		ग		अतिशेष (कांiii – खांiv)	1ग		
		घ		धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	1घ		
		ङ		संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)		अ1ङ	
		च		अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)			

क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ► पैन/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है
एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।

	2	इक्विटि शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटि की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है					
		क		प्रतिफल का कुल मूल्य	2क		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खां		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खांii		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खांiii		
			iv	कुल (i + ii + iii)	खांiv		
		ग		अतिशेष (2क – खांiv)	2ग		
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ		
		ङ		साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटि (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)		अ2ङ	
	3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररुप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)					
		क		अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है		अ3क	
		ख		अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है		अ3ख	
	4	अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से					
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		ङ		च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)		अ4ङ	

5	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से					
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।				
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)		इग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				
	iii	कुल (इग + ii)			क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)			खiv	
ग	अतिशेष (5क iii – खiv)			5ग		
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनि ट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनि ट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)			5घ		
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूञ (5ग + 5घ)				अ5ङ	

6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं							
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हॉं/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
					वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	
	ii	2017-18	54ख				
ख	क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi ऊ ख)						क6
7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)						अ 7

क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7क	
ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ख	
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ग	

8 क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है

क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

I									
II									

9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ङ + क2ङ + क3क + क3ख + क4ङ + क5ङ + क6 + क7)	क 9	

आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूंअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6 , 7 और 8 लागू नहीं है)						
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	कां			
		ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कांii			
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (कांii), (कां) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (कां) या अन्यथा (कांii) लेंगे।	कांiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीबद्ध के साथ अर्जन की लागत	खां			
		ii	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत	खांii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खांiii			
		iv	कुल (खां + खांii + खांiii)	खांiv			
	ग	अतिशेष (कांiii – खांiv)		1ग			
	घ	धारा 54 / 54ख / 54ङग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		1घ			
	ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)				आ1ङ	
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					

क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ► पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है
एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।

	2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से					
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य		2क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खां			
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खांii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खांiii			
		iv	कुल (खां +खांii + JÉiii)	JÉiv			
	ग	अतिशेष (2क – खांiv)		2ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		2घ			
	ङ	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)				आ2ङ	
	3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र ,जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है ((ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर ,के विक्रय से					
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य		3क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खां			
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खांii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खांiii			
		iv	कुल (खां + खांii + खांiii)	खांiv			
	ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		3ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		3घ			
	ङ	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				आ3ङ	
	4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से					

	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ख			
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)			ख4चध	
5		**अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)**				
	क	**सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूंज**	5क			
	ख	**धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)**	5ख			
	ग	**शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)**			आ5ग	
6		**अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष् ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (**धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए ।)				
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।				
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख			
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग			
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
		iii **कुल (iग + ii)**	क iii			
	ख	**धारा 48 के अधीन कटौती**				
		i **सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत**	खi			
		ii **सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत**	खii			
		iii **अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय**	खiii			
		iv **कुल (खi + खii + खiii)**	खiv			
	ग	**अतिशेष (6क iii – खiv)**	6ग			
	घ	**धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)**	6घ			
	ङ	**अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)**			आ 6ङ	
7		अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटी संदत्त कियाजाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख			
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क -7ख)			ख7ग	
8		**अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)**				
	क	**विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूंज**	8क			
	ख	**धारा 115च के अधीन कटौती** घटाएं **(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)**	8ख			
	ग	**विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूंज (8क - 8ख)**			आ 8ङ	
	घ	**विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूंज (सूचीबद्ध के बिना संगणित)**	8घ			
	ङ	**धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)**	8ङ			
	च	**विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूंज (8घ - 8ङ)**			आ 8च	
9		**जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से**				
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।				

		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग	
	ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii	
	iii		कुल (iग + ii)	काiii	

ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (9काiii – खiv)		9ग	
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		9घ	

	ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	आ 9ङ	
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि कोä उउस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	हॉ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)			

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2017-18	54 / 54च / 54चख			
ii	2018-19	54ख			
ख	'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				

	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (काi+काii+ख)	ख 10	
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)	ख 11	

	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11क1	
	क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11क2	
	ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11ख	
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लि प्रभार्य नहीं अथवा डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं			

क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीएए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
I								
II								

13	आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ङ+ख2ङ+ख3ङ+ख4ङ+ख4ग+ख5ग+ख6ङ+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)	ख13

इ	'पूंजीगत अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)	इ

ई पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना

1 **धारा 54 / 54ख / 54ङग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिएं**

क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	क ii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	क iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v	
ग	धारा 54ङग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम *(पचास लाख रुपए से अनधिक)*	ग ii	
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	

घ	धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घiii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	घiv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घv	
ङ	धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन / मास / वर्ष
	ii	पात्र कंपनी का पैन	ङii	
	iii	पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग की गई रकम	ङiii	
	iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ङiv	दिन / मास / वर्ष
	v	पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की लागत	ङv	
	vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	ङvi	दिन / मास / वर्ष
	vii	पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से पूर्व रकम	ङvii	
	viii	दावा की गई कटौती की रकम	ङviii	
च	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन / मास / वर्ष
	ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	चii	
	iii	विनिधान की तारीख	चiii	दिन / मास / वर्ष
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	चiv	
छ	**कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ +1ङ +1च)**		1छ	

उ	**चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा**	

	क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
				15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	i	पूंजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरें यदि प्रणित अंक नकारात्मक है →		(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)	अ4ङ + अ7ख	(अ1ङ+अ3ख+ अ5ङ+ अ6+ अ7ग)	अ8(2)	(आ3ङ+ आ4ग+ आ6ङ+ आ7ग+ आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ङ+ आ2ङ+ आ5ग+ आ8च+ आ9ङ+ आ10 + आ11ख)	आ12ख	
	ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ 15%	(अ2ङ+अ3क+अ7क)								
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ 30%	अ4ङ +अ7ख								
	iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ लागू दर	(अ1ङ+अ3ख+ अ5ङ+ अ6+ अ7ग)								
	v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ डीटीएए दरें	अ8(2)								
	vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 10%	(आ3ङ + आ4ग + आ6ङ + आ7ग + आ8ग + आ11क1 + आ11क2)								
	vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 20%	(आ1ङ+ आ2ङ+ आ5ग+ आ8च+ आ9ङ+ आ10 + आ11ख)								
	viii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ डीटीएए दरें	आ12ख								
	ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
	x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i – ix)									

ऊ	प्रोद्भवन की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद						
		पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
	1	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					

	2	**30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें**					
	3	**लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें**					
	4	**10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें**					
	5	**20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें**					
टिप्पण►	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनूसूचीमें निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें						

अनुसूची 112क	एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निधी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य ,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य –(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक	अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य – (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

अनुसूची-अन्य स्रोत **अन्य स्रोतों से आय**

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय **(1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)**				1	
	क	**लाभांश, सकल**			1क	
	ख	**ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii)**			1ख	
		i	बचत बैंक से नीचे	खi		
		ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii		
		iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii		
		iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv		
		v	अन्य	खv		
	ग	**मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय**			1ग	
	घ	**अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर)स्रोत का उल्लेख करें (घi + घii + घiii + घiv + घv)**			1घ	
		I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi		
		Ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
		Iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
		Iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ङ	

क्र सं.	प्रकृति	राशि
1	पारिवारिक पेंशन	
2		
यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		

2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय **(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ** एस1 से संबंधित तत्व)				2	
	क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य			2क	
	ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय **(खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)**			2ख	
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष			2ग	

क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

	घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, **(ग i** से **ग xviii** का योग)			2घ	
		i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (**i**) के अधीन प्रभार्य	घ i		
		ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) (**ii**) के अधीन प्रभार्य	घ ii		

		iii	अवसंरचना ऋणि निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii							
		Iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv							
		v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v							
		vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115 क (1) (क) (iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi							
		vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii							
		viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायॅल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii							
		ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्र या जीडीआर से ब्याज या लाभांश के रुप में आय धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य	घ ix							
		x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के रुप में आय – धारा 115 कगक के अधीन प्रभार्य	घ x							
		xi	प्रतिभूतियों (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न, – धारा 115 कख (1) (i)	घ xi							
		xii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रुप में आय – धारा 115कघ (1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xii							
		xiii	अनिवासी खिलाडियों या खेल संगमों पर कर – धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य	घ xiii							
		xiv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xiv							
		Xv	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xv							
		xvi	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रुप में आय –धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvi							
		xvii	कार्बन जमा के अंतरण के रुप में -आय धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xvii							
		xviii	अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxviii							
		xix	धारा 115क(1)(अ)(iiac) के तहत प्रभार्य धारा 194 थखक में संदर्भित लाभांश में वितरित आय	घxix							
	R	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)								2R	
	च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)								2च	

Distribu

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 और 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3	**धारा 57 के अधीन कटौतियां** *(2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)*				
		का	**व्यय/कटौतियां** *(पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)*	**3का**	
		काi	धारा **57(1)**के तहत ब्याज व्यय **(**यदि आय **1**क में प्रस्तावित केवल तभी उपलब्ध **)**	**3काi**	
		काii	धारा 57(**ii**क) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)	**3काii**	
		ख	**अवक्षयण** *(सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)*	**3ख**	
		ग	**योग**	**3ग**	
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम			**4**	
5	धारा **59** के अधीन कर से प्रभार्य लाभ			**5**	
6	**[1 (**डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद**) – 3 + 4 + 5]** सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की *3i* का अंक लें)			**6**	

7	**अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)**			**7**	
8	**दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय**				
	क	**प्राप्तियां**	**8क**		
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	**8ख**		
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	**8ग**		
	घ	धारा **59** के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ		
	ङ	**अतिशेष (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)**		**8ङ**	
9	**"अन्य स्रोतों से आय " शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)**			**9**	
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना				

क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	लाभांश आय					
2	धारा 2 (24) (ix) में निर्दिष्ट लाटरियों, क्रासवर्ड, पहेली, रेस, खेलों, द्यूत, बाजी आदि की जीत के रुप में आय।					

टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन			**चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा**			
चालू वर्ष की हानि समायोजन	**क्रम सं.**	**आय का शीर्ष / स्रोत**	**चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)**	**चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा**	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ो से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	**मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय**
			1	2	3	4=1-2-3
	i	**हानि, जो मुजरा होगा** (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		*(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)*	*(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)*	

	ii	वेतन	(अनुसूचीएस वेतन का 6)			
	iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एस जी गृह संपत्ति का 4)			
	iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9ii)			
	V	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9iii)			
	Vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9iv)			
	vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9v)			
	Viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9vi)			
	Ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9vii)			
	X	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ङ का 9viii)			
	Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
	Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ङ)			
	xiii	कुल अग्रनीत हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
	xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन | **पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा**

	क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3
अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
	ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
	iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
	vii	10प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
	viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
	X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
	Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड से हानि है)	
	Xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v+ 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
	xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v+ 3vi + 3vii + 3viii+ 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रनीत हानि **आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा**

नुकसान को आगे ले जाना

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	2019-20					
viii	2020-21					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		*(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)*			*(अनुसूची बीएफएलए का 2ix)*
xi	2021-22 (चालू वर्ष की हानियां)		*(अनुसूची सीवाईएलए का 2भii)*	*(अनुसूची सीजी के मद ङ) (2भ+3भ+4भ+5भ)*	अनुसूची सीजी की मद ङ का (6भ+7भ+8भ)	*(अनुसूची ओएस का 8ङ, यदि –ve)*
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

अनुसूची- VI क **अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां**

	कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित की गई थी।					☐ हां ☐ नहीं
कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80ग		ख	80गगग	
	ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)	
	ङ	80 गगघ(2)		च	80घ	
	छ	80घघ		ज	80घघख	
	झ	80ङ		ञ	80ङङ	
	ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
	ड	80छ		ढ	80छछ	
	ण	80छछक		त	80छछग	
	2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती				
	थ	80थथख		द	80ददख	
	ध	80ननक		न	80ननख	
	प	80प				
	3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)				3

अनुसूची 80छ **धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे**

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	

	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे

क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम				संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	नकद संदान की तारीख	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i								
ii								
	कुल संदान							

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर **धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना**

कुल कटौतियां	1	**भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय**		1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
		क **शीर्ष् "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियां " के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती**	2क		
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)		3	
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)		4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा **धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना**

1	निर्धारण वर्ष **2021-22** (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1	
2	निर्धारण वर्ष **2021-22** (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3	

4 उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रनीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
ix	**चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)**					
x	योग					

5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट	5	
6	पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट	6	

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रू.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय **विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]**

विशेष दर

क्रम सं.	सेक्सन	☑	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	**111-**पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	☐		(अनुसूची ओएस का 2ग*iii)*	(अनुसूची ओएस का 2ग*iv)*
2	**111**क अथवा धारा 115कघ**(1)(**ख**)(ii)-** परन्तुक (उन शेयर पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी भुगतान किया गया**)**	☐	15	**(अनुसूची बीएफएल का** *3iii)*	
3	**115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.**टी.सी.जी **जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)**	☐	30	**(अनुसूची बीएफएल का** *3iv)*	
4	**112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनि**ट **पर एल.टी.सी.जी)**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
5	**112(1)(**ग**)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
6	**115कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
7	**115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
8	**115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एल**टीसीजी**)**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
9	**115ङ (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एलटीसीजी**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
10	**112 (अन्य के लिए एलटीसीजी)**	☐	20	**(अनुसूची बीएफएल का** *3vii)*	
11	112**क या धारा** 115कघ(1)(iii)- **परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)**	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
12	**डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी**			**(अनुसूची बीएफएल के** *3vi का भाग)*	
13	**डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी**			**(अनुसूची बीएफएल के** *3ix का भाग)*	
14	115**खख** (लाटरी, **वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत**)	☐	30	**(अनुसूची ओएस का 2क** *का भाग***)**	
15	**115खखङ** (**धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय**)	☐	60	*(*अनुसूची ओएस का 2**ख***)*	
16	**115खखच** (**पेटेंट से आय पर कर**)	☐	10	*(*अनुसूची ओएस का 2**घ** *का भाग)*	
17	**115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)**	☐	10	*(*अनुसूची ओएस का 2**घ** *का भाग)*	
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित	☐		*(*अनुसूची ओएस का 2**घ** *का भाग)*	
19	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	☐		*(*अनुसूची ओएस का 2च *का भाग)*	
20	**15%** की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	15	**(अनुसूची बीएफएल के** *3iv का भाग)*	
21	**30%** की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	30	**(अनुसूची बीएफएल के** *3v का भाग)*	
22	धारा 112क के अंतर्गत 10 **%** की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में	☐	10	**(अनुसूची बीएफएल के** *3vii का भाग)*	
23	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 **%** की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	**(अनुसूची बीएफएलए का** ***3vii*** **का भाग)**	
24	**20%** की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	20	**(अनुसूची बीएफएल के** *3viii का भाग)*	

25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ङ)	
			कुल		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

प्राप्त	1	**ब्याज से आय**			1	
	2	i	**शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)**	i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	iii		
		iv	वर्ष) i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (		2	
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है			
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप			
		MÉ	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)			
		PÉ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)			
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)			3	
	4	डीटीएए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय				

क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
I						
II						

III	कर से अप्रभार्य डीटीएए से कुल आय		4	
5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)		5	
6	**योग (1+2+3+4+5)**		6	

अनुसूची पीटीआई धारा115 पक115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति **(7-8)**	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**(**ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है**)**			**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कां	धारा **111**क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खां	धारा **112**क				
					खांii	धारा **112**क के अलावा				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा **10(23**चखख**)** के अधीन				
					ख	धारा **.....**के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
2.				**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कां	धारा **111**क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खां	धारा **112**क				
					खांii	धारा 112क के अलावा				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा **10(23**चखख**)** के अधीन				
					ख	धारा **.....**के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				

ÉÊ] {{ÉhÉ ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एफएसआई भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ाळआई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ाळएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची टि.आर भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिदिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	कुल				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)			2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)			3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।			4	हां / नहीं
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची वि.आ. **भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा**

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

आ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति- सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो *

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ **पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी**

	पति/पत्नी की नाम				
	पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार **संख्या**				
	आय के शीर्ष	**शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां**	**पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन**	**(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस**	**पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस**
	(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**
1	**गृह संपत्ति**				
2	**पूंजी लाभ**				
3	**अन्य स्त्रोत**				
4	**कुल**				

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे				
क्रं. सं.	वर्णन	पता	**पिन कोड**	रकम (लागत) में रुपए	
(1)	(2)	(3)	**(4)**	(5)	
(i)					
(ii)					
ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे				
क्रं. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए	
(1)	*(2)*			*(3)*	
(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि				
(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य				
(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान				
(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) में रुपए	
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
	(ख)	शेयर और प्रतिभूति			
	(ग)	बीमा पालिसी			
	(घ)	दिए गए ऋण और अग्रिम			
	(ङ)	हाथ में नकदी			
ग	***आस्ति के संबंध में दायित्व (क+ख)***				

टिप्पण ► ***कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें ।.***

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)			1	
2	गृह संपत्ति से आय *(अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)*			2	
3	पूंजी अभिलाभ				
	क	लघु अवधि			
	i	लघु अवधि प्रभार्य @ 15% *(अनुसूची पू.अ. का मद ङ का 9ii)*	कi		
	ii	लघु अवधि प्रभार्य @ 30% *(अनुसूची पू.अ. का मद ङ का 9iii)*	कii		
	iii	लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य *(अनुसूची पू.अ. का मद ङ का 9iv)*	कiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9*v*)	कiv		
	v	कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii + कiv) *(शून्य हानि प्रविष्ट करें)*	3कv		
	ख	दीर्घ अवधि			
	i	दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% *(अनुसूची पू.अ. का मद ङ का 9vi)*	खi		
	ii	दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% *(अनुसूची पू.अ. का मद ङ का 9vii)*	खii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 *viii*)	खiii		
	iv	कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) *(यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)*	3खiv		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) *(यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)*		3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसुची णध का 6) (*यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)*	4क		
	ख	प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख		
	ग	दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसुची णध का 8) *(यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)*	4ग		
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)*		4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)			5	
6	5 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)*			6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) *(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)*			7	
8	7 के विरूद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां *(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)*			8	
9	सकल कुल आय (7-8) *(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 2 का 3xiii)*			9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है			10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां *(अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)*			11	
12	कुल आय (9-11)			12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)			13	
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय *(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)*			14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]			15	
16	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां *(अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)*			16	
17	धारा 115ञ ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)			17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 115 ञ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित म्नतर कर का 4)	1क			
	ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख			
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर	1 ग			
	घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर *(1क +1ख +1 ग)*			1	
2	कुल आय पर संदेय कर					
	क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर		2क		
	ख	विशेष दरों पर कर *(अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)*		2ख		
	ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]		2ग		

कर दायित्व का संगणना

	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)				2घ	
3	धारा 87क के अधीन रिबेट					3	
4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)					4	
5	अधिभार			उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		
	i	अनुसूची ध.ज के 15(ii) के 25%	5i		iक		
	ii	अनुसूची एसआई का 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) का यथा लागू 10% अथवा 15% की दर	5ii		iiक		
	iii	[(4) अनुसूची एसआई का – (*16(ii),* 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii)*)]* पर	5iii				
	i	कुल (i + ii + iii)				5i	
6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)					6	
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)					7	
8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम)					8	
8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर					8क	
8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर					8ख	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)						
10	धारा 115जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)						
11	कर राहत						
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11				
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)	11				
	ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)	11ग				
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)				11घ	
12	सकल कर दायित्व (10 – 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखे)					12	
13	ब्याज और संदेय फीस						
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	13क				
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	13ख				
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)	13ग				
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234च)	13घ				
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)				13ङ	
14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)					10	
15	संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर *(20*क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15				
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर *(20*ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15				
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)	15ग				
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15				
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)				15ङ	
16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें*)*					16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है*) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)*					17	
18 क	क्या आपका भारत में बैंक खाता है(प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनक भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।					हां. अथवा नहीं का चयन करें	

बैंक खाता

क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय
i				
ii				

नोटः
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती है।

ii ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	एसडब्ल्यूआईएफटी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आईबीएएन

18 ख डीमेट अकाउंट के ब्यौरे (पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए सभी डी मैट अकाउंट बताए जाने हैं)

क्रम सं.	न्यासी भागीदार	डीमैट अकाउंट नंबर
1		

यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं

19 क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय
)i (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।
)ii (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या
)iii (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (

☐ हां
☐ नहीं

20 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय

क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				

टिप्पण ► भाग ख - टी टीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।

ख वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

वेतन से स्रोत पर कर कटौती

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें

ग कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग

क्र सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. . (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार सं..	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान काटा गया टीडीएस)			इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित , लागू नहीं , यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)			तदनुरूपी रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई		आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)		सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय / टीडीएस		आय	टीडीएस / पैन/ आधार सं			

i															

टिप्पण –कृपया भाग ख –टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)				
स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे	Sl No	संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम	(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
	टिप्पण ► कृपया भाग ख-ननझ के 11**ग** में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें					

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री , सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख **यहां हस्ताक्षर करें➔**

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	**कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम**	**कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर**
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		

प्ररूप	आकवि-3	**भारतीय आय-कर विवरणी** (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) **कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए** (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष 2 0 2 1 - 2 2

भाग क- जी.ई.एन **साधारण**

व्यक्तिगत सूचना

पहला नाम	**मध्य नाम**	**अन्तिम नाम**	**स्थायी लेखा सं0**
फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं0	परिसर / भवन / ग्राम का नाम		प्रास्थिति *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
सड़क / गली / डाक घर	*जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / वर्ष)* / /		
क्षेत्र / अवस्थान	**आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)**		
नगर / शहर / जिला	राज्य देश	पिन कोड / **जिप कोड**	
निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं0 / मोबाइल नं0 1		मोबाइल नं0 2	
ई मेल पता-1 (स्वयं का)		**ई मेल पता-2**	
क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है ?	हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)	यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें	

फाइल करने की प्रास्थिति

(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई *(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]*	☐ **139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व** ☐ **139(4)-** विलंबित, ☐**139(5)-** पुनरीक्षित, ☐**92गघ-उपांतरित विवरणा,** ☐ **119(2)(ख)-** विलंब की माफी के पश्चात्
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ **139(9),** ☐ **142(1),** ☐ **148,** ☐ **153क,** ☐**153ग**
(ख)	क्या आप धारा **115** ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? ☐ हां ☐ नहीं	
(खां)	**यदि हां, कृपया प्रस्तुत करें**	**प्रपत्र 10-IE भरने की तारीख** **दि./मा./वर्ष** — पावती क्रमांक:
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]	
(गां)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(ग ii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(घ)	***यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)***	/ /
(ड)	**यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिक नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें**	***(यूनिक नंबर)*** / /

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
रसीद संख्या
तारीख
आधिकारिक प्राप्त करने की मुहर और हस्ताक्षर

(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं	**(क) निवासी**	☐आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)]		
			☐ आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों]		
		(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	☐ आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)]		
			☐ आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)]		
		(ग) अनिवासी	☐ आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i)कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -		
			क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या

1		
2		

(ii)भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)

	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदु, अविभिक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) ☐निवासी ☐निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं ☐ अनिवासी
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	☐ हां ☐ नहीं
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं ? *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)	
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें	
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)
	(3)	प्रतिनिधि का पता
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या

(ञ) क्या आप पूर्व वर्ष दे दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें ।-

कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)

(ट) क्या आप फर्म में भागीदार है? (सही का निशान लगाएं) *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -

फर्म का नाम	स्थायी लेखा सं.	

(ठ) क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
यदि हां, तो कृपया साधारण अंशो के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।

कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
			अंशो की संख्या	अर्जन की लागत	अंशो की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य(नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशो की संख्या	अर्जन की लागत	अंशो की संख्या	विक्रय प्रतिफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है ☑ ☐ हां ☐ नहीं
(ढ)	क्या निर्धारिती अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थिति है और संपरिवर्तनीय विदेश मुद्रा में पूरी तरह से आय प्राप्त करता है? ☐ हां ☐ नहीं

लेखा परीक्षा जानकारी

(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? *चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है ☐हां ☐नहीं
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? ☐ हां ☐नहीं
(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां ☐ नहीं
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है ? हां ☐ नहीं
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं ? *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है *(चिह्नित करें)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) / /
(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)
(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या

(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.
(7)	लेखा परीक्षा रिपो र्ट की तारीख

(घां)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परिक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं		
(घां)	यदि (घां) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	· हां · नहीं	लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष
(घांiii)	*यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि./ मा./ व(कृपया निर्देश देखें)*		

क्रम सं.	सेक्शन कोड	तारीख (दिदि / मास /वर्ष)

(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के ०्धीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।			
	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष

कारबार की प्रकृति

कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा **44**कघ, धारा **44**कघक और **44**कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियाँ से भिन्न**)**

क्रं0सं0	कोड *(कृपया अनुदेश देखें)*	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क – तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का **31** मार्च 2021 को तुलन-पत्र
(ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोजन	1	स्वामी की निधि					
		क	स्वामी की पूंजी			क	
		ख	आरक्षित और अधिशेष				
			I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi		
			Ii	पूंजी आरक्षिति	खii		
			Iii	कानुनी आरक्षिति	खiii		
			Iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
			V	योग (खi + खii + खiii + खiv)		खv	
		ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क +खv)			1ग	
	2	ऋण निधियां					
		क	प्रतिभूत ऋण				
			i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i		
			ii	रूपए में ऋण			
				अ बैंकों से ऋण	iiअ		
				आ अन्य से	iiआ		
				इ योग (iiअ + iiआ)	iiइ		
			iii	योग (कi + iiइ)		कiii	
		ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)				
			i	बैंकों से ऋण	खi		
			ii	अन्य से	खii		
			iii	योग (ख i + खii)		खiii	
		ग	योग ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व				3	
	4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग +3)				4	
	1	स्थिर आस्तियां					
		क	सकल ०: ब्लाक		1क		
		ख	अवक्षयण		1ख		
		ग	शुद्ध ब्लाक (क – ख)		1ग		
		घ	चल रहा पूंजी कार्य		1घ		
		ङ	योग (1ग + 1घ)			1ङ	
	2	विनिधान					
		क	दीर्घकालिक विनिधान				
			I	सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट की गई	कi		
			Ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट न की गई	कii		
			Iii	योग (कi + कii)		कiii	
		ख	अल्पकालिक विनिधान				
			I	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi		
			Ii	अधिमानी शेयर	खii		
			Iii	डिबेंचर	खiii		
			Iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv	
		ग	कुल विनिधान (कiii + खiv)			2 ग	
	3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम					
		क	चालू आस्तियां				
			I	बीजक			
				अ भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैंकिंग सामग्री भी है	iअ		

				आ	कच्ची सामग्री	iआ				
				इ	कार्यरत भंडार	iइ				
				ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई				
				उ	योग (iअ + iआ + iइ+ iई)				iउ	
			li		अन्यान्य ऋणी				काii	
			lii		नकद और बैंक अतिशेष					
				अ	हस्तगत नकदी		iiiअ			
				आ	बैंक के पास अतिशेष		iiiआ			
				इ	योग (iiiअ + iiiआ)				iiiइ	
			lv		अन्य चालू आस्तियां				कांiv	
			V		कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + कांiv)				कv	
		ख			ऋण और अग्रिम					
			l		नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खांi				
			li		निक्षेप,ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खांii				
			lii		राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खांiii				
			lv		योग (खांi + खांii + खांiii)				खांiv	
		ग			चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खांiv)				3ग	
		घ			चालू दायित्व और उपबंध					
			l		चालू दायित्व					
				अ	अन्यान्य लेनदार		iअ			
				आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व		iआ			
				इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज		iइ			
				ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं		iई			
				उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)				iउ	
			li		उपबंध					
				अ	आयकर के लिए उपबंध		iiअ			
				आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध		iiआ			
				इ	अन्य उपबंध		iiइ			
				ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)				iiई	
			lii		योग (iउ + iiई)				घiii	
		ङ			शुद्ध चालू आस्तियां (3ग – घiii)				3ङ	
	4	क			अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		4क			
		ख			आस्थगित कर आस्ति		4ख			
		ग			लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष		4ग			
		घ			योग (4क अ 4ख अ 4ग)				4घ	
	5				निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4घ)				5	
कोई लेखा मामला नहीं	6				उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या बृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)					
		क			अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम				6क	
		ख			अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम				6ख	
		ग			व्यापारगत स्टाक की कुल रकम				6ग	
		घ			नकदी बकाया की रकम				6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए विनिर्माण लेखा *(जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें,जैसा लागू हो)*

1			विनिर्माण लेखा के लिए विकलन				
	क		आरंभिक सूची				
		i	कच्ची सामग्री का आंरभिक स्टाक	i			
		ii	चालू काम का आंरभिक स्टाक	ii			
		iii	कुल (i + ii)			काiii	
	ख		क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			ख	
	ग		प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	

	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi +घii + घiii)				घ	
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत आर ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड.	कारखाने का उपरी खर्च					
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
		Ii	कारखाना किराया और दरें	ii			
		Iii	कारखाना बीमा	iii			
		Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			
		V	कारखाने का साधारण व्यय	v			
		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
		Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)			ड.vii	
	च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)				1च	
2	बंद स्टाक						
	i	कच्ची सामग्री		2i			
	ii	चालू काम		2ii			
	कुल (2i +2ii)					2	
3	माल उत्पाद की लागू – व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)					3	

भाग –क व्यापारिक लेखा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरँ, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा केलिए प्रत्यय	4	संक्रियाओँ से राजस्व						
		क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो					
			i	माल का विक्रय		i		
			ii	सेवाओं का विक्रय		ii		
			iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)				
				क		iiia		
				ख		iiib		
				ग	कुल (iiiक + iiiख)	iiic		
			iv	कुल (i + ii + iii ग)			कiv	
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति				ख	
		ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर					
			i	संघ उत्पाद शुल्क		i		
			ii	सेवा कर		ii		
			iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर		iii		
			iv	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)**		iv		
			v	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)		v		
			vi	**समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)**		vi		
			vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)		vii		
			viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर		viii		
			ix	कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix	
		घ	संक्रियाओँ सले कुल राजस्व (कiv + ख+गix)				4घ	
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक					5	
	6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)					6	
व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	7	तैयार माल का आरंभिक स्टाक					7	
	8	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)					8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9	
		i	आवक वहन व्यय		9i			
		ii	विद्युत और ईंधन		9ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययाँ की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)		9iii			
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।						

	i	सीमा शुल्क	10i				
	ii	प्रति शुल्क	10ii				
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii				
	Iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv				
	V	सेवा कर	10v				
	Vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi				
	vii	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)**	10vii				
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii				
	Ix	**समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)**	10ix				
	X	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x				
	Xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi				
	Xii	**Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)**				10xii	
11	माल उत्पाद की लागत – विनिर्माण लेखा से अंतरित					11	
12	कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित **(6-7-8-9-10xii-11)**					12	

भाग क-लाभ और हानि वित्तिय वर्ष **2020-21** के लिए लाभ और हानि लेखा ***(नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)***

लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13	
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमिशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा **43**कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा **28(vi**क**)** के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ **(**संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य**)**	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	*कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
			क	xia			
			ख	xib			
			ग योग **(xi**क **+ xi**ख**)**	xic			
		xii	अन्य आय का योग **(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi**ग**)**			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग **(13+14xii)**				15	
लाभ और हानि लेखा से निकाला	16	बर्हिगामी माल भाडा				16	
	17	भंडारों और कलपुर्जो का उपभोग				17	
	18	विद्युत और ईंधन				18	
	19	किराया				19	
	20	भवनों की मरम्मत				20	
	21	मशीनरी की मरम्मत				21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वेतन ओर मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v			
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii			
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			

	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)			22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
		यदि हां,तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	कीमेन्स बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	सत्कार				26	
27	सम्मेलन				27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामित्व					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा				33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय				34	
35	विदेशी यात्रा व्यय				35	
36	वाहन व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	दान				42	
43	संदान				43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)					
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii			

	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix		
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)		44x	
45	संपरीक्षा फीस			45	
46	अन्य व्यय *(प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	कुल (i + ii)		46iii	
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)				

	i1		47i1		
	i2		47i2		
	i3		47i3		
		अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम ओर पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii		
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii		
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध			48	
49	अन्य उपबंध			49	
50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]			50	
51	ब्याज				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	कुल (i + ii)		51iii	
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			52	
53	करों के पूर्व सुद्ध लाब (50 – 51iii – 52)			53	
54	चालू कर के लिए उपबंध			54	
55	आस्थगित कर का प्रावधान			55	
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)			56	
57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष			57	
58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)			58	
59	आरक्षिति और अधिशेद के लिए अंतरित			59	
60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रनीत अतिशेष (58 –59)			60	

कर और विनियोग के लिए उपबंध

लाभ क

61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना			
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
	(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख)		61i
	(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक	
	(ख)	कोई अन्य रीति	iख	
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधारणात्मक आय (iiक + iiख)		61ii
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiक	
	(ख)	61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiख	
	टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा *44*कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।			
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपदाराणात्मक आय की संगणना			
	क्रम सं.	कारबार का नाम	काराबार कोड	विवरण
	(i)	सकल प्राप्तियाँ		62i
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणत्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)		62ii
	टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा *44*कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।			
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना			
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिट्रीक टन में)	महीनों कीसंख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रू0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रुप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जोभी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				

आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)

(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]	63(iii)	

टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के ्धीन विहति से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे /किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।

लेखा मामला नहीं

64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रुप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।					
(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए					
क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)			ikक		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
	2	कोई अन्य रीति			क2		
ख	सकल लाभ			ikख		
ग	व्यय			ikग		
घ	शुद्ध लाभ					64i	
(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए					
क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)			iia		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क 1		
	2	कोई अन्य रीति			क 2		
ख	सकल लाभ					
ग	व्यय					
घ	शुद्ध लाभ					64ii	
(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)					64iii	
65	I	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत				65i	
	Ii	सकल लाभ				65ii	
	Iii	खर्च यदि कोई हो				65iii	
	Iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)				65iv	

भाग क - *अन्य जानकारी* ***अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो))***

अन्य जानकारी

1	**पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति**	**(चिह्नित करें)** ☐ **वाणिज्यिक** ☐ **नकद**		
2	**यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है**	**(चिह्नित करें)** ☐ हाँ ☐ **नहीं**		
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क		
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3JÉ		
4	**पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति**			
क	**कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)**			☐
ख	**तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)**			☐
ग	**क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है**	**(चिह्नित करें)** ☐ **हां** ☐ **नहीं**		
घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
5	**लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है–**			
क	**धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें**	5क		
ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख		
ग	**पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे**	5ग		
घ	**आय की कोई अन्य मद**	5घ		

	ङ	पूंजी रसीद, यदि कोई है	5ङ			
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +ङ)			5च	
6	सुसंगत खंडों में विर्निदिष्ट शर्तो के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें					
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम *[36(1)(i)]*	6क			
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम *[36(1)(i ख)]*	6ख			
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी *[36(1)(ii)]*	6ग			
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम *[36(1)(iii)]*	6घ			
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम *[36(1)(iiia)]*	6ङ			
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम *[36(1)(iv)]*	6च			
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम *[36(1)(iv)]*	6छ			
	ज	धारा 80 ग ग घ में विर्निदिष्ट पेंशन स्कीम को अंसदान की रकम	6ज			
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम *[36(1)(v)]*	6झ			
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम *[36(1)(v)]*	6ञ			
	ट	*किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]*	6ट			
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम *[36(1)(vii)]*	6ठ			
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध *[36(1)(viiक)]*	6ड			
	ढ	किसी विशेष आरक्षिति को अंतरित रकम *[36(1)(viii)]*	6ढ			
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय *[36(1)(ix)]*	6ण			
	त	*प्रतिभूतियों में संव्यसहार की बाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)]*	6त			
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रुप में चिन्हित **[36(1)(xviii)]**	6 थ			
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द			
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)			6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय *[37(1)]*	7क			
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय *[37(1)]*	7ख			
	ग	कारबार या वृति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च *[37(1)]*	7ग			
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय *[37(2 ख)]*	7घ			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ			
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च			
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ			
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज			
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ			
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)			7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- *ख*	अख			
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग			
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-*ख*	अघ			
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम *[40* (क) *(ii)]*	अङ			
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम *[40* (क) *(iiक)]*	अच			
	छ	धारा 40 (क) (ii *ख*) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदद रकम	अछ			
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा *[40(ख)/40(*खक*)]* के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज			

			झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ			
			ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)			8अञ	
		आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ	
	9			धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
		क		धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क			
		ख		धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख			
		ग		उपदान के संदाय के लिए उपबंध *[40 क (7)]*	9ग			
		घ		किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; *[40 क (9)]*	9घ			
		ङ		कोई अन्य नामंजूरी	9ङ			
		च		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)			9च	
	10			किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम				
		क		किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क			
		ख		कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख			
		ग		दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग			
		घ		किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औदयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ			
		ङ		किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ			
		च		छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च			
		छ		रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ			
		ज		धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)			10ज	
	11			पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय				
		क		किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क			
		ख		कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख			
		ग		दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग			
		घ		किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औदयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ			
		घक		कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11 घक			
		ङ		किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
		च		छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च			
		छ		रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ			
		ज		धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)			11ज	
	12			निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
		क		संघ उत्पाद शुल्क	12क			
		ख		सेवा कर	12ख			
		ग		मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग			
		घ		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ			
		ङ		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ			
		च		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च			
		छ		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ			
		ज		कोई अन्य करम	12ज			
		झ		बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)			12झ	
	13			धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13	
	14			धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
	15			लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
	16			धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम			16	

	17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☑ का निशान लगाएं ☐ हां नहीं ☐ [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		**मात्रात्मक ब्यौरे** (आज्ञापक, यदि धारा *44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है))*				
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में				
		1		आरंभिक स्टाक	1	
		2		पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
		3		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
		4		अंतिम स्टाक	4	
		5		कमी / अधिक यदि कोई हो	5	
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में				
		6		कच्ची सामग्री		
			क	आरंभिक स्टाक	6क	
			ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
			ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग	
			घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
			ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
			च	प्राप्त तैयार माल	6च	
			छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
			ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज	
		7		तैयार माल / उपोत्पाद		
			क	आरंभिक स्टाक	7क	
			ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
			ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
			घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
			ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
			च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन **वेतन से आय का ब्यौरा**

नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) ☑ (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य	**पिन कोड** / जिप कोड

वेतन

1	सकल वेतन **(1क + 1ख + 1ग)**			1	
	क	धारा **17(1)** के अनुसार वेतन (*ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)*	1क		
	ख	धारा **17(2)** के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (*ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)*	1ख		
	ग	धारा **17(3)** के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (*ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)*	1ग		
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोडे)				
2	कुल सकल वेतन *(सभी नियोजकों से)*			2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में *ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)* (कृपया अनुदेश देंखे) (नोट: सुनिश्चिचकरें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन **(2 - 3)**			4	
5	**धारा 16 के अधीन कटोतियां (5क + 5ख + 5ग)**			5	
	क	धारा **16(i**क) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा **16(ii)** के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा **16(iii)** के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	**'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 – 5)**			6	

अनुसूची गृह संपत्ति **गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा** *(कृपया अनुदेशों को देखें)*

गृह संपत्ति

1	**संपत्ति 1 का पता**	**नगर / शहर**	**राज्य**	**पिन कोड** / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ **(यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)**

संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	***सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या***	**संपत्ति में अंश की प्रतिशतता**
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	**किराएदार का नाम**)यदि किराये पर हो(	**किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/** आधार (कृपया टिप्पणी देखें)	किराएदार (किराएदारों) का **पैन/**टेन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
☐ **यदि किराए पर हो**	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क	
ख	**किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती**	1ख			
ग	**स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर**	1ग			
घ	**योग (1ख + 1ग)**	1घ			
ङ	**वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है**			1ङ	
च	**स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)**			1च	
छ	**1च का 30%**	1छ			
ज	**उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज**	1ज			
झ	**योग (1छ + 2ज)**			1झ	
ञ	वर्ष के दौरान **30%** से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			1ञ	
ट	**गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)**			1ट	

2	**संपत्ति 2 का पता**	नगर / शहर	राज्य	**पिन कोड** / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं **(यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)**

संपत्ति *में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)*			
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या*	**संपत्ति में अंश की प्रतिशतता**
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑ ☐ **यदि किराए पर हो** ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		**किराएदार का नाम**)यदि किराये पर हो(	**किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/** आधार (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का **पैन**/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	I			
	II			

	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य **(यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो *दोनों में* अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो *दोनों में* न्यूनतम)**			2क	
	ख	**किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती**	2ख			
	ग	**स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर**	2ग			
	घ	**योग (2ख + 2ग)**	2घ			
	ङ	**वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)**			2ङ	
	च	**स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)**			2च	
	छ	**1च का 30%**	2छ			
	ज	**उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज**	2ज			
	झ	**योग (2छ +2ज)**			2झ	
	ञ	वर्ष के दौरान **30%** से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			2ञ	
	ट	**गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)**			2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *				3	
4	**"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3)** *(*यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2*/*अंक लेवें)				4	

टिप्पण ►	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।
टिप्पण ►	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची – कारबार या वृत्ति **कारबार या वृत्ति से आय की संगणना**

कारबार या वृत्ति से आय

अ	**सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति** से					
	1	**लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))**			1	
	2क	**1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)** *[*अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या *65(iv)]* कोई लेखा मामला न होने के मामले में			2क	
	2ख	**1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)**			2ख	
	3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखछ के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	**वेतन**	3क	
			ख	**गृह संपत्ति**	3ख	
			ग	**पूजी अभिलाभ**	3ग	
			घ	**अन्य स्रोत**	3घ	
			ङ	**धारा 115खखच के अधीन**	3ङ	
			च	115**खखछ के अधीन**	3च	
	4क	**1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक** *(*ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए*)*			4क	
	4ख	नियम **7, 7** क, **7**ख**(1), 7**ख**(1**क**)** और नियम **8** के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन))			4ख	
	5	**(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छू ट प्राप्त है**				
		क	**फर्मों से आय का अंश**	5क		
		ख	**एओपी / बीओआई से आय का अंश**	5ख		

	ग	कोई अन्य छू ट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विर्निदिष्ट करें)						
		i		ग i				
		ii		ग ii				
		iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii				
	घ	कुल छू ट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)				5 घ		
6	शेष (1– 2 क – 2 ख – 3 क - 3 ख – 3 ग - 3 घ – 3च - 4क - 4ख – 5 घ)						6	
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखछ के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय		क	वेतन		7क		
			ख	गृह संपत्ति		7ख		
			ग	पूजी अभिलाभ		7ग		
			घ	अन्य स्रोत		7घ		
			ङ	धारा 115खखच के		7ङ		
			च	115खखछ के अधीन		7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छू ट से संबंधित					8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन् और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)					8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)					9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)						10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण						11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण							
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)*			12i			
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)*			12ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)					12iii	
13	अवक्षयण के ०ा।लए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 – 12iii)						13	

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6ध)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क - ओ आई का 8कड)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क - ओ आई का 9 च)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-ाक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23	
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुट षंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है	24	
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25	
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन क ट ०ा०ोतियों की रकम (अनुसूची ङ ध द की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन क ट ०ा०्तीं योगय रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29	

	30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	30			
	31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	31			
	32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32			
	33	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3ख + 4ङ	33			
	34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)			34	
	35	आय (13+26-34)			35	
	36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -				
		i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	36i			
		ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	36ii			
		iii धारा 44कङ (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	36iii			
		iv धारा 44ख	36iv			
		v धारा 44खख	36v			
		vi धारा 44खखक	36vi			
		vii धारा 44घक	36vii	*(प्ररूप उ ग ङ की मद प)*		
		viii कुल (36i to 36vii)			36viii	
	37	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36viii)			37	
	38	सट्टा *कारबार से भिन्न कारबार या वत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विर्निदिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें)* (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)			क 38	
		क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क			
		ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख			
		ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग			
		घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ			
		ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ			
		च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय *(मद सं. 40)*	38च			
	39	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(38क+ 38ख + 38ग+ 38घ + 38ङ.)]			39	
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना					
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि *(मद सं. 2क)*			40	
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			41	
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			42	
	43	अनुमानित कारबार से आय (40 + 41 - 42) *(यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)*			ख43	
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना					
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			44	
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			45	
	46	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ *(धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया हैं)*			46	
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)			47	
	48	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ			48	
	49	अनुमानित कारबार से आय (47 – 48) *(यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)*			ग49	
	50	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)			ग50	
घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 38+ ख43+ ग49)				घ	
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष					

क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		*(क 38)*	
ii	अनुमानित कारबार से आय	*(ख 43)*		

	iii	विर्निदिष्ट कारबार से आय	*(ग 49)*		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i – iv)			
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							

	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
	13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
	14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
	15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
	16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
	18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची _आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17i* या *18i* यथालागू)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17ii* या *18ii* यथालागू)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17iii* या *18iii* यथालागू)	1ग			
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- *17iv* अथवा *18iv*, जैसा लागू हो)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14ii* या *15ii* यथालागू)	2क			
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iii* या *15iii* यथालागू)	2ख			
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iv* या *15iv* यथालागू)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अव्यक्षण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए *14v* या *15v* यथालागू)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओऐ *14vi* या *15vi* यथालागू)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओऐ *14vii* या *15vii* यथालागू)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6	

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग			
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- *20iv*)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			

	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iv)	2ग			
	घ	योग (2कअ2खअ2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड़ क 17v)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4	
5	पोत (अनुसूची घ ड़ क 17vii)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची इ.एस.आर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या **35 गगग** या **35 गगघ** के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iiक)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण►	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूँजी अभिलाभ पूँजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)					
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकत: ब्यौरे भरें)					
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य	क i			
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii			
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]	क iii			
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
ग	शेष (क iii – ख iv)		1 ग			
घ	धारा के अधीन कटौतियॉ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 छ क (नीचे मद घ में ब्यौरे विर्निदिष्ट करें)		1 घ			
ड़	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क 1 ड	
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					

क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ► पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है ।
एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।

2	विक्रय गिरावट से			
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज ङ क का 5)	
ख	उपक्रम या प्रभाग की निवल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज ङ क का 6 (ड़)	
ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)			क 2 ग
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क		

		ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
			iv	योग(i + ii + iii)	ख iv			
		ग	शेष (3 क – ख iv)		3 ग			
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांस/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3 घ			
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)				क 3 ङ	
	4	अनिवासी के लिए जो च II नही हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभॉश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय)					*	
		क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं				क 4 क	
		ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं				A4 ख	
	5	अनिवासियो के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्न,) के विक्रय से						
		क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-				
				क कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	iक			
				ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख			
				ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
		ग	शेष (5 क iii – ख iv)		5 ग			
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांस/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		5 घ		
		ङ	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)				क 5 ङ	
	6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
		क	I	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे				
				क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	iक			
				ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख			
				ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
		ग	शेष (6क iii – ख iv)		6 ग			
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांस/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		6 घ		
		ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		6ङ			
		च	धारा के अधीन कटौति 54 ग /54 छ /54 छ क		6च			
		छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ + 6च)				क 6छ	

	7	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्ों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ा के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं		

क्रम सं.	पूर्व वर्ा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ा में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ा जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	
i	2017-18	54घ/54छ/54छक			
ii	2018-19	54ख			

	ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख)	क7	
	8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+8कख+क8ग)	क8	
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,15%की दर से प्रभार्य	क8क	
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30%की दर से प्रभार्य	क8ख	
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य	क8ग	

9 एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क8 जिसमें सम्मिलि है	देश का नाम और कोड	डी डीटी एए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

	क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि	क9 क	
	ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम	क9 ख	
	10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड़ + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)	क 10	

ख दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद *5, 6, 7, 8 और 9 'नेवासियों में लागू नहीं है)*

दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ

1	भूमि या भवन या दोनो के विक्रय से *(प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)*			
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य	क i	
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के (कi) से 1.10 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]	क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (क iii – ख iv)		1 ग	
घ	धारा 54/54ख /54घ /54ड़ग /54 च /54 छ /54 छ क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदिष्ट करें)*		1 घ	
ड़	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			ख 1 ड़
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)			

क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है।
एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।

2	विक्रय गिरावट से			
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	*(प्ररूप 3 CEA का 5)*	
ख	उपक्रम या प्रभाग की निवल संपत्ति	2 ख	*(प्ररूप 3 CEA का 6 (ड़)*	
ग	शेष (2 क – 2 ख)	2 ग		

	घ	धारा 54ड़ ग /54च के अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदि-ट करें)*		2 घ			
	ड़	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग -2 घ)				ख 2 ड़	
3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्न्)						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		3 क			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग	शे-ा (3 क – ख iv)		3 ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौति *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदि-ट करें)*		3 घ			
	ड़	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग – 3 घ)				ख 3 ड़ ड्र	
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र ,जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है ((ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर ,के विक्रय से						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		4 क			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग	शे-ा (4 क – ख iv)		4 ग			
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदि-ट करें)*		4 घ			
	ड़	उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग - 4घ)				ख 4ड़	
5	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है						
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के कॉलम 14		5क			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)*		5ख			
	ग	ऊपर ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5BÉE – 5ख)				ख5ग	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)						
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी		6क			
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदि-ट करें)*		6ख			
	ग	शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (6क - 6ख)				ख6ग	
7	**सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहा धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष् ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से**						
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे				
			क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	iक		
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख		
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		क ii		
		iii	कुल (iग + ii)		क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग	शे-ा (क iii – ख iv)		7 ग			
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति *(नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदि–ट करें)*		7 घ			
	ड़	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (7ग – 7घ)				ख 7ड़	
8	अनिवासियों के लिए – किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।						
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (115कघ(1)(b)(iii) परंतुक के कॉलम 14)		8क			

ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख			
ग	ऊपर ख8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8क – 8ख)			ख8ग	
9	*अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है)*				
क	विर्निदिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क			
ख	*धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदिष्ट करें)*	9 ख			
ग	विर्निदिष्ट आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9 क – 9 ख)			ख 9 ग	
घ	विर्निदिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग			
ड़	*धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विर्निदिष्ट करें)*	9 ड़			
च	विर्निदिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9घ – 9 ड़)			ख 9 च	
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से				
क i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे				
क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	iक			
ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख			
ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
iii	कुल (iग + ii)	क iii			
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियॉ				
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
ग	शेष (10 क iii – ख iv)	10 ग			
घ	धारा 54 घ / 54 च /54 छ /54 छ क के अधीन कटौती *(मद घ में ब्यौरो विर्निदिष्ट करें) below)*	10 घ			
ड़	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (10ग - 10घ)			ख 10ड़	
11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-र्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की **उपयोग में नहीं लायी जा सकी** किसी राशि को उस व-र्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				

क्रम सं.	पूर्व व-र्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस व-र्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नही की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			व-र्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2017-18	54/54घ/54छ/54छक			
ii	2018-19	54ख			

ख	'क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख)		ख11	
12	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)		ख12	
क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य	ख12क1		
क2	धारा112ककेअंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य	ख12क2		
ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य	ख12ख		

13 एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलि है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

		क	**डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि**	ख13क	
		ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम	ख13ख	
	14		**आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ङ +ख2ङ +ख3ङ +ख4ङ + ख5च + ख6ग + ख7ङ + ख8च + ख9ग + ख9च + ख10ङ + ख11 + ख12 - ख13क)**	ख14	
ग			**" पूँजी अभिलाभ " शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 14)** *(शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)*	ग	
घ			पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना		
	1		**धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ड़ग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलें में निम्नलिखत ब्यौरे दें**		

क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v	
ग	धारा 54PÉ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v	
घ	धारा 54ड़ग के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घii	
	iii	विनिधान की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv	
ङ	धारा 54 SÉ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	ङii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	ङiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ङiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ङv	
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	चv	
छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष
	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii	
	iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छiv	

			v	दावाकृत कटौती की रकम	छv	
		ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)			
			i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जण की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
			ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
			iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
			iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
		झ	कुल दावाकृत कटौती (१क ३ १ख ३१ग ३१घ ३१ङ ३१च ३ १ छ ३ १ज)		1 झ	

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)

क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार		चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
				15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों			(अ3ङ*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ङ* + अ8ख*	(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ङ*+ आ5ग*+ आ7ङ*+ आ8ग *+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग* + आ2ङ* + आ3ङ* + आ6ग*+ आ9च*+ आ10ङ*+ आ11* + आ12ख*)	आ13ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ङ*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)								
iii		30%	अ5ङ* + अ8ख*								
iv		लागू दर	(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)								
v		डीटीएए दरें	अ9ख*								
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ4ङ*+ आ5ग*+ आ7ङ*+ आ8ग *+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)								
Vii		20%	(आ1ग*+ आ2ङ* + आ3ङ* + आ6ग*+ आ9च*+ आ10ङ*+ आ11* + आ12ख*)								
Viii		डीटीएए दरें	आ13ख								
Ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)										
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i – ix)										

इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(A1e* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(B1e* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।

ऊ

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					

	5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
	6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
	7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पण▶		कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है ।					

अनुसूची-112क	किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक	गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची-अन्य स्रोत **अन्य स्रोतों से आय**

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय **(1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)**					1	
	क	**लाभांश, सकल**				1क	
	ख	**ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv)**				1ख	
		i	बचत खाते से	खi			
		ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii			
		iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii			
		iv	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv			
		v	अन्य	खv			
	ग	**मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय**				1ग	
	घ	**धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)**				1घ	
		I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi			
		Ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
		Iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
		Iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
	ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ङ	
		क्र.सं.	प्रकृति			राशि	
		1	परिवार पेंशन				
		2					
			आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय **(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)**					2	
	क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत से आय				2क	
	ख	धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय **(खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)**				2ख	
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
	ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष				2ग	
		क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
	घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय *(घi से घxix का योग)*				2घ	
		i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा **115क(1)(क)(i)** के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घi			
		ii	धारा **115क(1)(क)(ii)** के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii			

		iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii			
		iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv			
		v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज – धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv			
		vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है – धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi			
		vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	PÉvii			
		viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय – धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	PÉviii			
		ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	PÉix			
		x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गइए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	PÉx			
		xi	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	PÉxi			
		xii	एफआईआई द्वारा बधपत्रों या धारा 194 ठग में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आय - धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	PÉxii			
		xiii	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर – धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	PÉxiii			
		xiv	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा115खखग के अधीन प्रभार्य	PÉxiv			
		xv	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	PÉxv			
		xvi	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	PÉxvi			
		xvii	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	PÉxvii			
		xviii	किसी अनिवासी भारतीय की विनिधान आय - धारा 115ङ के अधीन प्रभार्य	PÉxviii			
		xix	धारा 115क(1)(अ)(iiac) के तहत प्रभार्य धारा 194 थखक में संदर्भित लाभांश में वितरित आय	PÉxix			
	R	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति की पास थ्रु आय (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)				2R	
	SÉ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)				2SÉ	

	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ & 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2R एवं 2SÉ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)				
		व्यय/ कटौतियां (परिवार पेंशन के अलावा के मामले में)	3क(i)		
	क(ii)	धारा 57(iiक) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)	3क(ii)		
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओएस" की 1 ग में आय दी गई हो)	3ख		
	ग	धारा 57(1)के तहत ब्याज व्यय (यदि आय 1क में प्रस्तावित केवल तभी उपलब्ध)	3ग		
	घ	योग	3घ		
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम			4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ			5	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) – 3 + 4 + 5] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3*xi* को अंक ले जाए			6	

7	**अन्य स्त्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)**			7	
8	**दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय**				
	क	**प्राप्तियां**	8क		
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख		
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग		
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ		
	ङ	**अतिशेष (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करे)**		8ङ	
9	**"अन्य स्त्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)**			9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोंतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना				

क्रम सं.	अन्य स्त्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	लाभांश					
2	लाटरियों, क्रासवर्ड वर्ग पहेली, दौड़ों, खेलों, जुआं, सट्टेबाजी जो धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट है, में जीत के माध्यम से आय					

टिप्पण ► *कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें*

अनुसूची सीवाईएलए **चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे**

अग्रनीत की गई हानि का समायोजन

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रैंोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		*(अनुसूची ज त का 4)*	*(अनुसूची ख त की मद ड का का 2v)*	*(अनुसूची ण द का 6)*	
ii	वेतन	*(अनुसूची ध का 6)*				
iii	गृह संपत्तियां	*(अनुसूची ज त का 4)*				
iv	कारवार से आय (विर्निदिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	*(अनुसूची ख त का क38)*				
v	सट्टाबाजी से आय	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 3 ii)*				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 3 iii)*	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9 ii)*				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9 iii)*				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9iv)*				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9v)*				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9vi)*				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9vii)*				
xiii	डीटीएए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग छ की मद ड़ का 9viii*				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	*(अनुसूची ण ध का 6)*				
xv	दौड़ के घोड़ो के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	*(अनुसूची ण ध का 8 ड़)*				
Xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतो से आय	*(अनुसूची ण ध का 2च)*				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बीएफएलए **पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें**

अग्रनीत की गई हानि का समायोजन

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रैंोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यह्रास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)*				
ii	गृह संपत्तियां	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)*	*(ख / च गृह संपत्ति हानि)*			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)*	*(ख / च कारबार हानि स ट ट ोबाजी से भिन्न या विर्निदिष् ट कारबार हानि)*			
iv	सट्टेबाजी से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)*	*(ख / च सामान्य कारबार या स ट ट ोबाजी से हानि)*			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)*	*(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)*			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)*	*(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)*			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)*	*(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)*			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)*	*(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)*			

ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)*	*(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)*			
x	**10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ**	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)*	*(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)*			
xi	**20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ**	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)*	*(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)*			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)*	*(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)*			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)*				
xiv	**दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ**	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)*	*(घुड़ दौड़ोंä ºÉä JÉ / SÉ cÉÉÊxÉ)*			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से कराधेय आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)*				
xvi	**अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii +2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)**					
xvii	**कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii + 5xiii+ 5xiv + 5xv)**					

अनुसूची सीएफएल **भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे**

	क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्ष्यण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्ष्यण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
					कारोबार हानि अग्रनीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रनीत					
	1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
हानियों का अग्रनयन	i	2010-11										
	ii	2011-12										
	iii	2012-13										
	iv	2013-14										
	v	2014-15										
	vi	2015-16										
	vii	2016-17										
	viii	2017-18										
	ix	2018-19										
	x	2019-20										
	xi	2020-21										
	xii	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
	xiii	**अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन**		*(*अनुसूची बीएफएलए का *2ii)*			**(अनुसूची** बीएफएलए **का 2iii)**	**(अनुसूची** बीएफएलए **का 2iv)**	**(अनुसूची** बीएफएलए **का 2v)**			**(अनुसूची** बीएफएलए **का 2xiv)**
	xiv	**2021-22 (**चालू वर्ष हानियों को अग्रनीत**)**		*(*अनुसूची सीवाईएलए का *2xviii)*			**(अनुसूची** सीवाईएलए **का 3xviii)**	*(अनुसूची वीपी का ख43, यदि ve)*	*(अनुसूची वीपी का ग49, यदि ve))*	*(2x + 3x + 4x+5x)* अनुसूची सीजी के मद ड)	*(6x+7x + 8x)* अनुसूची सीजी के मद ड)	*(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - वीई)*
	xv	**आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि**										

अनुसूची अ.अ **धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते**

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			*(बीएफएलए का 3xvi)*			*(बीएफएलए का 4xvi)*	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.	लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव	
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव **I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** *(यदि सकारात्मक हो)*	
11 **ख**	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** *(यदि नकारात्मक हो)*	

अनुसूची - 10कक **धारा 10कक के अधीन कटौती**

धारा 10कक के अधीन कटौती

	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
क्र.स	**उपक्रम**	**वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विर्निर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है**	**क्र.स**	**कटौती की रकम**	
क	**उपक्रम संख्या 1**		**क**	*(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)*	
ख	**उपक्रम संख्या 2**		**ख**	*(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)*	
ग	**धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)**				**ग**

अनुसूची 80छ **धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे**

दान के ब्यौरे

क	**बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान**					
	आदाता का नाम और पता	**आदाता का पैन**	**दान की रकम**			**दान के लिए उपयुक्त रकम**
			नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i					

	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप मे रकम	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची द क अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतीयां संदान की पात्र रकम]

	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
				नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					

अनुसूची - 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (दूरसंचार सुविधा)	क 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
ख	धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ख1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		ख2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
ग	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	ग1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		ग2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
घ	धारा 80झक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत उत्पादन संयत्र का पुनरूज्जीवन) और धारा 80झक (4)(vi) में निर्दिष् ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण ने ट वर्क)	घ1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		घ2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
ङ	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2)				ङ

अनुसूची-80- झख धारा 80झख के अधीन क ट ०ा०्तियां

धारा 80झख के अधीन क ट ०ा०्तियां

क	जम्मू-कशमीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(4)]	क1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)*	
		क2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)*	
ख	मल् ट ०ाळप्लैक्स थियं ट रों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(7 क)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	*[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]*	
		ख 2	उपक्रम संख्या 2	*[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]*	
ग	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(7ख)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	*[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]*	
		ग 2	उपक्रम संख्या 2	*[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]*	
घ	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	*उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
ङ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ङ 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		ङ 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
च	पशुओं और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11क)]	च 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		च 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
छ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	छ 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		छ 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
ज	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11 ख)]	ज 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
		ज 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*	
झ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती [धारा 80झख(11ग)]	झ 1	उपक्रम संख्या 1	*[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]*	
		झ 2	उपक्रम संख्या 2	*[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]*	
ञ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से झ2 का योग)				ञ

अनुसूची-80- झग और 80झङ धारा 80झग और 80झङ के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन क ट ०ा०्तियां

क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ		क1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
			क2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ		ख1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
			ख2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ		ग1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
			ग1	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)*
घ	पूवोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*
			घक2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*

	घख	अरूणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घख2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घग 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घघ2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घङ 2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घच2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
			घछ2	उपक्रम संख्या 2	*(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)*		
	घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)				घज	
ङ	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ+ ग + घज)					ङ	

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती					
	कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित की गई					
क	80ग		ख	80गगग		
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)		
ङ	80गगघ(2)		च	80घ		
छ	80घघ		ज	80घघख		
झ	80ङ		ञ	80ङङ		
ट	80ङङक		ठ	80ङङख		
ड	80छ		ढ	80छछ		
ण	80छछग					
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)						1
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती					
	त	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ङ)			
	थ	80- झकख				
	द	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ङ)			
	ध	80- झखक				
	न	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ङ)			
	प	80ञक				
	फ	80ञकक	*(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II*			
	ब	80 थथख				
	भ	80 ददख				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)						2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
म	80 ननक		य	80ननख		
र	80प					

		भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (म, य और र का योग)	3	
	4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1 से 3 का योग)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर — **धारा 115अग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना**

	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1	
कुल कटौतियां	2	धारा 115अ(2) के अनुसार समायोजन				
	क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियाँ "अध्याय खू-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क			
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख			
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग			
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ			
	3	धारा 115अग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)			3	
	4	धारा 115अग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5औ (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)			4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा — **धारा 115अघ के अधीन कर जमा की संगणना**

1	निर्धारण वर्ष **2021-22** (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115अग के अधीन कर	1	
2	निर्धारण वर्ष **2021-22** (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3	

4 उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रनीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
Ii	2014-15					
Iii	2015-16					
Iv	2016-17					
V	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
Ix	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
x	योग					

5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट	5	
6	पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट	6	

अनुसूची - विर्निदिष्ट व्यक्तियों की आय — विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यसक बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रूपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर — **विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)**

	क्रम सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
विशेष दर	1	**111-** पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			*(अनुसूची ओएस का 2गiii)*	*(अनुसूची ओएस का 2गiv)*

2	111 क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए के 5vi *का भाग*)	
3	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटीसीजीसंदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए के 5vii का *भाग)*	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / यूनिटों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 5x का भाग)	
6	115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 5x का भाग)	
7	115क ग (विदेशी करंसी में क्रम किए गए बंधपत्रो या जीडीपी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घ ix का भाग)	
8	115 क ग क (जीडीआर पर विर्निदिष् ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 2घ ix का भाग)	
9	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ ii एस के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 5x का भाग)	
10	115 ङ (विर्निदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के 5x का भाग)	
11	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
12	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एसटीटी संदत्त है के विक्रय पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
13	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एसटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए के 5*ix का भाग)*	
14	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए के 5*xii का भाग)*	
15	115खख (ला ट री, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2क *का भाग*)	
16	115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69घ या 69घ के अधीन	☐	60	*(*अनुसूची ण ध के 2ख*)*	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	*(*अनुसूची खत का 3ड*)*	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	*(*अनुसूची णध का 2घxvi*)*	
18	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	*(*अनुसूची खत का 3च*)*	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	*(*अनुसूची णध का 2घxvii*)*	
19	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ण द के 2घviii का भाग)	
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय	☐		*(*अनुसूची ण ध के 2च *का भाग)*	
21	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 15% की दर पर प्रभार्थ होगा	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए के *5vi का भाग)*	
22	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा30% की दर पर प्रभार्थ	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए के *5vii का भाग)*	
23	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए के *5x का भाग)*	
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य		10	(अनुसूची बीएफएलए के *5ix का भाग)*	
25	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए के *5xi का भाग)*	
26	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा *(*ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा*)*	☐		*(*अनुसूची ण ध का 2ङ*)*	
			योग		

अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्म जिनमें भागीदार हैं

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं

	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ङ फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्थ न हो)

1	ब्याज से आय	1	

	2	i	**शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)**	i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii			
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	iii			
		iv	नियम **7, 7**क, **7**ख**(1), 7**ख**(1**क**)** और **8 (**अनुसूची बीपी की क्र.सं.**. 39)**	**iv**			
		v	वर्ष) i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (			2	
		vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरें दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)				
			क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है			
			ख	एकड़ मे कृषि भूमि की पैमाइश			
			ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व मे है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाएं)			
			घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)			
छूट प्राप्त आय	**3**	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				3	
	4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्थ नही है					

	क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)
	I						
	II						
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्थ नही है					

4		**4**	
5	कोई और आय कर प्रभार्थ नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)	**5**	
6	**योग (1+2+3+4+5)**	**6**	

अनुसूची पीटीआई धारा115 पक115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा **115**पक/**115**पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि**(7-8)**	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**(**ड्रॉप-डाउन दिया जाए**)**			**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कi	धारा **111**क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खi	धारा **112**क				
					खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा **10(23**चखख**)** के अधीन				
					ख	धारा **……**के अधीन				
					ग	धारा……..के अधीन				
2.				**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कi	धारा **111**क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खi	धारा **112**क				
					खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				

					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
ÉÊ] {{ÉhÉ ►	इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।										

अनुसूची टी.पी.एस.ए ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर

1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है							
2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा						
	ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार						
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर						
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)						
3	भुगतान किए गए कर							
4	निवल देय कर (2घ-3)							
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख		तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
6	बैक और शाख का नाम							
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत **भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत** (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर आय और कर राहत

क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - ट ०ाळआई में सम्मलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपल्बध कर राहत (ङ)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ०ाळएए का सुसंगत अनुछेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण ► *कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।*

अनुसूची टि.आर **भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा** (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बावत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग))	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विर्निदिष् ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	योग				
2	उस देश की बाबत जहां डीटीएए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (*1 (घ) के योग का भाग)*				2
3	उस देश की बाबत जहां डीटीएए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((*1 (घ) के योग का भाग)*				3

4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें			4	हां / नहीं
	क	कर प्रतिदाय की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई हैं
टिप्पण ►	*कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।*				

अनुसूची वि.आ. **भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा**

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

आ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												

(ii)												

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	*देश का नाम और कोड*	*जिप कोड*	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	जिससे	ÉÉ{iÉ हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृत्ति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)										

(ii)									

टिप्पण ►	**कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।**

अनुसूची 5क **पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी**

पति या पत्नी का नाम	
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार	
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा **44**कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है**?** अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।	हॉं/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा **92** अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है**?** अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।	हॉं/नहीं

	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	**पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम**	**(ii) की आय पर कटौती किए गए ट ०ाळडीएस की रकम प**	**पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित ट ०ाळडीएस**
	(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**
1	**गृह संपत्ति**				
2	**कारबार या वृत्ति**				
3	**पूंजी अभिलाभ**				
4	**अन्य स्रोत**				
5	**योग**				

अनुसूची कठ **वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)**

आस्ति और दायित्व के विवरण

क	**स्थावर आस्ति का ब्यौरा**			
क्रम सं0	**विवरण**	**पता**	**पिन कोड**	**रकम (लागत) रु0 में**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(i)				
(ii)				

ख	**जंगम आस्ति का ब्यौरा**	
क्रम सं0	**विवरण**	**रकम (लागत) रु0 में**
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	आभूषण, बुलियन आदि	
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति	
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान	
(iv)	वित्तीय आस्ति	**रकम (लागत) रु0 में**
	(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)	
	(ख) शेयर और प्रतिभूतियां	
	(ग) बीमा पॉलिसी	
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन	
	(ङ) हाथ नकदी	

ग	***भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज***		
क्रम सं0	**फर्मों / एओपी का नाम और पता**	***फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या***	**लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारिती का विनिवेश**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
(i)			
(ii)			
घ	**आस्तयों (कःखःग) के संबंध में दायित्व**		

टिप्पण ►	***इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।***

अनुसूचि जीएसटी **जीएसटी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना**

जी एस टी का ब्यौरा

क्रम. सं.	जीएसटी आई एन संख्या	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण	**कृपया प्रत्येक जीएसटी आई एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।**

भाग - ख

भाग ख - कुल आय **कुल आय की संगणना**

1	**वेतन** *(अनुसूची ध का 6)*			1	
2	**गृह संपत्ति से आय** *(अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)*			2	
3	**कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ**				
	i	**स ट त ट ों के कारबार और विनिर्दिष् ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ** *(अनुसूची-का.वृ. का क38)*	3i		
	ii	**स ट त ट ों के कारबार से लाभ और अभिलाभ** [अनुसूची बीपी की तालिका ड के *3 (ii)]* *(यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनूसूची ग च ठ से अंक लें)*	3ii		
	iii	**विनिर्दिष् ट कारबार से लाभ और अभिलाभ** [अनुसूची बीपी की तालिका ड के *3 (iii)]* (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii		
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्थ आय (अनुसूचि ख त के ड 3 और 3 च)	3iv		
	V	**योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv)** *(यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)*		3v	
4	**पूंजी अभिलाभ**				
	क	**अल्पकालिक**			
	i	**अल्पकालिक प्रभार्य @ 15%** *(अनुसूचि ग छ की मद ङ का 9 ii)*	क i		
	ii	**अल्पकालिक प्रभार्य @ 30%** *(अनुसूचि ग छ की मद ङ का 9 iii)*	क ii		
	iii	**लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य** *(अनुसूचि ग छ की मद ङ का 9iv)*	क iii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्थ (अनुसूचि ग छ के मद ङ का 9**v**)	क iv		
	v	**अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)**	4 क v		
	ख	**दीर्घकालिक**			
	i	**दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10%** *(अनुसूचि ग छ की मद ङ का 9 vi)*	खi		
	ii	**दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20%** *(अनुसूचि ग छ की मद ङ का 9 vii)*	खii		
	Iii	डीटीएए के अनुसार भारत मे विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्थ (अनुसूची ग छ के मद ङ का 9 **viii)**	खiii		
	iv	**दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खiii)** *(यदि हानि है तो शून्य भरे)*	4खiv		
	ग	**कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv)** *(यदि हानि है तो शून्य भरे)*		4 ग	
5	**अन्य स्रोतों से आय**				
	क	**अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्थ (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)**	5 क		
	ख	**विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय** *(अनुसूचि ण ध का 2)*	5 ख		
	ग	घुडदोड के ***स्वामिस्व*** और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से **आय** *(अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)*	5 ग		
	घ	**कुल (5 क + 5 ख + 5 ग)** *(यदि हानि है तो शून्य भरे)*		5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल **(1 + 2 + 3v +4 ग +5 घ)**			6	
7	**6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां** *(अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)*			7	
8	**चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 – 7)** *(*अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम *5* के क्रम संख्या *(ii)* से *(xv)*का योग *+ 5*ख *+ 3iv)*			8	
9	**8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रनीत हानियां** *(अनुसूची खचठ क के 2xvi,3xvi और 4xvi का योग)*			9	
10	**सकल कुल आय (8-9)** *(*और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम *5* के क्रम संख्या *(i)* से *(xiv)* का योग *+ 5*ख *+ 3iv)*			10	
11	**धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है**			11	
12	**अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ**				
	क	**अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ** [*अनुसूची 6क का (1+3) और (*बीएफएलए का*i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5*]*तक सीमित]*		12क	
	ख	**अनुसूची 6क का भाग ग** [*अनुसूची 6क का 2 और* बीएफएलए का *iii5 तक सीमित]*		12ख	
	ग	**कुल (12क + 12ख)** *(10-11) तक सीमित)*		12ग	
13	**धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसची 10 क क का ग)**			13	
14	**कुल आय (10 -12ग -13)**			14	
15	**आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के *(i)* का योग)**			15	
16	**दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय** *(अनुसूची इआई का 3)*			16	
17	**कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)**			17	
18	**अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां** *(अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)*			18	
19	धारा 115अग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)			19	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व **कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना	1	क	**धारा 115 ञ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)**			1क	
		ख	**(क) पर अधिभार** (यदि लागू है)			1 ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1 ग	
		घ	**समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर** *(1क +1ख +1 ग)*			1 घ	
	2	**कुल आय पर संदेय कर**					
		क	**भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर**	2क			
		ख	**विशेष दरों पर कर** *(अनुसूची द झ का (ii) का योग)*	2ख			
		ग	**कुषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)**	2ग			
		घ	**कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)**			2घ	
		ड	**धारा 87क के अधीन रिबे ट**			2ड	
		च	**रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)**			2च	
		छ	***अधिभार***	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ	
			i **अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत**	2छ i		iक	
			ii अनुसूची एस आई की **2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii)** के अनुसार 10%या 15% की दर पर	2छ ii		iiक	
			iii **[(2च) –** (अनुसूची एसआई के **17(ii), 2(ii),3(ii), 9(ii) 12(ii), 22(ii), 24(ii))]**पर	2छ iii			
			iv **कुल (iक + iiक)**			2छiv	
		ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)			2ज	
		झ	**कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)**			2झ	
	3	**कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)**				3	
	3क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर				3क	
	3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				3ख	
	4	**पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)**				4	
	5	**धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)**				5	
	6	**कर राहत**					
		क	**धारा 89** (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क			
		ख	**धारा 90 या धारा 90क** (अनुसूची ल द का 2)	6ख			
		ग	**धारा 91** (अनुसूची ल द का *3*)	6ग			
		घ	**कुल (6क + 6ख + 6ग)**			6d	
	7	**शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ)** *(शून्य भरे यदि नकारात्मक है)*				7	
	8	ब्याज और फीस देय					
		क	**विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए** ब्याज **(धारा 234क)**	8क			
		ख	**अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए** ब्याज **(धारा 234ख)**	8ख			
		ग	**अग्रिम कर के आस्थगन के लिए** ब्याज **(धारा 234ग)**	8ग			
		घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च)	8घ			
		ङ	कुल ब्याज और फीस देय **(8क +8ख +8ग + 8घ)**			8ङ	
	9	**औसत दायित्व (7 + 8ङ)**				9	
संदत्त कर	10	**संदत्त कर**					
		क	**अग्रिम कर** (17 क् के स्तंभ 5 से)	10क			
		ख	**स्रोत पर कर की कटौती** *(*18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख			
		ग	**टीसीएस** *(*17घ का स्तंभ *7)*	10ग			
		घ	**स्वतः निर्धारण कर** *(*17केस्तंभ 5 से*)*	10घ			
		ङ	**संदत्त कुल कर (10क +10ख +10ग)**			10ङ	
	11	**संदेय रकम** ***(यदि 10ङ से अधिक है तो 9 प्रविष् ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष् ट करें)***				11	

12	प्रतिदाय *(यदि 10ङ 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोइ है, तो सीधे बैंक खाते में जोड दिया जायेगा)*	12	
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)		हां या नहीं का चयन करें

i. क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)

बैंक खाता

क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं(
i				
ii				

नोट:

1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए

2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा

आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है

ii. ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं

क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
1.				

14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय)i (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।)ii (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या)iii (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (	☐ हां ☐ नहीं

15 **यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:**

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		**16**	

17 **अनुसूची-आयकर**

क **आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे**

कर संदाय

क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				

टिप्पण ► **भाग ख - ट ाळ ट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।**

ख **वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]**

वेतन से स्रोत पर कर कटौती

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

टिप्पण ► कृपया *भाग ख - ट ाळ ट ाळआई* के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का *योग प्रविष्ट करें।*

ग	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख / 16ग/16घ के अनुसार]															
क्रम. सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरार दार या क्रेता का पैन/ आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस		मौजूदा वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण			टी.डी.एस प्रत्यय अग्रनीत किया जा रहा है।
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वंय द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)		स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)			सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/ परिग्रह दी गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)			(11)	(12)	(13)	(14)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार संख्या				
i																
टिप्पण ► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग – ख –टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।																

घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)							
टीसीएस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रनीत किया गया अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्तयी वर्ष का ट ाळसीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)	अग्रनीत की जा रही (5) या (6) से रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रण किया गया	रकम बी एफ			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
	टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।							

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... *(ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है)* की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख **हस्ताक्षर**

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी [(एलएलपी से भिन्न) व्यष्टिकों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और प्रमों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कङ के अधीन की जाती है] [किसी व्यष्टि के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो या असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो या इएसओपी में आयकर भिन्न है।] (पात्रता के लिए अनुदेश)	निर्धारण वर्ष 2021-22

भाग क साधारण जानकारी

(ए.1) प्रथम नाम	(ए.2) मध्य नाम	(ए.3) अंतिम नाम	(ए.4) स्थायी लेखा संख्या
(ए.5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)	(ए.6) फ्लैट /द्वार /भवन		
(ए.7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(ए.8) मार्ग/गली /डाक-घर		(ए.9) क्षेत्र/अवस्थान
(ए.10) नगर/ शहर/ जिला	(ए.11) राज्य	(ए.12) देश	(ए.13) पिन कोड/जिप कोड
(ए.14) आधार नम्बर (*12* अंक)/ आधार नामांकन आईडी (*28* अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)			(ए.15) प्रास्थिति ☐ व्यष्टि ☐ हि.अवि.कु. ☐ फर्म (एलएलपी से भिन्न)
मोबाईल न0 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं0	(ए.17) मोबाइल नं0 2		(ए.18) ई मेल पता - 1 (स्वयं) ई मेल पता - 2

(ए.19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्र सरकार ☐ राज्य सरकार. ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ पेंशनभोगी ☐अन्य ☐ लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)

(ए.20) धारा ... के अधीन फाइल की गई *(सही का निशान लगाएं)* *[कृपया अनुदेश देखिए]*	☐ 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, ☐ 139(4) नियत तारीख के पश्चात् , ☐ 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, ☐119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ 139(9) ☐ 142 (1) ☐ 148 ☐ 153क ☐ 153ग
(ए.21) *यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)*	/ /
(ए.22) **यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।**	/ /
क्या आप धारा **115** ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? ☐ हां ☐ नहीं यदि हाँ , कृपया पावती क्रमांक के साथ प्रपत्र 10-Iअ दाखिल करने की तारीख प्रस्तुत करें	

क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परंतु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (√) · हां · नहीं
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें
[नोटः यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]

क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?	(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)

A.23 क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है () लागएं हां ☐ नही ☐ यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -

(1)	प्रतिनिधि का नाम
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत
(3)	प्रतिनिधि का पता
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार

भाग ख - सकल कुल आय केवल संपूर्ण (₹) में

ख1		व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण--अनुसूची बी पी की ङ 8 से मूल्य प्रवि-ट करें ।)			ख1	
ख2	i	सकल वेतन (iक + iख + iग)			i	
वेतन/पेंशन		क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक			
		ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख			
		ग धारा 17(3) के अनुसार	iग			
	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता *(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)* [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]			ii	
	iii	शुद्ध वेतन (i -ii)			iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)			iv	
		क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटोतियां	ivक			
		ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख			
		ग धारा 16*(iii)* के अधीन वृत्तिक कर	ivग			
	v	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) *(टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)*			ख 2	

ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझी गई ☐					
गृह संपत्ति	I	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य			i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii			
	iii	वार्षिक मूल्य **(i – ii)**	iii			
	iv	वार्षिक मूल्य का **30%**	vii			
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	viii			
	vi	वर्ष के दौरान 30**%** से न्यून प्राप्त बकाया किराया	x			
	vii	'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय **(vi- ix + x)** *(यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं)* नोटः आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।			ख 3	
ख4	**अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते ,जमा आदि से ब्याज ई-फाईलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।**)– **टिप्पण- "**अनुसूची टी.डी.एस 2**"** को भरना सुनिश्चित करें**,** यदि लागू हो					
	कम करें **:** धारा **57(ii**क**)** के अधीन कटौती *(केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)*				ख4	
ख 5	**सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4)** क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें				ख 5( )	

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें और याद रखे कि 01-04-2020 से 31-07-2020 की अवधि के लिए निवेश **/**जमा **/**भुगतान के संबंध में कटौती का दावा फिर से नहीं किया जा सकता**,** यदि मूल्यांकन वर्ष 20-21 के लिए पहले की आहरित किया गया है।**)**

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)	
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)	
ग 7	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)		ग 8	80 घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)		ग 9	80ङ	
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख	
ग 13	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)		ग 14	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में ब्यौरें भरे जाएं)		ग 15	80छछग	
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प	

ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)	ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)	ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.।	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेन (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8	
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9	
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10	
घ 11	धारा 234च के अधीन शुल्क	घ 11	
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13	
घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	

	घ 17	कुल पूर्व संदत्त कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
	घ 18	कुल संदेय (घ12 – घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
	घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
	घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण – यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	

बैंक खाता

घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण			
क्र०सं०	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
i				
ii				

1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

अनुसूची बी.पी. – कारबार या वृत्ति से आय के ब्यौरे

धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना

क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			

ङ 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां			
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता चैक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रानिक किल्यरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलैक्ट्रानिक मोड प्राप्त किया गया	ङ 1क	
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ङ 1ख	
ङ 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय			
	क	ङ 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ङ 2क	
	ख	ङ 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ङ 2ख	
	ग	कुल (क + ख)	ङ 2ग	
	नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिश तसे कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			

धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना

क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			

ङ 3	सकल प्राप्तियां	ङ 3	
ङ 4	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (ङ3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है	ङ 4	

धारा 44कङ के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना

क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			

	निर्धारित के स्वामित्व वाले माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं0	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी0ट0 में)	मासों की संख्या, जिनमें माल वाहन स्वामित्व में रहा है	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणातमक आय (12 मी0ट0 से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से	माल वाहन की दशा में कुल उपधारणातमक आय (3*4)	आय, जिसका माल वाहन की दशा में वास्तव में अर्जित करने का दावा किया गया है	धारा 44कङ के अधीन उपधारणातमक आय, (5) या (6) में से उच्चतर
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)							
(ख)							

आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)

ङ 5	धारा 44कङ के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड़ के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।	ङ 5	
ङ 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण– यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	ङ 6	
ङ 7	धारा 44 कङ (ङ5 – ङ6) के उपधारणात्मक आय	ङ 7	
ङ 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (R 2MÉ + R 4+ R 8)	ङ 8	

माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-			
ङ 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)	ङ 9	
ङ 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	ङ 10	

कारबार की वित्तीय विशि-टियां **टिप्पण**--ङ 11 से ङ 25 के लिए, 31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)			
ङ 11	पूंजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य	ङ 11	
ङ 12	निश्चित ऋण	ङ 12	
ङ 13	अनिश्चित ऋण	ङ 13	
ङ 14	अग्रिम	ङ 14	
ङ 15	नानाविध ऋणदाता	ङ 15	
ङ 16	अन्य देनदारियां	ङ 16	
ङ 17	कुल पूंजी एवं देनदारियां **(R 11 + R 12 + R 13 + R 14 + R 15 + R 16)**	ङ 17	
ङ 18	अचल परिसंपत्तियां	ङ 18	
ङ 19	संपति सूची (इन्वेंटरी)	ङ 19	
ङ 20	नानाविध कर्जदार	ङ 20	
ङ 21	बैंकों के साथ शेष	ङ 21	
ङ 22	नकद	ङ 22	
ङ 23	ऋण तथा अग्रिम	ङ 23	
ङ 24	अन्य परिसंपत्तियां	ङ 24	
ङ 25	कुल परिसंपत्तियां **(R 18 + R 19 + R 20 + R 21 + R 22 + R 23 + R 24)**	ङ 25	
नोट ▶	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें ***(ई15, ई19, ई20, ई22 अनिवार्य है और अन्य यदि उपलब्ध हैं)***		

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

	बीएसआर कोड (स्तंभ 1)	निक्षेप की तारीख (स्तंभ 2)	चालान सं. (स्तंभ 3)	संदत्त कर (स्तंभ 4)
आर 1				
आर 2				
आर 3				
टिप्पण▶	घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रवि-ट करें ।			

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररुप 27घ के अनुसार]

क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर सग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
	टिप्पण ▶ कृपया PÉ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ *(5)* की प्रविष्टि करें				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररुप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण-- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें ।				

अनुसूची--स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - **वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररुप 16क या प्रस्तुत प्ररुप 16ग और प्ररुप 16घ के अनुसार**

क्र. सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन/ आधार सं.	अग्रेषित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती		चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुरूपी रिसीट/ आहरण		अग्रेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अग्रेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								

ii								
टिप्पण ▶	कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।							

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं/रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान | **तारीख** | **यहां हस्ताक्षर करें➔**

केवल शासकीय कार्य के लिए

यहा प्राप्ति नं0 की स्टंप लगाए	प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप आ.क.वि-5

भारतीय आयकर विवरणी

(i) **व्यष्टि** (ii) **हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब** (iii) **कंपनी और** (iv) **प्ररुप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति]**

(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)

(कृपया अनुदेश देखें)

निर्धारण व-र्ा

2	0	2	1	-	2	2

भाग क-साधारण साधारण

व्यक्तिगत जानकारी

नाम	**स्थायी लेखा संख्यांक**
क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	**एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,**
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0 / **परिसर/भवन/ग्राम का नाम**	***विरचना की तारीख (दि.मा.व)*** / कारबार प्रारंभ होने की तारीख (***दि.मा.व)***
सड़क/गली/डाकघर / क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी), ☐
नगर/शहर/जिला / राज्य / देश	**पिनकोड/** जिप कोड
निवास/कार्यालय का फोन नं0 एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं0 1	**मोबाइल सं0 2**
ई-मेल पता-1	**ई-मेल पता-2**

फाइल करने की प्रास्थिति

(क)	धारा के अधीन फाइल **(सही का निशान लगाएं)** *[कृपया अनुदेश देखें]*	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ **139(4)-** विलंबित, ☐**139(5)-** पुनरीक्षित, ☐92गघ-उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ **139(9),** ☐ **142(1),** ☐ **148,** ☐ **153क,** ☐**153ग**
	क्या आप एक कारबार न्यास हैं**?**	☐ हां ☐ नहीं
	क्या आप धारा 115 पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं**?**	☐ हां ☐ नहीं
(ख)	*यदि* पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए *सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति स*0 + *ौर फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-र्ा)*	/ /
(ग)	**यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर / दस्तावेज पहचान संख्या(डीआईएन) और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें**	**(यूनिक नंबर)** / /
(घ1)	क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं**?** ☐ हां ☐ नहीं	
(घ2)	**यदि घ हां है कृपया प्रस्तुत करें।**	**प्रपत्र 10 झच दि/मा/व** / पावती क्रमांक**:**
(ड.)	निवास संबंधी प्रास्थिति **(**सही का निशान लगाएं**)** ☑ ☐ निवासी ☐ अनिवासी	
(च)	**क्या निर्धारिती अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त करता है?** (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं	
(छ)	**क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं**	☐ हां ☐ नहीं
(ज)	**यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें**	
(झ)	**क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?**	☐ हां ☐ नहीं
(ञ)	**यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें**	
(ट)	अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है **(**सही का निशान लगाएं**)** ☑ ☐ हां ☐ नहीं	

(ठ)	**क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।**	
(ड)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--	
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
	(2)	**प्रतिनिधि की हैसियत (*ड्राप डाउन उल्लिखित करें*)**
	(3)	प्रतिनिधि का पता
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ **आधार संख्या**

(ढ)	**क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें**	
	फर्म का नाम	**स्थायी लेखा संख्यांक**

(ण)	**क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं** **यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें**

कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
			अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

संपरीक्षा जानकारी

क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं	
क 2	**क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**	
क2i	**यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री/ कारोबार/ व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**	
क2ii	**यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**	
क 2iii	**यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल मिलाकर, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है ?(निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**	
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें	
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख**(निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं** ाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं,	
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /
	(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
	(iv)	लेखा परीक्षक का **नाम (संपत्तिक/** फर्म)
	(v)	संपत्तिक/ फर्म) रजिस्ट्रीकरण संख्या
	(vi)	संपत्तिक/फर्म) लेखा परीक्षक **का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या**
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख
(घां)	**क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? ☐ हां ☐ नहीं**	
(घii)	**यदि घझ हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया**	☐ हां ☐ नहीं / **लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व**
(घiii)	**यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें,** (कृपया अनुदेश देखें)	

	क्रम संख्यांक.	सेक्शन कोड / तारीख **(दिन/मास/वर्ष)**

(ङ)	**यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?**			
	अधिनियम और धारा	**(दिन/मास/मास)**	**अधिनियम और धारा**	**(दिन/मास/मास)**

भागीदार/ सदस्य/ न्यास की सूचना

अ.	क्या पूर्ववर्ष के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के ब्यौरे दें) **यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे उपबंधित करें।**				
	क्र.सं.	**भागीदार/सदस्य का नाम**	**प्रवेश/निवृति**	**प्रवेश/निवृति की तारीख**	**अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)**
	1.				
	2.				
आ	**क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है?** (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं				
इ	**यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें** (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ ☐				

	ख.	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं
	उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2020 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार /सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था

क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागिदार की दशा में , अभिहित भागिदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूंजी पर ब्याज की दर	*संदत्त/संदेय पारिश्रमिक*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए

च		धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है	
	1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रुप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):	
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखत: उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
	(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रुप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रुप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं

कारबार का स्वरूप

छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
(i)			
(ii)			

भाग क- बीएस 31 मार्च, 2021 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत

अ	निधियों के स्रोत				
1	भागीदार/सदस्यता निधि				
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी		क	
	ख	आरक्षितियां और अधिशे-ा			
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi		
	ii	पूंजी आरक्षिति	खii		
	iii	कानूनी आरक्षिति	खiii		
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शे-ा	खv		
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)		खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)		1ग	
2	ऋण निधि				
	क	प्रतिभूत ऋण			
	i	विदेशी करेंसी में ऋण	कi		
	ii	रुपए में ऋण			
	अ	बैंकों से	iiअ		
	आ	अन्य से	iiआ		

				इ	योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ			
			iii		कुल प्रतिभूत ऋण (कi+ii ई)			कiii	
		ख			अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)				
			i		विदेशी मुद्रा ऋण	कi			
			ii		रुपया ऋण				
				अ	बैंकों से ऋण	iiअ			
				आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दि-ट व्यक्तियों से	iiआ			
				इ	अन्य से	iiइ			
				ई	कुल रुपया ऋण (ii+I+ii+II+ii इ)	iiई			
			iii		कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			खiii	
		ग			कुल ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग	
	3				आस्थगित कर दायित्व			3	
	4				अग्रिम				
	i				आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दि-ट व्यक्तियों से	i			
	ii				अन्य से	ii			
	iii				कुल अग्रिम (i+ii)			4iii	
	5				निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)			5	
	आ				निधियों का उपयोजन				
निधियों का उपयोजन	1				नियत आस्तियां				
		क			सकल :ब्लॉक	1क			
		ख			अवक्षयण	1ख			
		ग			शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग			
		घ			प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ			
		ङ			योग (1ग+1घ)			1 ङ	
	2				विनिधान				
		क			दीर्घकालिक विनिधान				
			i		संपत्ति में विनिधान	i			
			ii		साम्या लिखत				
				अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ			
				आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ			
				इ	योग	iiइ			
			iii		अधिमानी शेयर	iii			
			iv		सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv			
			v		डिबेंचर या बंधपत्र	v			
			vi		पारस्परिक निधियां	vi			
			vii		अन्य	vii			
			viii		कुल दीर्घकालिक विनधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)			कviii	
		ख			अल्पकालिक विनिधान				
			i		साम्या लिखत				
			अ		सूचीबद्ध साम्या	iअ			
			आ		असूचीबद्ध साम्या	iआ			
			इ		योग	iइ			
		ii			अधिमानी शेयर	ii			
		iii			सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii			
		iv			डिबेंचर या बंधपत्र	iv			
		v			पारस्परिक निधियां	v			
		vi			अन्य	vi			
		vii			कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)			खvii	
		ग			कुल विनिधान (कviii+खvii)			2ग	

	3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम								
		क	चालू आस्तियां							
			i	सूचियां						
				अ	कच्चा माल		iअ			
				आ	प्रगतिगत स्टाक		iआ			
				इ	तैयार माल		iइ			
				ई	व्यापारगत स्टाक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)		iई			
				उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य		iउ			
				ऊ	खुले औजार		iऊ			
				ए	अन्य		iए			
				ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+i उ+iऊ+iए)				iऐ	
			ii	विविध देनदार						
			अ	एक से वर्ष से अधिक के लिए बकाया			iiअ			
			आ	अन्य			iiआ			
			इ	कुल विविध लेनदार					iiइ	
			iii	नकदी और बैंक अतिशेष						
				अ	बैंक में अतिशेष		iiiअ			
				आ	हाथ में नकदी		iiiआ			
				इ	अन्य		iiiइ			
				ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)				iiiई	
			iv	अन्य चालू आस्तियां					कiv	
			v	कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)					कv	
		ख	ऋण और अग्रिम							
			i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम			खi			
			ii	निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य			खii			
			iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष			खiii			
			iv	योग (खi + खii +खiii)					खiv	
			v	खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए है						
				क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए		vक			
				ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं		vख			
		ग	योग (कv+खiv)						3ग	
		घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध							
			i	विद्यमान दायित्व						
				अ	विविध लेनदार					
					1	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1			
					2	अन्य	2			
					3	योग (1+ 2)	अ3			
				आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व		iआ			
				इ	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध्य		iइ			
				ई	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध्य नहीं		iई			
				उ	अग्रिम में प्राप्त आय		iउ			
				ऊ	अन्य संदेय		iऊ			
				ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+i ऊ)				iए	
			ii	उपबंध						
				अ	आयकर के लिए उपबंध		iiअ			
				आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध		ii आ			
				इ	अन्य उपबंध		ii इ			

				ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)			iiई	
			iii		योग (iउ+ iiई)			घiii	
		ङ			शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)			3ङ	
	4	क			अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
		ख			आस्थगित कर आस्ति	4ख			
		ग			लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-ा	4ग			
		घ			योग (4क + 4ख + 4ग)			4घ	
	5				निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ +4घ)			5	
लेखा न होने की दशा	ग				उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारबार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1			विविध देनदारों की कुल रकम			ग1	
		2			विविध लेनदारों की कुल रकम			ग2	
		3			व्यवसायगत स्टाक की कुल रकम			ग3	
		4			नकद अतिशे-ा की रकम			ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

	1				विनिर्माण लेखा के लिए विकलन				
		क			आरंभिक सूची				
			i		कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टाक	i			
			ii		प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टाक	ii			
			iii		योग (i + ii)			कiii	
		ख			क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख	
		ग			प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
		घ			प्रत्यक्ष व्यय(घi + घii + घiii)			घ	
			i		आवक वहन व्यय	i			
			ii		बिजली और ईंधन	ii			
			iii		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
		ङ.			कारखाना अधिव्यय				
			i		अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
			i		कारखाना किराया और दर	ii			
			iii		कारखाना बीमा	iii			
			iv		कारखाना ईंधन और बिजली	iv			
			v		कारखाना साधारण व्यय	v			
			vi		कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi			
			vii		योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङ.vii	
		च			विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ङ.vii)			च	
	2				अंत स्टाक				
		i			कच्ची सामग्री	2i			
		ii			प्रगति रत कार्य	2ii			
					योगI (2i +2ii)			2	
	3				उत्पादित माल की लागत –व्यापार लेखा में अंतरित(1च-2)			3	

भाग अ- व्यापार लेखा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार लेखा ***(जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)***

व्यापार लेखा में जमा	4				प्रचालन से राजस्व				
		क			विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)				
			i		माल का विक्रय	i			
			ii		सेवाओं का विक्रय	ii			
			iii		अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				

				क		iiiक			
				ख		iiiख			
				ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग			
			iv		योग (i + ii + iiiग)			कiv	
		ख			वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख	
		ग			विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
			i		संघ उत्पाद शुल्क	i			
			ii		सेवा कर	ii			
			iii		वैट/विक्रय कर	iii			
			iv		**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	iv			
			v		**राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)**	v			
			vi		**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	vi			
			vii		**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर** (यूटीजीएसटी)	vii			
			viii		कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii			
			ix		योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix	
		घ			प्रचालन से कुल राजस्व(कiv + ख +गix)			4घ	
	5				तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5	
	6				व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)			6	
व्यापार लेखा से विकलन	7				तैयार मालों का आरंभिक स्टाक			7	
	8				क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8	
	9				प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i			आवक वहन व्यय	i			
		ii			बिजली और ईंधन	ii			
		iii			अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii			
	10				माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i			सीमा शुल्क	10i			
		ii			प्रति शुल्क	10ii			
		iii			विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		iv			संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
		v			सेवा कर	10v			
		vi			वेट/विक्रय कर	10vi			
		vii			केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
		viii			राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
		ix			एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
		x			संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
		xi			संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
		xii			योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
	11				उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित			11	
	12				कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित			12	

भाग अ-लाभ और हानि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13				13	
	14					
		i		i		
		ii		ii		
		iii		iii		
		iv		iv		

		v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ		v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ		vi		
		vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ		vii		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढाव के कारण अभिलाभ (हानि)		viii		
		ix	धारा 28(viक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)		ix		
		x	कृषि-आय		x		
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क		xiक		
			ख		xiख		
			ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
		xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xiग)			14xii	
	15		लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)			15	
	16		जावक भाड़ा व्यय			16	
	17		भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			17	
	18		बिजली और ईंधन			18	
	19		किराया			19	
	20		भवन की मरम्मत			20	
	21		मशीनरी की मरम्मत			21	
	22		कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी		22i		
		ii	बोनस		22ii		
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति		22iii		
		iv	छुट्टी नकदीकरण		22iv		
		v	अवकाश यात्रा लाभ		22v		
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय		22vi		
		vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय		22vii		
		viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय		22viii		
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय		22ix		
		x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है		22x		
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)			22xi	
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है		xiiक	हां / नहीं	
			यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम		xiiख		
	23		बीमा				
		i	चिकित्सा बीमा		23i		
		ii	जीवन बीमा		23ii		
		iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा		23iii		
		iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा		23iv		
		v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
	24		कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय			24	
	25		मनोरंजन			25	
	26		आतिथ्य			26	
	27		सम्मेलन			27	
	28		प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)			28	
	29		विज्ञापन			29	
	30		कमीशन				
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त		i		
		ii	अन्यों को		ii		

लाभ और हानि लेखा से विकलन

	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग l (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास			33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय			34	
35	विदेश यात्रा व्यय			35	
36	प्रवहण व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	उत्सव समारोह व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)		44x	
45	संपरीक्षा फीस			45	
46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक			46	
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		47iii	
48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)				
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii)		48iv	
49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध			49	
50	अन्य उपबंध			50	

	51	ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]		51	
	52	ब्याज			
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर संदत्त या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)		52iii	
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		53	
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 – 52iii – 53)		54	
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	55	चालू कर के लिए उपबंध		55	
	56	आस्थगित कर का प्रावधान		56	
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)		57	
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अतिशेष		58	
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)		59	
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित		60	
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रनीत अतिशेष (59 – 60)		61	
उपधारणात्मक आय मामले	62	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)			

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (iक + iख)		62i	
क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	iक		
ख	किसी अन्य ढंग से	iख		
(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (iiक+ iiख)		62ii	
क	62iक का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक		
ख	62iख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख		

टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है

63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधारणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)		

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

(i)	सकल प्राप्तियां	63i	
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)	63ii	

टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है

64 धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/ पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम , जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
			कुल		

यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)

(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधारणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]	64(ii)	
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक	64(iii)	
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधारणात्मक आय (ii-iii)	64(iv)	

टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।

लेखारहित मामला	65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
	(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए		
	a	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iक	

			1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2	किसी अन्य ढंग से	क2			
		ख		सकल लाभ	iख			
		ग		व्यय	iग			
		घ		शुद्ध लाभ			65i	
		(ii)		वृत्तिरत निर्धारिती के लिए				
		क		सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	iiक			
			1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1			
			2	किसी अन्य ढंग से	क2			
		ख		सकल लाभ	iiख			
		ग		व्यय	iiग			
		घ		शुद्ध लाभ			65ii	
		(iii)		कुल लाभ (65i + 65ii)			65iii	
66		i		सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन			66i	
		ii		सकल लाभ			66ii	
		iii		व्यय, यदि कोई हो			66iii	
		iv		सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)			66iv	

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी *(यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)*

अन्य जानकारी

1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति		(चिह्नित करें) ☑ ☐ वाणिज्य ☐ नकद		
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है		(चिह्नित करें) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]			3क	
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]			3ख	
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति				
	क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			☐
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति मे कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखे और यदि नहीं तो 2 लिखें)			
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी		4 घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि		4ङ	
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-				
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क		
	ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख		
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ		
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखे में विकलित रकम				
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम *[36(1)(i)]*	6क		
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम *[36(1)(i ख)]*	6ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी *[36(1)(ii)]*	6ग		
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम *[36(1)(iii)]*	6घ		
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम *[36(1)(iiiक)]*	6ङ		
	च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम *[36(1)(iv)]*	6च		
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम *[36(1)(iv)]*	6छ		
	ज	धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम *[36(1)(iv क)]*	6ज		
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम *[36(1)(v)]*	6झ		

	ञ		किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम *[36(1)(v)]*	6ञ			
	ट		किसी भवि-य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधी में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि *[36(1)(v क)]*	6ट			
	ठ		डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम *[36(1)(vii)]*	6ठ			
	ड		डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध *[36(1)(vii क)]*	6ड			
	ढ		किसी विशे-ा आरक्षिती में अंतरित रकम *[36(1)(viii)]*	6ढ			
	ण		कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय *[36(1)(ix)]*	6ण			
	त		प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है । *[36(1)(xv)]*	6त			
	थ		धारा 145(2) [36(1)(**xviii**) के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ			
	द		सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(*xvii)]*	6 द			
	ध		कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध			
	न		धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)			6 न	
	प		नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यताप्राप्त भवि-य निधि के मामले में बाध्यकारी)				
		i	भारत में तैनात	i			
		ii	भारत से बाहर तैनात	ii			
		iii	योग	iii			
7			धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें				
	क		पूंजी प्रकृति का व्यय *[37(1)]*	7क			
	ख		व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय *[37(1)]*	7ख			
	ग		व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है *[37(1)]*	7ग			
	घ		किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय *[37(2 ख)]*	7घ			
	ङ		तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ			
	च		कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च			
	छ		ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ			
	ज		आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज			
	झ		धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ			
	ञ		धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)			7ञ	
8	अ		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
		क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
		ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क) (iक) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख			
		ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग			
		घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ			
		ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम *[40(क)(ii)]*	अङ			
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम *[40(क)(ii क)]*	अच			
		छ	राजस्व. अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ			
		ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम *[40(ख)]*	अज			
		झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ			
		झ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)			8अझ	
	आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ	

9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध *[40 क (7)]*	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि *[40 क (9)]*	9घ	

	ङ	धारा 36(1)(**xviii**) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ			
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9 च			
	छ	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क ओर 9ङ का योग)			9 छ	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ			
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च			
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)			10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ			

	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा .ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।				
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च			
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)			11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम					
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क			
	ख	सेवा कर	12ख			
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग			
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ			
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ			
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च			
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ			
	ज	कोई अन्य कर	12ज			
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)			12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15	
16	धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय व्यय				16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☑ का निशान लगाएं ☐ हां ☐नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17	

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (*यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक*))	
५	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	

		1	आरंभिक स्टाक		1	
		2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
		3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
		4	बंद स्टाक		4	
		5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में				
		6	कच्ची सामग्री			
			क	आरंभिक स्टाक	6क	
			ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
			ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
			घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
			ङ	बंद स्टाक	6ङ	
			च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
			छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
			ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
		7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
			क	आरंभिक स्टाक	7क	
			ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
			ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
			घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
			ङ	बंद स्टाक	7ङ	
			च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति — गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा *(कृपया अनुदेशों को देखें)* (***संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें***)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)

संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %

सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या*	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ *आधार संख्या*(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/*आधार संख्या*(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	I II		

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य			1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख			
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग			
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ			
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है			1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)			1च	
छ	1च का 30%	1छ			
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज			
झ	योग (1छ + 2ज)			1झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%			1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)			1ट	

2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)

संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %

सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार संख्या*	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ *आधार संख्या*(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/*आधार संख्या*(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	I II		

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो *दोनों में* अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो *दोनों में* न्यूनतम)			2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख			
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग			
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ			
ङ	वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)			2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)			2च	
छ	1च का 30%	2छ			
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज			
झ	योग (2छ +2ज)			2झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%			2ञ	

	ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)	2ट	
3		आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*	3	
4		" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)	4	

टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास थ्रू आय विनिर्दिष्ट करें
टिप्पण ▶	यदि धारा *194*झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ *आधार संख्या*प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा *194*-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv)			1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या *66iv*]		2क		
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)		2ख		
3	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय /प्राप्तियां	क गृह संपत्ति	3क		
		ख पूंजी अभिलाभ	3ख		
		ग अन्य स्रोत	3ग		
		घ धारा 115खखच	3घ		
		ङ धारा 115खखछ	3ङ		
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि जो आयकर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड./ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44घ/ 44घक/ 44घख/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ के सिवाय) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)		4क		
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ		4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)		4ग		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क			
	(ख) एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख			
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i	ग i			
	ii	ग ii			
	iii योग (ग i + गii)	5ग iii			
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)		5घ		
6	बकाया (1– 2क – 2ख – 3क - 3ख – 3ग – 3ङ - 4क - 4ख - 4ग – 5घ)			6	
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क गृह संपत्ति	7क		
		ख पूंजी अभिलाभ	7ख		
		ग अन्य स्रोत	7ग		
		घ धारा 115खखच	7घ		
		ङ धारा 115खखछ	7ङ		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय		8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)		8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)		9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची घङत का स्तंभ 6)*		12i		
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार)*		12ii		
	iii कुल (12i + 12ii)			12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)			13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)		14		

15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कञ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9च)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -णझ का 11ज)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है *(अनुसूची ङधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)*	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10ज)	31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32	
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ङ.)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35	आय (13+26-34)	35	
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	36i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii	
	iii धारा 44कङ [अनुसूची का 64(ii)]	36iii	
	iv धारा 44ख	36iv	
	v धारा 44खख	36v	
	vi धारा 44खखक	36vi	
	vii धारा 44खखख	36vii	
	viii धारा 44घ	36viii	
	ix धारा 44घक	36ix	*(प्रारूप 3गङ की मद 4)*
	x धारा 44घख	36x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख के सिवाय)	36xi	
	xii कुल (36i to 36xi)	36xii	
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36xii)	37	
38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि *(यदि नियम 7 क, 7 ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ङ में ले जाएं)* (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ+ 38च)	क 38	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क	
	ख नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख	
	ग नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग	
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ	
	ङ नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ङ	

		च नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च	
	39.	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]	39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40	
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	41	
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	42	
	43	सट्टेबाजी के कारबार से आय *(40+41-42)* *(हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)*	आ43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन			
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	44	
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	45	
	46	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया *(धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है*	46	
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि **(44+45-46)**	47	
	48	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)	48	
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से आय **(47-48)** *(हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)*	इ49	
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए	इ50	
घ	'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ ख43+ ग49)		घ	
ङ	चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष			

क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरे जब संख्या		*(क 38)*	
ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	*(ख 43)*		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	*(ग 49)*		
iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	*(4ख)*		
v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
v	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शेष हानि (i – v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाअन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+ 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				

14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,				
17	कुल नियत मूल्यह्रास (15-16)				
18	उतराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यह्रास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 द्ध 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,							
14	कुल नियत मूल्यह्रास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यह्रास							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17i* या *18i* के अनुसार लागू)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17ii* या *18ii* के अनुसार लागू)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17iii* या *18iii* के अनुसार लागू)	1ग	
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- *17iv* अथवा *18iv*, जैसा लागू हो)	1घ	
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1 ङ

2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14ii* या *15ii* के अनुसार लागू)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iii* या *15iii* के अनुसार लागू)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iv* या *15iv* के अनुसार लागू)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अव्यक्षण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए **14v** या *15v* के अनुसार लागू)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओऐ **14vi** या *15vi* के अनुसार लागू)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओऐ **14vii** या *15vii* के अनुसार लागू)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग			
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक *(अनुसूची डीपीएम- 20iv)*	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17ii)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iii)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iv)	2ग			
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड़ क 17v)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड़ क 17vi)				4	
5	पोत (अनुसूची घ ड़ क 17vii)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5)				6	

अनुसूची इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या **35 गगग या 35 गगघ** के अधीन कटौती)

	क्र. सं.	धारा में निर्दि-ट प्रकृति के व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	i	35(1)(i)			
	ii	35(1)(ii)			
	iii	35(1)(ii क)			
	iv	35(1)(iii)			
	v	35(1)(iv)			
	vi	35(2 कक)			
	vii	35(2 वख)			
	viii	35गगग			
	ix	35i गगघ			
	x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें।				

अनुसूची-पूंजी अभिलाभ | पूंजी अभिलाभ

अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ

क	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) *(उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)*				
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)				
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कi		
	ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii		
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	कiii		
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
ग		तुलन कiii – ख iv)	1 ग		
घ		धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)*	1 घ		
ङ		स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		क 1 ङ	
च		स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)			

क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है
एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।

2	स्लम्प बिक्री से				
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	*(प्ररूप 3गडक का 5)*		
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	*(प्ररूप 3गडक का 6(ड़))*		
ग	स्लम्प की बिक्री से अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (2 क- 2 ख)			क 2 ग	
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है				
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii			
iv	योग(i + ii + iii)	ख iv			
ग	शे-ा (3 क – ख iv)	3 ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ			
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 3 ङ	
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है			क 4	
ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है			क 4 ख	
5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)				
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य			
	ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग		
	Ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	iii	कुल (iग + ii)	क		
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		

	ग	शे-ा (5 क iii – ख iv)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 5 ङ
6		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	I विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग		
		ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		iii कुल (iग + ii)	क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शे-ा (6 क iii – ख iv)	6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ		
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ		
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)			क 6छ
7		अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-र्ों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को =स व-र्ा के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			

क्रम सं.	पूर्व व-र्ा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन =स व-र्ा में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			व-र्ा जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2017-18	54घ/54छ/54छक			

	ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)		क7
8		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+क8ख+क8ग)		क8
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,15% की दर से प्रभार्य	अ8क	
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,30% की दर से प्रभार्य	अ8ख	
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य	अ8ग	
9		क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है		

क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

	क	डीटीएए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर की कुल राशि		क9 क
	ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल रकम		क9 ख
10		कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ + क4 क+ क4ख+ क5 ङ + क6छ + क7 + क 8 - क 9क)		क 10
ख		दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)		

दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ

1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें)				
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कi		
	ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii		
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	कiii		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
ग	शे-ा (क iii – ख iv)		1 ग		
घ	धारा 54 घ / 54 ङग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (*नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिट करें*)		1 घ		
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			ख 1 ङ	
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)				

क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओं) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ► यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक हे । एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।

2	स्लम्प बिक्री से			
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2क	*(प्ररूप 3गङक का 5)*	
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	*(प्ररूप 3गङक का 6(ङ))*	
ग	शे-ा (2 क – 2 ख)	2 ग		
घ	धारा 54ङग के अधीन कटौती	2 घ		
ङ	स्लम्प के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)		ख 2 ङ	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)			
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क – 3 ख iv)		ख 3ग	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से			

क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)			ख 4 ग	
5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से				
	उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)			ख5च	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी			ख6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दि-ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दि-ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दि-ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से				
क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।			
	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
	ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख		

			ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग		
			Ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii	कुल (iग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)			ख 7 ग	
	8	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से					
		उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))				ख8च	
	9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं					
		क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।			
				क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
				ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख		
				ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	iग		
			Ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii	कुल (iग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	अतिशेष (क iii– खiv)		9 ग		
		घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिट करें)		9 घ		
		ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)			ख 9 ङ	
	10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-र्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस व-र्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					

क्रम सं.	पूर्व व-र्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन =स व-र्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			व-र्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	
i	2017-18	54घ/54छ/54छक			
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				

	दीर्घ +ावधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)	ख10	
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय , (अनुसूची तनझ भरें) (आ11क + आ11ख)	B11	
क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य	आ11क1	
क2	धारा112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य	आ11क2	
ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य	आ11ख	
12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है		

क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									

		II											
		क	डीटीएए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि									ख12क	
		ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख12ख	
	13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क)										ख13	
ग	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) *(/ यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)*											ग	
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना												
	1	धारा 54घ / धारा 54ङग/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें ।											

क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	क ii	
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	क v	
ख	54ङ.ग के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv	
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ग v	
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घii	
	iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घiv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	घv	
ङ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)		1 ङ	

ङ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क पूंजी अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		*(अ3ङ*+ अ4क*+ अ8क*)*	*अ5ङ* +* अ8ख*	*(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)*	अ9ख*	*आ4ग*+* आ5*+ *आ7ग*+* आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)	*(आ1ग*+ आ2ङ* + आ3ग* +* आ6*+ *आ9ङ* + आ10+ आ11ख)*	*आ12ख*	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	*(अ3ङ*+* अ4क*+ अ8क*)							
iii		30%	*अ5ङ* +* अ8ख*							

iv		लागू दर	*(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)*									
v		डीटीएए दर	अ9ख*									
Vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	*आ4ग*+* आ5*+ *आ7ग*+* आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)									
Vii		20%	*(आ1ग*+ आ2ङ* + आ3ग* + आ6*+ आ9ङ* + आ10+ आ11ख)*									
Viii		डीटीएए दर	*आ12ख*									
Ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)											
x	मुजरा के पश्चात् शे-ा हानि (i – ix)											

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।

च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-ाय में सूचना

	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद *5vi* से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद *5vii* से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद *5viii* से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद *5x* से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएए की मद *5xi* से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

अनुसूची-112क	किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक	गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अऽधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) –आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची-अन्य स्रोत **अन्य स्रोतों से आय**

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)					1	
क	लाभांश, सकल				1क		
ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)				1ख		
	i	बचत खाता से	खi				
	ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii				
	iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii				
	iv	पास थ्रू आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv				
	v	अन्य	खv				
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग		
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)				1घ		
	I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi				
	Ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii				
	Iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्य मूल्य	घiii				
	Iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घiv				
	v	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के ममाले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घv				
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ङ		
	क्र.सं.	प्रकृति			राशि		
	1						
	2						
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है					
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)					2	
	क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क		
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख		
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi				
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxx का योग)			2 ग		
	i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i				
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग ii				
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii				
	iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv				
	v	धारा 115A(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग v				
	vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	ग vi				
	vii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग vii				
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग viii				
	ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्र या जीडीआरसे लाभांश द्वारा आय-धरा115कग के अधीन प्रभार्य	ग ix				

x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से लाभांश द्वारा आय-धारा 115कगक अधीन प्रभार्य	ग x		
xi	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त (लाभांश से भिन्न आय)	ग xi		
xii	धारा 115ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआई आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनसार प्रभार्य	ग xii		
xiii	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiii		
xiv	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान	ग xiv		
Xv	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	ग xv		
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंन्ट से सवामिसव द्वारा आय	ग xvi		
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii		
xviii	धारा 115ङ के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	गxviii		
xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix		
xx	धारा 115क(1)(अ)(iiac) के तहत प्रभार्य धारा 194 थखक में संदर्भित लाभांश में वितरित आय	ग xx		

घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)	2घ	
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीएए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)	2ङ	

क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मदु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीएए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क,2ख,2ग एवं 2घ के आलावा)			
	क	व्यय/ कटौतियां	3क	
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)	3ख	
	ग	धारा 57(1) के तहत ब्याज व्यय(यदि आय 1क में प्रस्तावित तभी उपलब्ध)	3ग	
	घ	योग	3घ	
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम		4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ		5	
6	अन्य स्त्रोतों से निवल आय 1(डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i में आंकड़े भरें)		6	

7	अन्य स्त्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रुप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)		7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय			
	क	प्राप्तियां	8क	
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख	
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग	
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ	
	ङ	अतिशेन (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11xv में आंकड़े भरें)	8ङ	
9	"अन्य स्त्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)		9	
10	अन्य स्त्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना			

क्र०सं०	अन्य स्त्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 ये 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	लाभांश					

	2	धारा **2(24)(ix)** में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

चालू वर्ष हानि समायोजन

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
				(		
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		*(अनुसूची एचपी का 4)*	(अनुसूची बीपी के मद ङ का *2vi)*	*(अनुसूची ओएस का 6)*	
ii	गृह संपत्ति	*(अनुसूची एचपी का 4)*				
iii	व्यवसाय (धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	*(अनुसूची एचपी का क 38)*				
Iv	धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद ङ का *3iv)*				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद ङ का *3ii)*				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद ङ का *3iii)*				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9ii)*				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 iii)*				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9iv)*				
x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9v)*				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9vi)*				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 vii)*				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 viii)*				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची ओएस की मद 6)*				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	*(अनुसूची ओएस की मद 8ड़)*				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची ओएस की मद **2** च)*				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xv)					

अनुसूची-बीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

अग्रनीत हानि समायोजन

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)*	*(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)*			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)*	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)*	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)*	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)*	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)*				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)*	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)*				
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग **(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)**					

अनुसूची-सीएफएल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

हानि का अग्रनयन

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रेस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रनीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रनीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
Xii	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/च											

Xiii	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		*(अनुसूची बीएफएलए का 2i)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2v)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)*			*(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)*
Xiv	**2021-22** चाल वर्ष की हानिय		*(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)*	*(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)*	*(अनुसूची बीएफ का ख43, यदि - vङ)*	*(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि - vङ)*	अनुसूची बीपी का ङ(*iv*) (यदि नकारात्मक हो)	*(2x+3x+4x+5x)* अनुसूचीसीजी के मद ङ)	*(6x+7x+8x)* अनुसूची सीजी के मद ङ))	*(अनुसूची ओएस का 8ङ यदि - vङ)*
Xv	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)									
xvi	चालू वर्ष की हानियां अग्रनीत **(xiv-xv)**									
xvii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि **(xii-xiii+xvi)**									

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा **35(4)** के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रनीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेनित शेष रकम	अनामेलित अवक्षयन की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	**(2)**	**(3)**	**(3क)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	**योग**			*(बीएफएलए का 3xvi)*			*(बीएफएलए का 4xvi)*	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.	लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव	
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	**(ii)**	**(iii)**
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क – ण झ के स्तंभ 4घ या 4ङ. पर पृथक रुप से रिपोर्ट किया जाता है ।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क – ण झ के स्तंभ 4घ या 4ङ. पर पृथक रुप से रिपोर्ट किया जाता है ।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)**	

	(यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशे-ा आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
क्रम सं.	बचनबंध	निर्धारण व-र्ा जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं.	रकम	
क	बचनबंध सं0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए	
ख	बचनबंध सं0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए	
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)				ङ

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम				दान को पात्र रकम
				नकद दान	नकद संदान की तारीख	अन्य ढंग से दान	कुल दान	

i								
ii								
	कुल दान							

अनुसूची आर. ए अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौती)

	दानकर्ता का नाम और पता		दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					

अनुसूची-80-झक धारा 80- ठक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दि-ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4)(ii) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशे-ा आर्थिक जोन)	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ङ	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुजजीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दि-ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2)				च

अनुसूची-80-झख धारा 80-झख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	ख1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का *10(v)*	
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का *10(v)*	
ग	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख(7ख))	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का *10(v)*	
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का *10(v)*	
घ	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख(9))	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ङ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(10))	ङ 1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ङ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
च	फल और सब्जियों,मांस,मांस उत्पाद,कुक्कुट,समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	च 1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		च 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
छ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	छ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		छ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ज	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11ख))	ज 1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी ग का *11(v)*)	
		ज 2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी ग का *11(v)*	
झ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8झख (11ग)	झ 1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी घ का *11*(घ)	
		झ 2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी घ का *11*(घ)	
ञ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से झ2 का योग)				ञ

अनुसूची-80-झग या 80-झङ धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-झग के अधीन कटौती

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				
	घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)

			घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घग2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घघ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घङ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घच2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			घछ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रम ों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)				घज
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)					ञ

अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां

		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपग का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहित निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंद्ध क्रियाकलाप			
8	धार 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करन हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची -6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती						
	कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित						
क	80छ		ख	80छछख			
ग	80छछग						
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1	
2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती						
घ	80-झक	*(अनुसूची 80- ठक का च)*	ङ	80-झकख			
च	80-झकग		छ	80-झख	*(अनुसूची 80- झख का ङ)*		
ज	80-झखक		झ	80झग/80झङ	*(अनुसूची 80 झग/80झङ का ङ)*		
ञ	80ञञक		ट	80ञञकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II		
ठ	80टक(1)	*प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9*	ड	80टक(1क)	(प्रपत्र 10गगच के अनुबंध का9)		
ण	80त						
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2	

3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 से 2 का योग)	3	

अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय			1	
कुल कटौतियां	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
		क	शी-र्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
		ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
		ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ		
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)			3	
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3) का 18.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के ममामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4	

अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2021-22 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का1घ)					1	
2	निर्धारण वर्ष 2021-22 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)					2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]					3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोजन (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अध्यधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती						
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (अ)	एएमटी प्रत्यय			चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी	अग्रनीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
	I	2013-14	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रनीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	2020-21					
	ix	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविष्ट करें)					
	x	योग					
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]					5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]					6	

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

	क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
विशेष दर	1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इक्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
	2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
	3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
	4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
	5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
	6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का का भाग 5x)	
	7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
	8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
	9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की बिक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
	10	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
	11	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
	12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
	13	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	

14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115 खखङ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
17	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 8ङ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvii)	
18	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)	
19	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से आय प्रभार्य है	☐		(अनुसूची ओएस के 2च का भाग)	
20	15% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 2vi का भाग)	
21	30% @ की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	
22	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
23	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ix)	
24	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
25	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्त्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ङ)	
			योग		

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

फर्म जिसमें भागीदार है

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ङ लागू होती है (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम i	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय

1	ब्याज से आय			1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii		
	iii	पूरव आठ कर-निरधारण वषों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii		
	iv	वर्ष)i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि)यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें (		2	
	v	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
	क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।			
	ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन			
	ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)			
	घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)			
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			3	
4	डीडीएए के अनुसारकर से प्रभार्य नहीं आय				

क्र.स०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)
I						
II						
III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय					

4			
5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)	5	
6	योग (1+2+3+4+5)	6	

अनुसूची पीटीआई धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा **115**पक/**115**पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि **9=7-8**	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1.				**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कi	धारा **111**क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खi	धारा **112**क				
					खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
2.				**i**	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कi	धारा **111**क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खi	धारा **112**क				
					खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टीपीएसए ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर)

1		प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है	
2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा	
	ख	"क" पर 12% की दर से अधिभार	
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)	
3		भुगतान किए गए कर	
4		निवल देय कर (2घ-3)	

		तारीख1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैक और शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम सख्या						
9	जमा की गई राशि						

अनुसूची- एफएसआई भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर से आय और कर राहत

क्र. सं	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तझ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1 दावा की गई राहत के कर ब्यौरे

देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च ध झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ध झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दि-ट करें)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	योग			

2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)	2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका व-र्ा के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें	4	हां/नहीं

	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख	निर्धारण व-र्ा जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

आ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड		अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या

(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	*जिप कोड*	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या

(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृत्ति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी **जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी**

जीएसटी ब्यौरा

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिपण▶ *कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक्र जानकारी दें।*

भाग - ख

भाग ख-कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय

1	गृह संपत्ति से आय *(अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)*			1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ				
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट करबार के कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए38) *(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)*	2i		
	ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ *(अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(ii))* (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii		
	iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ *(अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii))* (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii		
	iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य *(अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ, 3ङ और3iv)*	2iv		
	vi	योग (**2i+2ii+2iii+2iv**) *(शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविन्टि में ले जाएं)*		2v	
3	पूंजी अभिलाभ				
	क	अल्प कालिक			
	i	**15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9ii)*	कi		
	ii	**30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9iii)*	कii		
	iii	**लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9iv)*	कiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ङ का **9v)**	कiv		
	v	कुल अल्प कालिक (कi + कii + कiii + कiv) (यदि हानि हो तों कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	3कv		
	ख	दीर्घ कालिक			
	i	**10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9vi)*	खi		
	ii	**20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का (9vii)*	ख ii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ङ का **9viii)**	ख iii		

		iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) *(यदि हानि हो तो शुन्य भरें)*	ख iv			
	ग		कुल पूंजी अभिलाभ (3 कv + 3 खiv) *(यदि हानि हो तो शुन्य भरें)*			3c	
4	अन्य स्त्रोतों से आय						
	क		सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क			
	ख		विशे-ा दर पर कर से प्रभार्य आय*(अनुसूची ओएस का 2 भरें)*	4 ख			
	ग		घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ङ) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग			
	घ		योग (4 क + 4 ख + 4 ग)			4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग +4 घ)					5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्-ा की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के *2xvii, 3xvii* और *4xvii* का योग)					6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष **(5 – 6)** *(*अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. *(ii), (iii) , (v)* से *(xv)*का योग+ *4*ख + *2iv)*					7	
8	*7*के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के *2xvi, 3 xvi* और *4xvi* का योग)					8	
9	सकल कुल आय **(7 – 8)** *(*अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. *(i) , (ii) , (iv)*से *(xiv)*का योग+ *4*ख + *2iv)*					9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशे-ा दर पर कर से प्रभार्य आय					10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां						
	क		अनुसूची 6क का भाग ख [*अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]*			11क	
	ख		अनुसूची 6क का भाग ग [*अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]*			11ख	
	ग		कुल (11क + 11ख) *(9-10) तक सीमित)*			11ग	
12	कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय (12a + 12b+ 12c)					12	
	क		धारा 10कक के अधीन कटौती *(*अनुसूची 10कक का कुल*)*			12क	
	ख		धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में निर्दिष्ट निवेश विधि की आय			12ख	
	ग		धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में कारबार-ब्याज विधि की आय			12ग	
13	कुल आय (9- 11ग -12)					13	
14	विशे-ा दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)					14	
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृ-ि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)					15	
16	कुल आय (13 – 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा)					16	
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्-ा की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xv का योग)					17	
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय					18	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संरचना

	क		धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसची एएमटी का 4)				1क	
	ख		*पूर्वोक्त (क)पर अधिभार* (यदि लागू है*)*				1 ख	
	ग		स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर				1 ग	
	घ		मानी गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर				1 घ	
2	कुल आय पर संदेय कर							
	क		भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क				
	ख		विशे-ा दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख				
	ग		कृ-ि आय पर छूट [भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग				
	घ		कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)				2घ	
	ङ		उपकर		उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ङ	
		i	अनुसूची एस आई के 12*(ii)* का 25%	2ङ i		iक		
		ii	अनुसूची एसआई की 1 (ii) + 2 (ii), 7 (ii), 9 (ii), 21 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% की दर पर	2ङ ii		iiक		
		Iii	अनुसूची एसआई [(2घ) – [(*12(ii)*+ 1(ii)+ 2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii)]पर	2ङ iii				
		iii	कुल (iक + iiक + iii)				2ङ iii	
	च		स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ङiii				2च	
	छ		कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ङ iv+ 2च)				2छ	
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)						3	
4	पूर्व वर्-ों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)						4	
5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)						5	
6	कर राहत							

	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख			
	ग	योग (6क + 6ख)			6ग	
7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) *(यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)*				7	
8	ब्याज और देय फीस					
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिएब्याज (धारा 234क)	8क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234च)	8घ			
	ङ	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)			8 ङ	
9	कुल दायित्व (7 + 8 ङ)				9	
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे						
10	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर *(15*क के स्तंभ *5* से)	10क			
	ख	स्रोत पर काटा गया कर *(15*ख के स्तंभ *9* का योग)	10ख			
	ग	टीसीएस *(15*ग के स्तंभ *7* का योग)	10ग			
	घ	स्वतः निर्धारण कर *(15*क के स्तंभ *5* से)	10घ			
	ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)			10ङ	
11	संदेय रकम (*यदि 9, 10 ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें*)				11	
12	प्रतिदाय (*यदि 10ङ, 9से अधिक है*) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा				12	

बैंक खाता

13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें
	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)	

क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
i				
ii				

नोट:
1)रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.
2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए

आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं

ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:

क्रम सं..	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			

14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)	☐ हां ☐ नहीं

15 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय

क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
i				
ii				
iii				

ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]

क्र.सं०	स्वंय/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार संख्या	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान टीडीएस कटौती)			इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।				प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)		स्वयंक के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)			कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार संख्या			
i															
टिप्पण भाग ख ▶ननझ के *10*ख में स्तंभ *9* का योग प्रविष्ट करें															

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकांउट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है))	(6) या (7) में से अग्रणीत रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
	टिप्पण ▶ कृपया भाग ग – टीटीआई के 10ख में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।							

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह विवरणी ..... *(ड्राप डाउन प्रदान करें)* की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं एक स्थाई खाता संख्या .....धारक हूं (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख **यहां हस्ताक्षर करें➔**

_____

प्रारूप	आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए] **[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें]** (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण व-र्ष					
			2ss	0	2	1	-	2	2

भाग क-साधारण साधारण

व्यक्तिगत सूचना

नाम			स्थायी लेखा सं0
क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें			कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	निगमन की तारीख (दिन/मास/व-र्ष) / /	कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/व-र्ष) / /
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		कंपनी का प्रकार *(निशान लगाएं)* ☑ (i) देशी कंपनी ☐ (ii) विदेशी कंपनी ☐
कस्बा/शहर/जिला	राज्य देश	पिन कोड / जिप कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) ☐
कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1	मोबाइल नं0-2		ई मेल पता-1
ई मेल पता-2			

फाइल करने की प्रास्थिति

क	धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) *[कृपया अनुदेश देखें]*	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐139(5)- पुनरीक्षित, ☐92गघ-उपांतरित विवरणा, ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्
	या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐153ग
ख	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	___/___/____
ग	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/ /
घ	आवासीय प्रास्थिति *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ निवासी ☐ +निवासी	
ङ.	**क्या निर्धारिती ने धारा 115खक/115खकक/115 खकख के अंतर्गत कराधान के लिए विकल्प चुना है ? (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है) (घरेलू कंपनी पर लागू)**	
च	क्या पिछले वर्ष 2018-19 में कुल व्यापारवर्त /सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हॉ / नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)	
छ	क्या निर्धारिती देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?	
ज	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं	
झ	क्या निर्धारिती से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ?	
ञ	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं	
ट	क्या निर्धारिती किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और अपनी आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है ? (सही का निशान लगाएं) ☑ ☐ हॉं ☐ नहीं	
ठ	क्या निर्धारिती कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) ☑ ☐ हॉं ☐ नहीं	

ड	क्या एफआईआई/एफपीआई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं		
ढ	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? ☐ हॉं ☐ नहीं		
ण	क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -		
	(1)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का नाम	
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)	
	(3)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का पता	
	(4)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ **आधार संख्या**	
त	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं		☐ हां ☐ नहीं
	1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
	2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	☐ हां ☐ नहीं
	3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	
	4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	☐ हां ☐ नहीं
	5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	

	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
	(क2)	**क्या निर्धारिती धारा 44कड./44ख/44खख/44खखक/44खखख के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**
	(क2i)	**यदि नहीं, क्या वर्ष के दौरान व्यवसाय की कुल ब्रिकी/कारोबार/सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक हैं परंतु 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं। (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**
	(क2ii)	**यदि (क2i) क्या पूर्व वर्ष के दौरान ब्रिकी, करोबार अथवा सकल प्राप्तियों अथवा पूंजीगत योगदान ऋण इत्यादि जैसे पूंजीगत खातों पर प्राप्त की गई राशि सहित प्राप्त की गई सभी राशियों का समुच्चय नकद में उक्त राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।** *(*निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं
	(क2iii)	**यदि (क2i) हां है तो क्या पूर्व वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपगत राशि अथवा परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का पुनर्भुगतान आदि जैसे पूंजीगत खाते पर राशि सहित किए गए सभी भुगतानों का समुच्चय उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं**
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
	(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? *(निशान लगाएं)* ☑ ☐ हां ☐ नहीं
संपरीक्षा सूचना	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)
	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
	(3)	*लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या*
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख
	(घ)	क्या आप धारा 92ङ के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं
	(घi)	यदि (घङ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है ☐ हां ☐ नहीं — लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष
	(घii)	***यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें*** [कृपया अनुदेश *5* देखें]

	क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)

ङ	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
	अधिनियम और धारा	**(दिन/मास/मास)**	**अधिनियम और धारा**	**(दिन/मास/मास)**

कारबार संगठन	(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्री कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें		
	(ख)	यदि समनुषंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें		
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
	(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समनुषंगी कंपनी का नाम	समनुषंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
	(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, समामेलित कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
	(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, समामेलक कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें		
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
	(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें		
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख

उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं

प्रमुख व्यक्ति

क्रम सं0	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ **आधार सं.**	निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)

शेयरधारक की सूचना

उन व्यक्तियों की विशीष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे ।

क्रम सं0	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक **(यदि आबंटित है)**

स्वामित्व संबंधी जानकारी

असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।

क्रम सं0	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/**आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)**

विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

क्रम सं0	नाम	पता	**निवास का देश**	स्थायी लेखा संख्यांक **(यदि आबंटित किया गया है)**	**निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या**

विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

क्रम सं0	नाम	पता	**निवास का देश**	स्थायी लेखा संख्यांक **(यदि आबंटित किया गया है)**	**निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या**

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

कंपनी का स्वरूप		*(निशान लगाएं)* ☑
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है	☐ हां ☐ नहीं
2	क्या आप भारतीय रिर्जव बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी है	☐ हां ☐ नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।	☐ हां ☐ नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कपनी है	☐ हां ☐ नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है	☐ हां ☐ नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)	☐ हां ☐ नहीं
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है	☐ हां ☐ नहीं
8	**क्या कंपनी सूचीबद्ध है ?** **यदि हां, कृपया अनुसूची-ध्रज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें**	☐ हां ☐ नहीं

कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें **(उनसे भिन्न, जो धारा 44कङ के अधीन आय की घोषणा करते हैं)**

क्र.सं.	कोड *[कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]*	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

भाग क-तुलन पत्र **31** मार्च, **2021** को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व

I	साधारण पूंजी और दायित्व					
1	शेयर धारक की निधि					
	क	शेयर पूंजी				
		i	प्राधिकृत	कi		
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	कii		
		iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	कiii		
		iv	कुल(कii + कiii)		कiv	
	ख	आरक्षिति और अधिशेष				
		i	पूंजी आरक्षिति	खi		
		ii	पूंजी मोचन आरक्षिति	खii		
		iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	खiii		
		iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खiv		

			v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति			खv			
			vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे			खvi			
			vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दि-ट करें)						
				क			viiक			
				ख			viiख			
				ग	कुल (viiक+viiख)		खvii			
			viii	अधिशे-ा अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशे-ा (नामें पक्ष का अतिशे-ा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)			खviii			
			ix	कुल (खi + खii +खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामें पक्ष का अतिशे-ा यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)					खix	
		ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम						1 ग	
		घ	शेयर धारक की कुल निधि (कiv + खix+1 ग)						1घ	
	2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है								
		i	एक व-र्ा से कम से लंबित है				i			
		ii	एक व-र्ा से अधिक से लंबित है				ii			
		iii	कुल (i+ii)						2	
	3	स्थगित दायित्व								
		क	दीर्घकालिक उधार							
			i	बंधपत्र/डिबेंचर						
				क	विदेशी मुद्रा		i क			
				ख	रुपया		i ख			
				ग	कुल (i क +ii ख)				i ग	
			ii	आवधिक ऋण						
				क	विदेशी मुद्रा		iiक			
				ख	ऋण रूप में					
					1	बैंकों से	ख1			
					2	अन्य से	ख2			
					3	कुल (ख1+ख2)	ख3			
				ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)				iiग	
			iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व					iii	
			iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)					iv	
			v	अन्य निक्षेप					v	
			vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)					vi	
			vii	अन्य ऋण और अग्रिम					vii	
			viii	दीर्घकालिक वित्तपो-ाण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता					viii	
			ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)					3क	
		ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)						3ख	
		ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व							
			i	व्यापार संदेय			i			
			ii	अन्य			ii			
			iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)					3ग	
		घ	दीर्घकालिक विनिधान							
			i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान			i			
			ii	अन्य			ii			
			iii	कुल (i+ii)					3घ	
		ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)						3ङ	
	4	चालू दायित्व								
		क	अल्पकालिक उधार							
			i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण						
				क	बैंकों से		i क			
				ख	गैर-बैंककारी कंपनियों से		i ख			
				ग	अन्य वित्तीय संस्थाओं से		i ग			
				घ	अन्य से		i घ			

				ङ	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)		iङ	
			ii		संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii	
			iii		संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii	
			iv		अन्य ऋण और अग्रिम		iv	
			v		अन्य निक्षेप		v	
			vi		कुल अल्पकालिक उधार (iङ+ii+iii+iv+v)		4क	
		ख			व्यवसाय संदेय			
			i		एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i		
			ii		अन्य	ii		
			iii		कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)		4ख	
		ग			अन्य चालू दायित्व			
			i		दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i		
			ii		वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii		
			iii		उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है	iii		
			iv		उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	iv		
			v		अग्रिम में प्राप्त आय	v		
			vi		असंदत्त लाभांश	vi		
			vii		प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii		
			viii		असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii		
			ix		असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ix		
			x		अन्य संदेय	x		
			xi		कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख	
		घ			अल्पकालिक उपबंध			
			i		कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i		
			ii		आय-कर के लिए उपबंध	ii		
			iii		प्रस्तावित लाभांश	iii		
			iv		लाभांश पर कर	iv		
			v		अन्य	v		
			vi		कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ	
		ङ			कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ङ	
	कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)						I	
II	आस्तियां							
	1	गैर-चालू आस्तियां						
		क	स्थिर आस्तियां					
			i		मूर्त आस्तियां			
				क	सकल ब्लाक	iक		
				ख	अवक्षयण	iख		
				ग	ह्रास से हुई हानियां	iग		
				घ	शुद्ध ब्लाक (iक– iख - iग)	iघ		
			ii		अमूर्त आस्तियां			
				क	सकल ब्लाक	iiक		
				ख	क्रमिक अपाकरण	iiख		
				ग	ह्रास से हुई हानियां	iiग		
				घ	शुद्ध ब्लाक (iiक– iiख - iiग)	iiघ		
			iii		पूंजीगत चालू काम	iii		
			iv		विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv		
			v		कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)		क v	
		ख			गैर-चालू विनिधान			
			i		संपत्ति में विनिधान	i		

			ii		शेयर लिखतों में विनिधान				
				क	सूचीबद्ध शेयर	iiक			
				ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख			
				ग	योग (ii क + ii ख)	iiग			
			iii		अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii			
			iv		सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv			
			v		डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v			
			vi		पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi			
			vii		भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii			
			viii		अन्य विनिधान	viii			
			ix		कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)			खix	
		ग			आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			ग	
		घ			दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम				
			i		पूंजी अग्रिम	i			
			ii		प्रतिभूति निक्षेप	ii			
			iii		संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii			
			iv		अन्य ऋण और अग्रिम	iv			
			v		कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)			घ v	
			vi		घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
				क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	viक			
				ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख			
				ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग			
		घ			अन्य गैर-चालू आस्तियां				
			i		दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
				क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iक			
				ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iख			
				ग	शंकास्पद	iग			
				घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ			
			ii		अन्य	ii			
			iii		योग (iघ + ii)			ङiii	
			iv		ङ iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv			
		ङ.			कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + ङiii)			1च	
2		चालू आस्तियां							
		क			चालू विनिधान				
			i		शेयर लिखतों में विनिधान				
				क	सूचीबद्ध शेयर	iक			
				ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iख			
				ग	योग (iक + i ख)	iग			
			ii		अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii			
			iii		सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii			
			iv		डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv			
			v		पारस्परिक निधियों में विनिधान	v			
			vi		भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi			
			vii		अन्य विनिधान	vii			
			viii		कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			कviii	
		ख			संपत्ति-सूची				
			i		कच्चा माल	i			
			ii		चालू काम	ii			
			iii		तैयार माल	iii			

			iv	व्यवसाय - स्टाक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)		iv			
			v	भंडार और स्पेयर		v			
			vi	खुले औजार		vi			
			vii	अन्य		vii			
			viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				ख viii	
		ग	व्यापार प्राप्य						
			i	6 मास से अधिक से बकाया		i			
			ii	अन्य		ii			
			iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)				गiii	
		घ	नकदी और नकद समतुल्य						
			i	बैंक नकद		i			
			ii	चैक, ड्राफ्ट		ii			
			iii	नकद अतिशेष		iii			
			iv	अन्य		iv			
			v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)				घv	
		ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
			i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देंखे)		i			
			ii	अन्य		ii			
			iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)				ङiii	
			iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो					
				क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क			
				ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	iv ख			
				ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	iv ग			
		च	अन्य चालू आस्तियां					च	
		छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)					2छ	
	कुल आस्तियां (1च+2छ)							II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में **31 मार्च, 2021 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]**

I	साधारण शेयर और दायित्व								
	1	साधारण शेयर							
		अ	साधारण शेयर पूंजी						
			i	प्राधिकृत		कi			
			ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया		कii			
			iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया		कiii			
			iv	कुल (कii + कiii)				क+iv	
		आ	अन्य साधारण शेयर						
			i	अन्य रिजर्व					
				क	पूंजी विमोचन आरक्षित	iक			
				ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	iख			
				ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	iग			
				घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	iघ			
				ङ.	कुल अन्य भंडार (iक+ iख + iग + iघ)	iङ.			
			ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामें पक्ष का अतिशेष –वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)		ii			
			iii	कुल (खiङ. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)				खiii	
		इ	कुल साधारण शेयर (कiv + खiii)					1ग	
	2	दायित्व							
		अ	गैर मौजूदा दायित्व						
		I	वित्तीय दायित्व						
			उधारी						

		क	**बांड या डिबेंचर**					
			1	विदेशी मुद्रा		क **1**		
			2	रुपए		क **2**		
			3	कुल (1 + 2)			क **3**	
		ख	**उधार अवधि**					
			1	विदेशी मुद्रा		ख **1**		
			2	रुपया उधार				
				i	बैंकों से	**i**		
				ii	अन्य पार्टियों से	**ii**		
				iii	कुल (i + ii)	ख **2**		
			3	कुल अवधि उधार **(**ख 1 + ख 2**)**			ख3	
		ग	आस्थगित संदाय दायित्व				ग	
		घ	निक्षेप				घ	
		ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)				ड.	
		च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता				च	
		छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक				छ	
		ज	अन्य उधार				ज	
		झ	कुल उधारी **(**क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज**)**				झ	
		ञ	व्यापार उधार				ञ	
		ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन ।। में विनिर्दिष्ट के अलावा)				ट	
	II	**उपबंध**						
		क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध			क		
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			ख		
		ग	कुल उपबंध				IIग	
	III	**आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)**					III	
	IV	**अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व**						
		क	अग्रिम			क		
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			ख		
		ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व				**IV**ग	
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झi **+ I**ञ **+ झट + IIग + III + IVग)**							2क	
	B	**वर्तमान दायित्व**						
	I	**वित्तीय दायित्व**						
		i	**उधारी**					
			क	मांग पर लौटाने वाले उधार				
				1	बैंकों से	**1**		
				2	अन्य पार्टियों से	**2**		
				3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	**3**		
			ख	संबंधित दलों से उधार		ख		
			ग	निक्षेप		ग		
			घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		घ		
			कुल उधार **(**क 3 + ख + ग + घ**)**				**Ii**	
		ii	**व्यापार देनदारियां**				**Iii**	
		iii	**अन्य वित्तीय दायित्व**					
			क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता		क		
			ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता		ख		
			ग	अर्जित ब्याज		ग		
			घ	अवैतनिक लाभांश		घ		
			ड.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज		ड.		
			च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित ब्याज		च		
			छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज		छ		
			ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		ज		

				झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ +ड. +च +छ+ज)			Iiii	
			iv		**कुल वित्तीय दायित्व (झi +झii +झiii)**			Iiv	
		II	**अन्य चालू दायित्व**						
				क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क			
				ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
				ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग			
				घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख +ग)			IIघ	
		III	**उपबंध**						
				क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
				ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
				ग	कुल उपबंध (क + ख)			IIIग	
		IV	**वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)**					IV	
		कुल मौजूदा दायित्व (Iiv + IIघ + IIIग+ IV)						2ख	
	कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क +2ख)							I	
II	**आस्तियां**								
	1	**गैर तात्कालिक आस्तियां**							
		क	**संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**						
			क		सकल ब्लॉक	क			
			ख		मूल्यह्रास	ख			
			ग		क्षति नुकसान	ग			
			घ		शुद्ध ब्लॉक **(क+ ख +ग)**			क घ	
		ख	**पूंजीगत कार्य-प्रगति**					ख	
		ग	**निवेश सम्पत्ति**						
			क		सकल ब्लॉक	क			
			ख		मूल्यह्रास	ख			
			ग		क्षति नुकसान	ग			
			घ		शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)			ग घ	
		घ	**साख**						
			क		सकल ब्लॉक	क			
			ख		क्षति नुकसान	ख			
			ग		शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)			घ ग	
		ड.	**अन्य अमूर्त संपत्ति**						
			क		सकल ब्लॉक	क			
			ख		उधारमुक्ति	ख			
			ग		क्षति नुकसान	ग			
			घ		शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)			ड.घ	
		च	**विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति**					च	
		छ	**वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां**						
			क		सकल ब्लॉक	क			
			ख		क्षति नुकसान	ख			
			ग		शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)			छग	
		ज	**वित्तीय आस्तियां**						
			I		**निवेश**				
			i		**साधारण साम्या लिखत में निवेश**				
				क	सूचीबद्ध साम्य	iक			
				ख	असूचीबद्ध साम्य	iख			
				ग	कुल (iक + iख)			iग	
			ii		वरीयता शेयरों में निवेश	ii			
			iii		सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii			
			iv		डिबेंचर या बांड में निवेश	iv			
			v		म्युचुअल फंड में निवेश	v			

			vi		साझेदारी फर्मों में निवेश		vi			
			vii		साझेदारी फर्मों में निवेश		vii			
			viii		कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)				जI	
			II		**व्यापार स्वीकार योग्य**					
				क	व्यापार स्वीकार योग्य		क			
				ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		ख			
				ग	संदिग्ध		ग			
				घ	कुल व्यापार प्राप्य				जII	
			III		**उधार**					
				i	सुरक्षा निक्षेप		i			
				ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)		ii			
				iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii			
				iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii)				जIII	
				v	जIII में शामिल उधार, जो कि-					
					क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	vक			
					ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
					ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग			
			IV		**अन्य वित्तीय आस्तियां**					
					i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i			
					ii	अन्य	ii			
					iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)			ज IV	
		झ	**आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)**						**झ**	
		ञ	**अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति**							
			i		पूंजीगत अग्रिम		i			
			ii		पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		ii			
			iii		अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii			
			iv		कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)				ञ	
			v		आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां		v			
	कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(कघ + ख +गघ + घग + ड.घ +चF +छग + जI + जII + जIII + जIV + झ + ञ)								**1**	
2	**वर्तमान आस्ति**									
		क	**वर्तमान आस्ति**							
			i		कच्चा माल		i			
			ii		कार्य प्रगति पर है		ii			
			iii		तैयार माल		iii			
			iv		स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)		iv			
			v		स्टोर और पुर्जों		v			
			vi		ढीला टूल		vi			
			vii		अन्य		vii			
			viii		कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				2क	
		ख	**वित्तीय आस्तियां**							
		I	**निवेश**							
			i		साम्या लिखत में निवेश					
				क	सूचीबद्ध साम्या		i क			
				ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर		i ख			
				ग	कुल (i क + i ख)		iग			
			ii		वरीयता शेयरों में निवेश		ii			
			iii		सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii			
			iv		डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		iv			
			v		म्युचुअल फंड में निवेश		v			

			vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi			
			vii	अन्य निवेश	vii			
			viii	कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I	
		II	**व्यापार स्वीकार योग्य**					
			i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i			
			ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii			
			iii	संदिग्ध	iii			
			iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II	
		III	**नकद और नकद समकक्ष**					
			i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
			ii	चेक, हाथ में ड्राफ्ट	ii			
			iii	हाथ में पैसा	iii			
			iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
			v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III	
		IV	**उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष**				IV	
		V	**उधार**					
			i	सुरक्षा निक्षेप	i			
			ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii			
			iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
			iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V	
			v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
				क व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक			
				ख व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
				ग आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग			
	VI	**अन्य वित्तीय आस्तियां**					VI	
	कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)						2ख	
	ग	**चालू कर आस्तियां (शुद्ध)**					2ग	
	घ	**अन्य मौजूदा आस्तियां**						
			i	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i			
			ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii			
			iii	कुल			2घ	
	कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)						2	
कुल आस्तियां (1 + 2)							II	

भाग क- विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट							
	क	प्रारम्भिक तालिका						
		i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	**i**				
		ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	**ii**				
		iii	योग (**i + ii**)				कiii	
	ख	**क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)**					**ख**	
	ग	**प्रत्यक्ष मजदूरी**					**ग**	
	घ	**प्रत्यक्ष कर** (घi + घii + घiii)					**घ**	
		i	आवक वहन व्यय	**i**				
		ii	विद्युत् और ईंधन	**ii**				
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**iii**				
	ङ	**कारखाना अधिव्यय**						
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	**i**				
		Ii	कारखाना किराया और दर	**ii**				

			Iii	कारखाना बीमा	iii			
			Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			
			V	कारखाना साधारण व्यय	v			
			Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
			Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii	
		च		**विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग** (काiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च	
	2	अंत स्टॉक						
		i		कच्ची सामग्री	2i			
		ii		प्रगतिशील कार्य	2ii			
		योग (2i +2ii)					2	
	3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)					3	

भाग क – व्यापार लेखा **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार लेखा** (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

व्यापार लेखे में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व						
		क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां *(विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)*					
			i	माल का विक्रय	i			
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
			iii	अन्य प्रचालन राजस्व *(प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
				क	iiiक			
				ख	iiiख			
				ग योग (iiiक + iiiख)	iiiग			
			iv	योग (i + ii + iiiग)			काiv	
		ख		व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख	
		ग		विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर				
			i	**संघ उत्पाद कर**	i			
			ii	**सेवा कर**	ii			
			iii	**मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर**	iii			
			iv	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	iv			
			v	**राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)**	v			
			vi	**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	vi			
			vii	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)**	vii			
			viii	**कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर**	viii			
			ix	**योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)**			गix	
		घ		प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख +गix)			4घ	
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक					5	
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)					6	
व्यापार लेखे में विकलन	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक					7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9	
		i		आवक वहन व्यय	i			
		ii		विद्युत और ईंधन	ii			
		iii		अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii			
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर						
		i		**सीमा शुल्क**	10i			
		ii		**प्रतिरोधी शुल्क**	10ii			
		iii		**विशेष अतिरिक्त शुल्क**	10iii			
		iv		**संघ उत्पाद शुल्क**	10iv			
		v		**सेवा कर**	10v			
		vi		**मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर**	10vi			
		vii		**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	10vii			
		viii		**राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)**	10viii			

		ix	**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	**10ix**			
		x	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)**	**10x**			
		xi	**संदत्त या संदेय कोई अन्य कर**	**10xi**			
		xii	**योग** (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
	11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत				11	
	12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				12	
	12क	दिनभर व्यापार से आवर्त				12क	
	12ख	दिन भर व्यापार से आय				12ख	

भाग क – लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ				13	
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(viक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	अन्य कोई आय *(प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
			क	xiक			
			ख	xiख			
			ग योग (xiक + xiख)	xiग			
		xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				15	
लाभ और हानि खाते में देय	16	जावक भाड़ा				16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				17	
	18	विद्युत और ईंधन				18	
	19	किराया				19	
	20	भवन की मरम्मत				20	
	21	मशीनरी की मरम्मत				21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वेतन और मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
		x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
		xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi	
		xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
	23	बीमा					
		i	चिकित्सीय बीमा	23i			
		ii	जीवन बीमा	23ii			

	iii	की-मैन बीमा	23iii	
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv	
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)	23v	
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय		24	
25	मनोरंजन		25	
26	आतिथ्य		26	
27	सम्मेलन		27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है		28	
29	विज्ञापन		29	
30	कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)	30iii	
31	स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)	31iii	
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		
33	होटल, बोर्डिंग, आवास		33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय		34	
35	विदेशी यात्रा व्यय		35	
36	प्रवहण व्यय		36	
37	टेलीफोन व्यय		37	
38	अतिथि गृह व्यय		38	
39	क्लब व्यय		39	
40	उत्सव समारोह व्यय		40	
41	छात्रवृत्ति		41	
42	उपहार		42	
43	दान		43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i	
	ii	सेवा कर	44ii	
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii	
	iv	उपकर	44iv	
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v	
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii	
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii	
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix	
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)	44x	
45	संपरीक्षा फीस		45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i	
	ii		ii	
	iii	योग (i + ii)	46iii	
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	(i1)		47i(1)	
	(i2)		47ii (2)	

	(i3)		47i(3)		
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल **(47i(1)+47i(2)+47i(3))**	47iv		
	ii	**जहां स्थायी लेखा संख्यांक/**आधार **उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)**	47v		
	iii	**अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)**	47i(1)		
	iv	**योग डूबन्त ऋण** (47**i** + 47**ii** + 47**iii**)		47iv	
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध			48	
49	अन्य उपबंध			49	
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 **to** 21 + 22**xi** + 23**v** + 24 **to** 29 + 30**iii** + 31**iii** + 32**iii** + 33 **to** 43 + 44**x** + 45 + 46**iii** + 47**iv** + 48 + 49)]			50	
51	ब्याज				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (**i** + **ii**)			
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			52	
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51**iii** – 52)			53	
कर के लिए उपबंध 54	वर्तमान कर के लिए उपबंध			54	
55	आस्थगित कर के लिए उपबंध			55	
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)			56	
57	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष			57	
58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)			58	
59	विनियोग				
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	**तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष** (58 - 59**vi**)			60	
61	**धारा 44कङ के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना**				

क्र. सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन

	माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	**क्या स्वामित्वाधीन/ पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी**	**माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)**	**उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पटटे पर/किराए पर ली गई थी था**	**माल गाड़ी के लिए धारा 44कङ के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो**
(i)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(क)					
(ख)					
			कुल		

यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)

(ii)	**धारा 44कङ के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी** 61(**i**) **के स्तम्भ** (5) **का योग]**	61(ii)	

टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कङ के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखावहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है

लेखारहित मामला 62	**ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें**			
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त	62क	
	ख	शुद्ध लाभ	62ख	

भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय – लेखा मानक **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विनिर्माण लेखा** *[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]*

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट			
	क	आरम्भिक तालिक		
	I	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i	
	ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii	

			iii	योग (i + ii)			कiii	
		ख		क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख	
		ग		प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
		घ		प्रत्यक्ष व्यय			घ	
			i	आवक वहन व्यय	i			
			ii	विद्युत और ईंधन	ii			
			iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
		ङ		कारखाना उपरिव्यय				
			I	अप्रत्यक्ष मजदूरी				
			Ii	कारखाना किराया और दर				
			Iii	कारखाना बीमा				
			Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत				
			V	कारखाना साधारण व्यय				
			Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण				
			Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii	
		च		विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +ङvii)			1च	
	2			अन्त स्टॉक				
		i		कच्ची सामग्री	2i			
		ii		प्रगतिशील कार्य	2ii			
				योग (2i +2ii)			2	
	3			व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)			3	

भाग क - व्यापार लेखा भारतीय – लेखा मानक **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार लेखा** *[ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]*

व्यापार लेखा में जमा	4			प्रचालनों से राजस्व				
		क		विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
			i	माल का विक्रय	i			
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
			iii	अन्य प्रचालन राजस्व *(प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
				क	iiiक			
				ख	iiiख			
				ग योग (iiiक + iiiख)	iiiग			
			iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv	
		ख		व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख	
		ग		विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
			i	**संघ उत्पाद शुल्क**	i			
			ii	**सेवा कर**	ii			
			iii	**मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर**	iii			
			iv	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	iv			
			v	**राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)**	v			
			vi	**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	vi			
			vii	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)**	vii			
			viii	**कोई अन्य शुल्क कर और उपकर**	viii			
			ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
		घ		प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			4D	
	5			तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
	6			व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)			6	
व्यापार लेखे में देय	7			तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक			7	
	8			क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8	
	9			प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i		आवक वहन व्यय	i			
		ii		विद्युत और ईंधन	ii			

	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	**सीमा शुल्क**	10i		
	ii	**प्रतिरोधी शुल्क**	10ii		
	iii	**विशेष अतिरिक्त शुल्क**	10iii		
	iv	**संघ उत्पाद शुल्क**	10iv		
	v	**सेवा कर**	10v		
	vi	**मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर**	10vi		
	vii	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	10vii		
	viii	**राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)**	10viii		
	ix	**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	10ix		
	x	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)**	10x		
	xi	**संदत्त या संदेय कोई अन्य कर**	10xi		
	xii	योग (**10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi**)		10xii	
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत			11	
12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10**xii**-11)			12	
12क	दिन भर व्यापार से आवर्त			12क	
12ख	दिन भर व्यापार से आय			12ख	

भाग क – लाभ और हानि
भारतीय लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना**]**

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
	i	किराया		i		
	ii	कमीशन		ii		
	iii	लाभांश आय		iii		
	iv	ब्याज आय		iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ		v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ		vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ		vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)		viii		
	ix	धारा 28(**vi**क) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)		ix		
	x	कृषि आय		x		
	xi	अन्य कोई आय *(प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)*				
		क		**xi**क		
		ख		**xi**ख		
		ग	योग (**xi**क + **xi**ख)	**xi**ग		
	xii	अन्य आय का योग (**i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi**ग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14**xii**)			15	
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा			16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17	
	18	विद्युत और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवन की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी		22i		
	ii	बोनस		22ii		
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति		22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण		22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदे		22v		

	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi	
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं			
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख				
23	बीमा						
	i	चिकित्सीय बीमा	23i				
	ii	जीवन बीमा	23ii				
	iii	की-मैन बीमा	23iii				
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv				
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v	
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय					24	
25	मनोरंजन					25	
26	आतिथ्य					26	
27	सम्मेलन					27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है					28	
29	विज्ञापन					29	
30	कमीशन						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)				30iii	
31	स्वामिस्व						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)				31iii	
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस						
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i				
	ii	अन्य को	ii				
	iii	योग (i + ii)				32iii	
33	होटल, बोर्डिंग, आवास					33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय					34	
35	विदेशी यात्रा व्यय					35	
36	प्रवहण व्यय					36	
37	टेलीफोन व्यय					37	
38	अतिथि गृह व्यय					38	
39	क्लब व्यय					39	
40	उत्सव समारोह व्यय					40	
41	छात्रवृत्ति					41	
42	उपहार					42	
43	दान					43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)						
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i				
	ii	सेवा कर	44ii				
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii				
	iv	उपकर	44iv				
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v				
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi				
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii				

		viii	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)**	44viii			
		ix	**कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है**	44ix			
		x	**संदत्त या संदेय कुल दर और कर** (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)			44x	
	45	संपरीक्षा फीस				45	
	46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		i		i			
		ii		ii			
		iii	योग (i + ii)			46iii	
	47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		(i1)		47(i1)			
		(i2)		47i(2)			
		(i3)		47i(3)			
			पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)	47i			
		ii	**जहां स्थायी लेखा संख्यांक/** आधार **उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)**	47ii			
		iii	**अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)**	47iii			
		iv	**योग डूबन्त ऋण** (47i + 47ii + 47iii)			47iv	
	48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48	
	49	अन्य उपबंध				49	
	50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50	
	51	ब्याज					
		i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
		ii	अन्य को	ii			
		iii	योग (i + ii)			51iii	
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52	
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)				53	
विनियोग के लिए	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध				54	
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध				55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56	
	57	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष				57	
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58	
	59	विनियोग					
		i	**आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण**	59i			
		ii	**प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश**	59ii			
		iii	**लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर**	59iii			
		iv	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)**	59iv			
		v	**कोई अन्य विनियोग**	59v			
		vi	**योग** (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi			
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60	
	61	क	ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
		i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i			
		ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमापन	ii			
		iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii			
		iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv			
		v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v			
		vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi			
		vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii			
		viii	योग			61क	
		ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				
		i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i			
		ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii			

		iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii			
		iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv			
		v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v			
		vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi			
		vii	योग			61ख	
62	कुल व्यापक आय **(56 + 61A + 61B)**					62	

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी *(यदि धारा **44**कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)*

1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☑ ☐ वाणिज्य ☐ नकद			
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☑ ☐ हां ☐ नहीं			
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(**iii**)]	3क		
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख**iii**)]	3ख		
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति *(व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)*			
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)			☐
	ग क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति मे कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☑ ☐ हां ☐ नहीं			
	घ धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
	ङ धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो--			
	क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क		
	ख परफौर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध्य के रूप में स्वीकार की जाए	5ख		
	ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग		
	घ आय की कोई अन्य मद	5घ		
	ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ		
	च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च		
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क		
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) (i ख)]	6ख		
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) (iii)]	6घ		
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiii क)]	6ङ		
	च किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
	छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
	ज धारा 80 ग ग ध में निर्दि-ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभितदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज		
	झ मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		
	ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ		
	ट नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त् कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट		
	ठ डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ		
	ड डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड		
	ढ किसी विशे-ा आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ		
	ण कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
	त प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1) (xv)]	6त		
	थ **धारा 145(2) [36(1)(xviii) अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित**	6थ		
	द कोई अन्य अननुज्ञेय	6द		
	ध धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)	6ध		
	न कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)			
	i भारत में अभिनियोजित	i		
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii		

अन्य जानकारी

		iii	कुल	iii			
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें						
	क	पूंजी स्वरूप का व्यय		7क			
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय		7ख			
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]		7ग			
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]		7घ			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय		7ङ			
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना		7च			
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है		7छ			
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)		7ज			
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम		7झ			
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम		7ञ			
	ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)				7	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					
		क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक			
		ख	अधयाय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख			
		ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग			
		घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ			
		ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ			
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच			
		छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ			
		ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा *[40(ख)/ 40(खक)]* के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज			
		झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ			
		ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)			8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम				8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें						
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें		9क			
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकांउट पेयी चैक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।		9ख			
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध *[40 क(7])*		9ग			
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि *[40 क(9])*		9घ			
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय		9ङ			
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)				9च	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम						
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि		10क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि		10ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि		10ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औदयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि		10घ			
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि		10ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम		10च			
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि		10छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)				10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम						
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि		11क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि		11ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि		11ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि		11घ			
	घक	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा चरणबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जमा से किसी ऋण अथवा उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाले करार की सेवा तथा शर्तों के अनुसार संदेय कोई रकम		11घक			

	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च			
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)			11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम					
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क			
	ख	सेवा कर	12ख			
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग			
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ			
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ			
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च			
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ			
	ज	कोई अन्य कर	12ज			
	झ	अधिशेन कुल रकम (12क से 12ज का योग)			12 झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15	
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम				16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17	

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरें — मात्रात्मक ब्यौरे *(यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)*

मात्रात्मक ब्यौरे

(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में				
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो		5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में				
	6	कच्चा माल			
		क	आरंभिक स्टाक	6 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ	
		च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क– ओ एल — समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

कम्पनी का प्राप्ति और

1	आरम्भिक अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	1i	
	ii	बैंक	1ii	
	iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii	
2	प्राप्तियां			

		i	ब्याज	2i			
		ii	लाभांश	2ii			
		iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क	2iiiक			
			ख	2iiiख			
			ग	2iiiग			
			घ कुल (iiiक + iiiख + iiiग)	2iiiघ			
		iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv			
		v	अन्य (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क	2vक			
			ख	2vख			
			ग कुल अन्य प्रातियां (vक + vख)	2vग			
		vi	कुल प्रातियां (2i + 2ii + 2iiiघ+ 2iv + 2vग)	2vi			
	3		कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां			3	
	4		संदाय				
		i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i			
		ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii			
		iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii			
		iv	कमीशन	4iv			
		v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
			क	4vक			
			ख	4vख			
			ग अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख)	4vग			
		vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi			
	5		अंत अतिशेष				
		i	हाथ नकदी	5i			
		ii	बैंक	5ii			
		iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii			
	6		कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)			6	

विवरणी प्रारुप की अनुसूचियाँ यथा लाग भरें

अनुसूची गृह संपत्ति — गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा *(कृपया अनुदेशों को देखें)* (***संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें***)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)

संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.*	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ *आधार सं.*. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ *आधार सं.* (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य		1क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है		1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)		1झ
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		1ञ
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)		1ट

2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)

संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %

	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार सं.*	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ *आधार सं.*. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ *आधार सं.*. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो *दोनों में* अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो *दोनों में* न्यूनतम)		2क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)		2ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ +2ज)		2झ
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		2ञ
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)		2ट
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*		3
4	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)		4

टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास थ्रू आय विनिर्दिष्ट करें
टिप्पण ▶	यदि धारा *194*झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ *आधार सं.*.प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा *194*-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति							
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)						1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविष्ट करें)				2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)				2ख			
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय/पावती को आय के अन्य शीर्षों के अधीन धारा 115 खख च के अधीन धारा खघ के अधीन समझा जाएगा ।	क	गृह संपत्ति		3क			
		ख	पूंजी अभिलाभ		3ख			
		ग	अन्य स्त्रोत		3ग			
		घ	115खखच के अधीन		3घ			
		ङ	115खखछ के अधीन		3ङ			
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कच/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44ध/ 44धक अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)				4क			
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ				4ख			
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)				4ग			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है							
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश		5क				
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर		5ख				
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)						
	i			गi				
	ii			गii				
	iii	कुल (गi + गii)		5गiii				
	घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)			5घ			
6	बकाया (1– 2क – 2ख – 3 क - 3ख – 3ग – 3घ - 3ङ - 4– 5घ)						6	
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय जो धारा 115 ख ख च या धारा 115 खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्षों के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा ।	क	स्वामित्व संपत्ति		7क			
		ख	पूंजी अभिलाभ		7ख			
		ग	अन्य स्त्रोत		7ग			
		घ	115खखच के अधीन		7घ			
		ङ	115खखछ के अधीन		7ङ			
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है				8क			
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-णझ का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं				8ख			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8)				9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)						10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण						11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण							
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)*			12i			
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वय अपनी संगणना करें)*			12ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)					12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)						13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)				14			
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट)				15			
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कज)				16			
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)				17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज)				18			

	19		सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19			
	20		धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
	21		धारा 32कग /33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21			
	22		धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22			
	23		धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23			
	24		लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (फर्मो से जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24			
	25		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनूसूची OIका 4घ)	25			
	26		कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26	
	27		धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
	28		धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			
	29		धारा 32गक के अधीन कटौती के रुप में अनुज्ञेय रकम	29			
	30		लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगध के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद भ4 यदि धारा 35 गगग या 35गगध के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30			
	31		किसी पूर्वगामी पूर्व व-िर्न में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व व-िर्न के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31			
	32		किसी पूर्वगामी पूर्व व-िर्न मे धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु व-िर्न के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	32			
	33		कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम रररररकमरकमध्द्धाराध्द्धत्ङत्ङत्ङत्ढत्ङत्ढत्ङत्ढत्ढत्ढत्ङत्ढत्ङत्ङत्ङत्ङत्ङत्ढत्ढत्ङत्के रूप में	33			
	34		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनूसूची OIका 4ड़)			34	
	35		कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)			35	
	37		आय (13+26-35)			36	
			निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -				
		i	धारा 44कङ अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i			
		ii	धारा 44ख	37ii			
		iii	धारा 44खख	37iii			
		iv	धारा 44खखक	37iv			
		v	धारा 44खखख	37v			
		vi	धारा 44घ	37vi			
		vii	धारा 44घक	37vii			
		viii	अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii			
		ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix			
		x	कुल (37i to 37ix)			37x	
	38		सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)			38	
	39		नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दि-ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रवि-ठ करेकं जो 35 में है करने के पश्चात विशे-ा कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2झ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)			अ39	
		क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39क			
		ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख			
		ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग			
		घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ			
		ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ			
		च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च			
	40		वित्त अधिनियम [4ग -(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष			40	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना						

	41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	41	
	42	धारा 28 से 44 धक के अनुसार परिवर्धन	42	
	43	धारा 28 से 44 धक के अनुसार कटौतियां	43	
	44	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) *(यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें)*	44ख	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
	45	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	45	
	46	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार जोड़	46	
	47	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	47	
	48	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)	48	
	49	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	49	
	50	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 – 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	इ50	
	51	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ51	
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)		ई	
उ	चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा			

	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	हानि का मजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		*(क39)*	
	ii	सट्टे के कारबार से आय	*(ख44)*		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	*(ग50)*		
	Iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	*(4ख)*		
	V	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	vi	मुजरा पश्चात् हानि (i – v)			

अनुसूची - डीपीएम संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
2	दर (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17i या 18i जैसा लागू हैं)*	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17ii या 18ii जैसा लागू हैं)*	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम *17iii या 18iii जैसा लागू हैं)*	1ग			
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14ii या 15ii जैसा लागू हैं)*	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iii या 15iii जैसा लागू हैं)*	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए *14iv या 15iv जैसा लागू हैं)*	2ग			
	घ	भवन पर कुल अव्यक्षण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए *14v* या *15v* जैसा लागू हो)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओऐ *14vi* या *15vi* जैसा लागू हो)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओऐ *14vii* या *15vii* जैसा लागू हो)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग			
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)					

	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17ii)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iii)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iv)	2ग			
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड़ क 17v)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड़ क 17vi)				4	
5	पोत (अनुसूची घ ड़ क 17vii)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची - इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दि-ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			

टिप्पण ▶ यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें

अनुसूची-पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) *(उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)*						
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)					
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कi		
			ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii		
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]	कiii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग		तुलन कiii – ख iv)	1 ग		
		घ		धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दि-ट करें)*	1 घ		
		ङ		स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ङ
		च		अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)			

क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ▶ यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है
एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें

	2	स्लम्प बिक्री से			
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	*(प्ररूप 3गङक का 5)*
		ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	*(प्ररूप 3गङक का 6(ड़))*
		ग	स्लम्प की बिक्री से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2 क- 2 खे)		क 2 ग
	3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii

			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii			
			iv	योग(i + ii + iii)	ख iv			
		ग		शे-ा (3 क – ख iv)	3 ग			
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ			
		ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 3 ङ	
	4			अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
		क		संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है			क 4 क	
		ख		संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है			क 4 ख	
	5			अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)				
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
				क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।				
				ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य				
				ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य				
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
		ग		शे-ा (5 क iii– ख iv)	5 ग			
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ			
		ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 5 ङ	
	6			पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
		क	i	आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
				क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।				
				ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य				
				ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य				
			iii	कुल (iग + ii)	क iii			
		ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
			iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
		ग		शे-ा (6 क iii – ख iv)	6 ग			
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ			
		ङ		अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ			
		च		धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च			
		छ		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)			क 6छ	
	7			अल्प कालिक अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
		क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-ों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की **उपयोग में नहीं लायी जा सकी** किसी राशि **को** =स व-र्ा के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				

क्रम सं.	पूर्व व-र्ा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	**वह धारा जिसके अधीन** =स व-र्ा में कटौती **का दावा किया गया है**	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			व-र्ा जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2017-18	54घ/54छ/54छक			

	ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
		धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)	क7	

8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)		क8	
	क	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8क	
	ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ख	
	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग	
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशे-ा दर पर कर प्रभार्य है:			

क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	*संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नही है तो शून्य लिखे)*	*क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)*	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	*लागू दर (6) या(9)]*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

क	डीटीएए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि	क9क	
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम	क9ख	
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ + क4 क+ क4 ख+ क5 ङ + क6छ + क7 + क 8 - क9क)	क 10	

ख दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)

दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ

1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रुप से भरें)			
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कi	
	ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii	
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) लें]	कiii	
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग		शे-ा (क iii – ख iv)	1 ग	
घ		धारा 54 घ / 54 ङग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिट करें)*	1 घ	
ङ		स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		ख 1 ङ
च		अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)		

क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

टिप्पण ▶ यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं.देना अनिवार्य है ।
एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।

2	स्लम्प बिक्री से			
क		प्रतिफल का पूरा मूल्य	2क	*(प्ररूप 3गङक का 5)*
ख		बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	*(प्ररूप 3गङक का 6(ङ))*
ग		शे-ा (2 क – 2 ख)	2 ग	
घ		धारा 54ङ.ग के अंतर्गत कटौती	2 घ	
ङ		स्लम्प के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)		ख 2 ङ
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)			
क		प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क	
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग		एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क – 3 ख iv)		ख 3 ग
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।			
क		प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क	
ख		धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग		पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)		ख 4 ग

5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है						
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)					ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)						
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ					ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दि-ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दि-ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दि-ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिर्ष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा ।)						
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
			क	कोटा नहीं किए जाने वालें शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क		
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
		ii		कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii		कुल (iग + ii)	क iii		
	ख			धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i		सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii		पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv		योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग			अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख7ग	

8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम 14	ख8	

9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		

	क	i	आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			

				क	कोटा नहीं किए जाने वालें शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य		
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
			ii		कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
			iii		कुल (iग + ii)	क iii	
		ख			धारा 48 के अधीन कटौतियां		
			i		सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
			ii		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
			iii		पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
			iv		योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
		ग			शे-ा (9 क iii – खiv)	7 ग	
		घ			धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिट करें)	7 घ	
		ङ			ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		ख 9 ङ
	10				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क				क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-ों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की **उपयोग में नहीं लायी जा सकी** किसी राशि **को** उस व-र्ा के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं		

क्रम सं.	पूर्व वर्ा में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ा में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है: वर्ा जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है: पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
i	2017-18	54घ/54छ/54छक			
ख	**क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि**				

	दीर्घ +ावधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)	ख10	
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)	ख11	

क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क1	
क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क2	
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य	ख 11ख	

12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशे-ा दर पर कर प्रभार्य हैः (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)	

क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	*संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)*	*क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)*	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	*लागू दर (6) या(9)]*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि	ख12क	
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि	ख12ख	

	13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8च - ख9ङ + ख 10 + ख 11 - ख12क) *(यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)*	ख 13	
ग	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)	ग	
घ	पूंजी अभिलाभ के विरूद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी		
	1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें ।	

क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष	
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii		
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv		
v	दावाकृत कटौती की राशि	क v		
ख	घारा 54 ङ ग के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के स्थानातंरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष	
ii	विनिर्दि-ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम *(पचास लाख से ज्यादा नहीं)*	ख ii		
iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv		
ग	घारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती			
i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानातंरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष	
ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii		
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv		
v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v		
घ	घारा 54 छ क के अधीन दावाकृत कटौती			
i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानातंरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष	
ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii		
iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv		
v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v		
ङ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)	1 ङ		

ङ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4		5	6		7

	i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)			(अ3ङ*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ङ* + अ8ख*	(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ङ *+ आ11क1*+आ11क2*)	(आ1ङ *+ आ2ङ* + आ3ग* + आ6ग*+ आ9ङ*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख		
	ii	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ङ*+ अ4क*+ अ8क*)									
	iii		30%	अ5ङ* + अ8ख*									
	iv		लागू दर	(अ1ङ*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)									
	v		डीटीएए दर दर	अ9ख*									
	vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ङ *+ आ11क1*+आ11क2*)									
	vii		20%	आ4ग *+ आ5*+ आ7ग *+ आ8च*+ आ9ङ *+ आ11क1*+आ11क2*)									
	viii		डीटीएए दर	आ12ख									
	ix	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)											
	x	मुजराई के बाद शेष हानि (i – ix)											

	इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ङ*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।
	इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ङ*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।
च	पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विनियोग में सूचना

		पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
	1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक +नवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक +नवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	4	डीटीएए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
	7	डीटीएए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xiii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					

अनुसूची 112ए	कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की ब्रिकी से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी अदा किया गया है													
क्रम सं..	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/ यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य ,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए	इंडेक्सेशन बिना अधिग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी – निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबध में पूर्णतय अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)- आईटीआर 6 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5

						गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियाँ जोडे														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) **एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिनपर धारा 112 क के अन्तर्गत एसटीटी अदा किया गया है।**

क स	अर्जित शेयर/यूनिट	**आईएसआईएन कोड**	**शेयर/यूनिट का नाम**	**शेयर/यूनिटों की संख्या**	**बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट**	प्रतिफल का पूरा मूल्य ,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	**इंडेक्सेशन के बि ना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर**	**अधिग्रहण की लागत**	**यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी**	**31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट**	**धारा 56 2 कग के अनसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10**	**अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा वशिषकर व्यय**	**कुल कटौतियीं 3 7**	**शेष(6-13) - आईटम्स 8 का एलटीसीजी शेडयूल का आईटीआर 6**
(कॉलम 1)	**(कॉलम 1क)**	**(कॉलम 2)**	**(कॉलम 3)**	**कॉलम 4)**	**(कॉलम 5)**	**(कॉलम6)**	**(कॉलम7)**	**(कॉलम 8)**	**(कॉलम9)**	**(कॉलम10)**	**(कॉलम11)**	**(कॉलम12)**	**(कॉलम13)**	**(कॉलम14)**
1														
2														
पंक्तियां जोड़े														
योग														

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				**1**			
	क	**लाभांश,** सकल			**1क**			
	ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv)			**1ख**			
		i	बचत बैंक खाता	खi				
		ii	जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉपोरेटिव सोसाइटी)	खii				
		iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii				
		iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv				
		v	अन्य	खv				
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			**1ग**			
	घ	धारा 56 (2) (**x**) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)			**1घ**			
		I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi				
		Ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii				
		Iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii				
		Iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv				
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv				
	ङ	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें						
		क्रम सं	प्रकृति		राशि			
		1						
		लाइन जोड़े						
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से **1**)						**2**	
	क	लाटरी वर्ग पहेली इत्यादि की जीत के रूप में आय			**2क**			
	ख	धारा 115खखघ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख			
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi				
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				

	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (घi से घ xx का कुल योग)			2ग	
	i	धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लांभाश	ग i		
	ii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	ग ii		
	iii	धारा115 क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii		
	iv	धारा115 क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194 टग में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv		
	v	धारा115 क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194 टघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग v		
	vi	धारा115 क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य धारा 194 औआअ में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग vi		
	vii	धारा115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग vii		
	viii	धारा115क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	ग viii		
	ix	धारा115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या जी.डी.आर या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग ix		
	x	पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग x		
	xi	धारा115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xi		
	xii	धारा115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई दवारा बाण्ड पर या धारा 194 टघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त् ब्याज के रूप में आय	ग xii		
	xiii	धारा115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xiii		
	xiv	धारा115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	ग xiv		
	Xv	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	ग xv		
	xvi	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रुप में आय –धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	ग xvi		
	xvii	धारा115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xvii		
	xviii	115खखघ में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से भारतीय कंपनी द्वारा लाभांश पर प्राप्त कर	गxviii		
	xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है . (वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के पैरा ईII के भाग I)	गxix		
	xx	धारा 115क(1)(अ)(iiac) के तहत प्रभार्य धारा 194 थखक में संदर्भित लाभांश में वितरित आय	गxx		
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय कीप्रकृति में पास थूँ आय (डॉप डाउन दिया जाए)			2घ	
ङ	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य है उपरोक 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)			2ङ	

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1क to 1घ, 2ग & 2घ में जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों			
	क	व्यय/ कटौतियां	3क	

ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई	3ख		
ग	धारा 57(1)के तहत ब्याज व्यय (यदि अया 1क में प्रस्तावित केवल तभी उपलब्ध)	3ग		
घ	योग	3घ		

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5	
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद – 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें)	6	

7	अन्य स्त्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)			7	
8	धुड दौड के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय।				
	क	प्राप्तियां	8क		
	ख	केवल 8क की प्राप्तियो के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख		
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग		
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ		
	ङ	अतिशेा (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 11xv के अंक प्रविटि करे)		8ङ	
9	"अन्य स्त्रोतों से आय" शीर्ा के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)			9	
10	अन्य स्त्रोंतो से आय की प्रोभ्द्रन/प्राप्ति के बारे में जानकारी				

	क्रसं.	अन्य स्त्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	लाभांश आय					
	2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों दौड, खेलों, घुत,शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय					

अनुसूची सीवाईएलए चालू वार्ा की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

चालू वार्ा हानि समायोजन

क्र.सं.	आय का शीर्ा/स्त्रोत	चालू वार्ा की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वार्ा की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वार्ा की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्त्रोतों से चालू वार्ा के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेा दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न	मुजरे के पश्चात् शेा बची चालू वार्ा की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकडे नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		*(अनुसूची एचपी का 4)*	(अनुसीची बीपी की मद च का 2)	*(अनुसूची ओएस का 6)*	
ii	गृह संपत्ति	*(अनुसूची एचपी का 4)*				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	*(अनुसूची एचपी का क 38)*				
Iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	*(बीपी अनुसूची की मद ङ का 3)*				
v	सट्टे से आय	*(बीपी अनुसूची की मद ङ का 3ii)*				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिट कारबार आय	*(बीपी अनुसूची की मद ङ का 3iii)*				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9ii)*				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 iii)*				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9iv)*				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9v)*				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9vi)*				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 vii)*				
Xiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी की मद ङ का 9 viii)*				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	*(अनुसूची ओएस की मद 6)*				
Xv	दौड के धोडो का सौमित्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	*(अनुसूची ओएस की मद 8ङ)*				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची ओएस की मद 2 च)*				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेा हानि (i - xvii)					

अनुसूची-वीएफएलए पूर्व वार्ा की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

	क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
अग्रनीत हानि समायोजन	i	गृह संपत्ति	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)*	*(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)*			
	ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)*	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
	iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)*	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
	iv	सट्टे से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)*	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
	v	विनिर्दिट कारबार आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)*	(ख विनिर्दिट कारबार से हानि है)			
	vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
	vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
	viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय +ल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)*	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
	x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
	xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
	xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिव अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)*	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
	Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)*				
	Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)*	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
	xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)*				
	Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि					
	xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची-सीएफएल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिट कारबार से हानि	धारा 115ख के अन्तर्गत बीमा बिजनेस से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रेस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रनीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रनीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11
I	2010-11											
Ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
xii	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च											
xiii	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		*(अनुसूची बीएफएलए का 2i)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)*			*(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2v)*	*(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)*			*(अनुसूची बीएफएलए का 2xii)*
xiv	2021-22 चालू वर्ष की हानियाँ		*(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)*	*(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)*			*(अनुसूची बीएफ का ख44, यदि - vड़)*	*(अनुसूची बीएफ का ग50, यदि - vड़)*	अनुसूची बीपी का 4ख *(यदि -vड़)*	*(अनुसूची सीजी की मद ड का 2भ+3भ+4भ)*	अनुसीची सीजी की मद ड का *(6भ+7भ))*	*(अनुसूची ओएस का 8ड़ यदि - vड़)*
xv	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											

Xvi	चालू वर्ष की हानियां अग्रनीत (xiv-xv)									
xvii	भावी व-र्ों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xii-xiii+xvi)									

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अमामेलित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण व-र्ा	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रनीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू व-र्ा की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले व-र्ा के लिए अग्रेनित शे-ा रकम	अग्रनीत अमामेलित भत्ते की रकम	चालू व-र्ा की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले व-र्ा के लिए अग्रेनित शे-ा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण व-र्ा						
ii							
iii	योग		*(बीएफएलए का 3xvi)*			*(बीएफएलए का 4xvi)*	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 *क के अधीन मूल्यांकर की पदधति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ* 4घ *या* 4 *ङ में पृथक रूप से सूचित किया गया है)*	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 *क के अधीन मूल्यांकर की पदधति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ* 4घ *या* 4 *ङ में पृथक रूप से सूचित किया गया है)*	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशे-ा आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क्र0 सं0	उपक्रम	निर्धारण व-र्ा जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र0 सं0	रकम
क	उपक्रम सं0 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
ख	उपक्रम सं0 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)		ग	

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					

		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80जीजीए **वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए** संदान **का ब्यौरा**

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि				संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	नकद संदान की तारीख	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i								
ii								
	कुल संदान							

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरें [धारा 35(1)(**ii**) या 35(1)(**ii**) या 35(1)(**iii**) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

	संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	योग					

अनुसूची__80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ग	धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशे-ा आर्थिक जोन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घ	धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुजजीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
च	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2+ ङ1 + ङ2)				च

अनुसूची__80 झख धारा 80-झख के अधीन कटौती

क	जम्मू-कश्मीर एंव लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	

ख	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखक का मद *10(v)*)		
		ख 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखक का मद *10(v)*)		
ग	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख(7ख))	ग 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखख का मद *10(v)*)		
		ग 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखख का मद *10(v)*)		
घ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80झख(8क))	घ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
		घ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
ङ	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख(9))	ङ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
		ङ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
च	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(10))	ङ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
		ङ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
छ	फल और सब्जियों,मांस,मांस उत्पाद,कुक्कुट,समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	छ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
		छ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
ज	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ज 1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
		ज 2	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)		
झ	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11ख))	झ 1	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखग का *11(v)*		
		झ 2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखग का *11(v)*		
ञ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8झख (11ग)	ञ 1	उपक्रम सं0 1	प्ररुप 10गगखघ का *11(घ)*		
		ञ 2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखघ का *11(घ)*		
ट	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ञ 2 का योग)				ट	

अनुसूची-80-झग या 80-झङ धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-झग के अधीन कटौती

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बावत कटौती				क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
					क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बावत कटौती				ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
					ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बावत कटौती				ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
					ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बावत कटौती					
	घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)				घज	
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)					ङ	

अनुसूची-VI- क अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौटी						
	कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित						
क	80छ		ख	80छछख			
ग	80छछक		घ	80छछग			
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)					1	
2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौटी						
ङ	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख			
छ	80झकग		ज	80झख	(अनुसूची 80झख का ण)		
झ	80झखक		ञ	80झग/ झड.	*(अनुसूची 80-झग/80-झड का ड़.)*		
ट	80ञञक		ठ	80ञञकक	*(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(aiv) +5II*		
ड	80ठक(1)	*(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)*	ढ	80ठक(1क)	*(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)*		
ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभांश वितरण का विवरण		त	80तक			
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ङ से त)					2	
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)					3	

अनुसूची एसआई विशेा दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

विशेा दर

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेा दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विअी पर एसअीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5v)*	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5vii)*	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5x)*	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5x)*	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5x)*	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का का भाग *5x)*	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5x)*	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का *5xi)*	
9	112क (शेयरों अथवा यूनिटों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का *5x)*	
10	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी एलटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का 5i*x)*	
11	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का भाग *5xii)*	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का *5iii)*	
13	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग *1* च *ii)*	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश)	☐	15	*(अनुसुची - ओएस का भाग 2*घxvi)	
16	115 खखङ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग *2*घviii)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का *3*घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का *2*घxvi)	
19	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का *8*ङ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का *2*घxvii)	
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का *2*च का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थ्रूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5बीआई का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थ्रूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5बीआईआई का भाग)	

	23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5एक्स का भाग)	
	24	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5एक्सआई का भाग)	
	25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐		अनुसूची वीएफएलए का का 5एक्स भाग)	
	26	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों की प्रकृति की पास थूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओएस का 2ङ)	
	27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2डीIx)	
	28	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।.	☐	50	(अनुसूची ओएस का 2डीxix)	
				योग		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है ।)

	1	ब्याज से आय			1	
छूट प्राप्त आय	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	iii		
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)		2	
		v	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख रू0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरें दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)			
		क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहॉ कृषिगत भूमि है			
		ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम			
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते है या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)			
		घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)			
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें)			3	
	4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर से प्रभार्य नहीं है				

क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हॉ/ना)
I						
II						
III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभार्य नहीं है					

	5	पास थूँ आय जो कर से प्रभार्य नहीं है (अनुसूची पीटीआई)	5	
	6	योग (1+2+3+4+5)	6	

अनुसूची पीटीआई धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
पास के माध्यम से आय	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						कi	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112				
						खii	धारा 112A				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.				i	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				

						कi	धारा 111क				
						काi	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	धारा 112क से भिन्न				
					iii	अन्य स्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एमएटी — **धारा 115जख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना**

न्यूनतम बैकल्पिक दर

1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दि-ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐

4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रवि-ट करें)/ (भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)		4	
5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)			
क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क		
ख	आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख		
ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग		
घ	समनु-ंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ		
ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ		
च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च		
छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ		
ज	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
झ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
ठ	धारा115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
ड	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
ढ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ +5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)		5ढ	
6	कटौतियां			
क	आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
ख	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
ङ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
च	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
छ	धारा115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
ज	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ		
ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ		
ट	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ +6ज +6झ+6ञ+ 6ट)		6ठ	
7	धारा 115झख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ – 6ठ)		7	

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम,2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।		☐ हां	☐ नहीं

		क. धारा 115ञख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ			
		क	शीर्ष वे मदें,जो लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क	
		ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
		ग	धारा 115ञख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
		घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
		ङ	कुल जोड (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
		ख. धारा 115ञख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
		च	शीर्ष वे मदें,जो लाभ और हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
		छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
		ज	धारा 115ञख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
		छ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
		ञ	कुल जोड (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
	9	धारा 115ञख (7 + 8ङ – 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय		9	
	10	धारा 115झख के अधीन संदेय कर		10	

अनुसूची एमएटीसी	धारा 115 ञकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना		
1	निर्धारण वर्ष 2021-22 में धारा 115ञख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1	
2	निर्धारण वर्ष 2021-22 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3	
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अध्यधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]		

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2008-09					
ii	2009-10					
iii	2010-11					
iv	2011-12					
v	2012-13					
vi	2013-14					
vii	2014-15					
viii	2015-16					
ix	2016-17					
x	2017-18					
Xi	2018-19					
Xii	2019-20					
Xiii	2020-21					
Xiv	2021-22 [(का क्रम संसं1 - क्रम सं2)-अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
xv	योग					

5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115ञकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xv) प्रविष्ट करें]	5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xv प्रविष्ट करें]	6	

अनुसूची-बीबीएस शेयरों की पुन:खरीद पर घरेलू कंपनी की वितरीत आय पर कर के ब्यौरे

क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर कर

क्रम	विवरण			पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे		दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे		तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
(i)	(ii)			(iii)		(iv)		(v)	
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख			(दिन/मास/व-ी)		(दिन/मास/व-ी)		(दिन/मास/व-ी)	
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम								
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम								
4	कंपनी की वितरित आय (2 – 3)								
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर)20% की दर से संदेय अतिरिक्त क						
		ख	क पर अधिभार						
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख)पर						
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)						
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज								
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)								
8	संदत्त कर और ब्याज								
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)								
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें			तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
				(दिन/मास/व-ी)	(दिन/मास/व-ी)	(दिन/मास/व-ी)	(दिन/मास/व-ी)	(दिन/मास/व-ी)	(दिन/मास/व-ी)
11	बैंक और शाखा का नाम								
12	बीएसआर कोड								
13	चालान की क्रम संख्या								
14	जमा रकम								

अनुसूची टीपीएसए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर

1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निधा्ररित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है							
2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर						
	ख	क पर 12% की दर से अधिभार						
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ तथा शिक्षा उपकर						
	घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिक्ति कर						
3	अदा किए गए कर							
4	(2घ-3) देय निवल कर							
5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6	
		(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	
6	बैंक तथा शाखा का नाम							
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम सं.							
9	जमा की राशि							

अनुसूची- एफएसआई भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

भारत के बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत

क्र. सं	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ा	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड़.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					

			iv	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दि-ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)
	योग				

2	देश जहां डीटीएए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)	2	
3	देश जहां डीटीएए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)	3	
4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण	4	हां/नहीं

क	प्रतिदेय कर की रकम		ख	वह निर्धारिती वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची वि.आ. **भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा**

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

आ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												

(ii)												

छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है								
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ►	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्रापृत नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1 **असूचीबद्ध कंम्पी की शेयर धृति** (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करे;-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2 **स्टार्ट-अप की शेयर धृति**

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररुप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करे;-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/ आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/ आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/ आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

टिप्पण	पदों- "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "विनिर्दिष्ट कंपनी", की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची एल-1 **वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रुप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची एल-2 भरना जाना है)**

आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे

क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे				
क्र.सं.	पता	पिन कोड़	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)					

(ii)					

ख घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे

क्र.सं.	पता	पिन कोड़	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)					

ग सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा

आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

घ असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा

कंपनी का नाम	पेन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत

ङ अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे

प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत

च अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे

अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष

छ किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे *(यदि साहूकारी निर्धारिती का सार्वान कारवार नहीं है)*

व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

ज मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे

आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)

झ आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा

आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रोप-डाउन दिया जाए)

ञ दायित्वों के ब्यौरे

वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे

व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची एल-2 वर्ष के अंत में आंस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अपस के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररुप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें ;-

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

क निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे

क्र.सं.	पता	पिन कोड़	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)						
(ii)						

ख निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे

क्र.सं.	पता	पिन कोड़	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)						

ग निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे *(यदि साहूकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)*

	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो

घ निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे

	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो

ङ शेयरों और प्रतिभुतियों के अर्जन के ब्यौरे

	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शैयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो

च मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है

	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रोप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख

छ निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा

	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रोप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो

ज निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा

	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रोप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो

झ दायित्वों के ब्यौरे

वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे

व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

जीएसटी का ब्यौरा

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ▶ *कृपया* प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रुप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफडी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (*निर्धारिति जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है*)

करेंसीवार ब्यौरे

क्रम सं.		रकम (रुपये में)
i	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ▶ *कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें*

भाग - ख

भाग ख कुल आय — कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)			1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि				
		i सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i			
		ii सट्टे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के *3(ii)*(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आकंडे लें)	2ii			
		iii विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का *3(iii)*(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफल का आंकडे लें)	2iii			
		iv **विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय *(अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ तथा 3ङ और 4*ख)**	2iv			
		V कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)			2v	
	3	पूंजी अभिलाभ				
		क अल्पकालिक				
		i अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड़ के 9ii)	कi			
		ii अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड़ के 9 iii)	कii			
		iii लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड़ के 9 iv)	कiii			
		iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ङ की 9*v)*	कiv			
		v कुल अल्पकालिक (कi + कii+कiii + कiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करे)	3कv			
		ख दीर्घकालिक				
		i दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड़ के 9vi)	खi			
		ii दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड़ के 9vii)	खii			
		Iii **डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ङ की 9***viii)*	खiii			
		iv कुल दीर्घकालिक (खi + खii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	खiv			
		ग कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)			3ग	
	4	अन्य स्रोतों से आय				
		क **साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (**यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट कर)	4क			
		ख आय पर प्रभार्य कर विशे-ा दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख			
		ग **दोड़ के घोड़ो के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय** (+नुसूची ओ एस का 8ङ) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4ग			
		घ कुल (4क+ 4ख+ 4ग)			4घ	
	5	**शीर्ष-वार आय का योग** (1 + 2v + 3ग + 4घ)			5	
	6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ा की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल *2xvii, 3xvii* तथा *4xvii*)			6	
	7	चालू वर्ा की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशे-ा (5--6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं *(ii), (iii) , (v)* से *(xv)* तक का योग + *4ख + 2iv)*			7	
	8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल *2xvi, 3xvi* तथा *4xvi*)			8	
	9	सकल कुल आय (7--8) *(*अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं *(i) , (ii) , (iv)* से *(xiv)*तक का योग + *4ख + 2iv)*			9	
	10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशे-ा दर से प्रभार्य कर			10	
	11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां				
		क अनुसूची 6क का भाग ख *[*अनुसूची *VI*क का 1 तथा बीएफएलए के *i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5* तक सीमित*]*			11क	
		ख अनुसूची 6क का भाग ग *[*अनुसूची *VI*क का 2 तथा अनुसूची बीएफएलए के *ii*5 तक सीमित*)]*			11ख	
		ग कुल (11क + 11ख) *(9-10) तक सीमित)*			11ग	
	12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसीच *10*कक*)*			12	
	13	कुल आय (9- 11ग -12)			13	
	14	विशे-ा दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग			14	
	15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15	
	16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			16	
	17	चालू वर्ा की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xv) का योग			17	
	18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18	

भाग ख - कुल आय पर कर — कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क धारा 115जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)		1क	
		ख ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख	
		ग **उपर (1क+1ख) पर** 4% **की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर**		1ग	
		घ धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)		1घ	

	2	कुल आय पर संदेय कर				
		क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क		
		ख	विशे-ा दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख		
		ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर		2ग	
		घ	अधिभार			
			i एस आई अनुसूची 12(ii) का 25%	2घi		
			ii एस आई अनुसूची का 12(ii) - 2ग)	2घii		
			iii कुल (i + ii)		2घiii	
		ङ	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर		2ङ	
		च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ङ)		2च	
	3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3	
	4	पूर्ववर्-ा में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)			4	
	5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]			5	
	6	कर अनुतो-ा				
		क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क		
		ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख		
		ग	कुल (6क + 6ख)		6ग	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 – 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करे)			7	
	8	संदेय ब्याज और फीस				
		क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
		ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
		ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
		घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)	8घ		
		ङ	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)		8ङ	
	9	सकल दायित्व (7 + 8ङ)			9	
देय कर	10	संदत्त कर				
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क		
		ख	टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
		घ	स्व निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से)	10घ		
		ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)		10ङ	
	11	संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करे)			11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)			12	

बैंक खाता

13 क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खातें वाले प्रतिदाय का दावाकरने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)

(क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)

क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आईएफएससी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं(
i				
ii				

नोट:
1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए
2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिटि के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा

(ख) अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के बयौरे प्रस्तुत कर सकते हैं

क्रम सं.	एसडब्ल्यू आई एफ टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन	आईबीएएन

यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है

	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय **(i)** भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। **(ii)** भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या **(iii)** भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)	☐ हां ☐ नहीं

15 अनुसूची-आयकर

क अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय

क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
I				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण--भाग ख--टीटीआई की क्रम सं0 *10*क और *10*घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें ।

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]

क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	अग्रेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई		अग्रेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)			सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							आय / टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं.			
i														

टिप्पण ►कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोत पर संगृहीत कर

क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकांउट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस(वत्ति वर्ष 2019-20 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष दावा की जा रही (5) अथवा (6) में से राशि (तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुरूपी रसीद प्रस्तुत की जा रही है।	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के *10*ग में स्तंभ (*7*) का योग भरें

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, **1961** के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैं..... **(ड्रोप-डाउन दिया जाए)** की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूं और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूं (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखे).

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में,जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख..... **यहां हस्ताक्षर करें**

प्ररूप आ.क.वि-7

भारतीय आयकर विवरणी

[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]

(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)

(कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)

निर्धारण व-र्ा 2021-22

भाग क-साधारण

व्यक्तिगत सूचना

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)			स्थायी लेखा संख्यांक
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/व-र्ा) / /
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		प्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें) ☐ उपप्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें) ☐
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड /जिप कोड	
कार्यालय का दूरभा-ा संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.	फैक्स सं. / मोबाइल सं.2		ई मेल पता 1
ई मेल पता 2			

क्या निर्धारिति द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें:

आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)
1			
2			
3			
4			

आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)

क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	क्या पंजीकरण के लिए आवेदन नए उपबंध के अनुसार किया गया है	वह धारा जिसके अंतर्गत पंजीकरण लागू होता है	वह तारीख जिस को नए उपबंधों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन किये गया है	नए उपबंधों के अंतर्गत चयनित छूट की धारा
1								
2								
3								
4								

आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं.	विधि जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
1				
2				
3				
4				

फाइल करने की प्रास्थिति

(क)	धारा के अधीन फाईल(**चिह्नाकित करें**) *[कृपया अनुदेश देखें]*	☐ 139(1)- **नियत तारीख को या उससे पूर्व** ☐ **139(4)-** देय तारीख के पश्चात्, ☐**139(5)-** पुनरीक्षित विवरणी, ☐**92गघ-उपांतरित** विवरणी, ☐ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्
	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	☐ **139(9),** ☐ **142(1),** ☐ **148,** ☐ **153क,** ☐**153ग**
(ख)	**किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ?**	☐ **139(4क)** ☐ **139(4ख)** ☐ **139(4ग)** ☐ **139(4घ)** ☐ अन्य
	कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	

(ग)	**यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी करने की पावती संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)**		____ /____/_____
(घ)	**यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई तो यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।**	(यूनिक संख्या)	/ /
(ङ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) ☐निवासी ☐ अनिवासी		

(च)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? ☐ हां ☐ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]

(छ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें--	
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)
	(3)	प्रतिनिधि का पता
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)/ आधार सं.
(ज)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार है? (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें	
	फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां

(झ)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसूचिबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।

	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
				शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अन्य ब्यौरे

क	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो			
		क	I	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दि-ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हां ☐ नहीं
			Ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां	%
		ख	I	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दि-ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हां ☐ नहीं
			Ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां	%
	ii	यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्-िक प्राप्तियां			
		क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्-िक प्राप्तियों की राशि	
		क			
		ख			

ख	I	क्या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?		☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो अनुमोदन संख्यांक प्रवि-ट करें		
	iii	अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/व-र्)		____/____/____
ग	i	क्या व-र् के दौरान उन उद्देश्यों/क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था ?		☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करे :-		
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
		ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है	☐ हां ☐ नहीं
		ग	क्या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्री मंजूर की गई है	☐ हां ☐ नहीं
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
घ	i	क्या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ?		☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रवि-ट करें ?		
	iii	रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/व-र्)		____/____/____
	iv	क	वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान की कुल रकम, यदि कोई हों।	रु. _____
		ख	वह प्रयोजन निर्दि-ट करें, जिसके लिए उपरोक्त अभिदाय प्राप्त किया गया है	
ङ	i	क्या कारबार न्यास के साथ सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है ?		☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, तब रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें		

	iii	(दिन/मास/वर्ष)	_____/_____/_____
च		क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है ? (यदि धारा 13(1)(ग) और /या धारा 13(1)(घ)के अधीन नामंजूर किए जाने योग्य है)?	☐ हां ☐ नहीं
छ		क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?	☐ हां ☐ नहीं
ज		क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☑ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :	
		किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दि-ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/व-र्) (अनुदेश देखिए)	

	क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक कानाम
	ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक
	ग	संपरीक्षक का नाम (स्तत्वधारी/फर्म)
	घ	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं..
	ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख
	च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ...../...../..... तारीख/मास/व-र्ा
झ		यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें।

अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)

सदस्य की जानकारी

ञ व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2021 को ए.ओ.पी सदस्यों में थे (पूंजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए।

क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन आई.डी.	आधार/नामांकन	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विवरणी प्ररुप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची झ **धारा 11(2) के अर्थांतर्गत या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्यौरे**

संचयन का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकमें	उपयोग के लिए अतिशेष रकम (7) = (2) - (4) – (6)	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थांतर्गत आय समझी जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
2020-21							
योग							

अनुसूची ञ **पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन [तभी भरा जाए, यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viक)/10(21) के अधीन अनुमोदित है]**

अ	(i)	पूर्ववर्ती वर्ष अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशेष	.....रु.
	(ii)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशेष	.....रु.
आ	धारा 11(5)के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्यौरा		

क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान	विनिधान की तारीख	परिपक्वता की तारीख	विनिधान की रकम	परिपक्वता पर रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i	सरकार के बचत स्कीम में विनिधान				
ii	डाक घर बचत बैंक खाता				
iii	धारा 11(5)(iii)के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा				
iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान				
v	कोई अन्य				
vi	**योग**				

इ उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान

विनिधान निधियों का ब्यौरा

क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो ☑ *का निशान लगाएं*	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
ii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iv		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
v		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
vi		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
	योग						

ई पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान

क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☑ *का निशान लगाएं)*	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		☐ हां ☐ नहीं			
ii		☐ हां ☐ नहीं			
iii		☐ हां ☐ नहीं			
iv		☐ हां ☐ नहीं			
v	योग				

उ ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दि-ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है

क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशे-ा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

अनुसूची ट न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशि-टयों का विवरण (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

अ	न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों)/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं,का/के नाम और पता/पते		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व व-र्ा (पूर्व व-र्ों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
ई	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

अनुसूची ठक राजनैतिक दल

1	*क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों ☑ का निशान लगाएं*		☐ हां ☐ नहीं
2	क	क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☑ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	ख	यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☑ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
3	*क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो ☑ का निशान लगाएं*		☐ हां ☐ नहीं
	यदि हां तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-		
	क	लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	...../...../.....
	ख	लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम	
	ग	लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या	
	घ	लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)	
	ङ	स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.	
	च	लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)	
	छ	लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख	
4	क्या पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वालेके खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खातेके माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलैक्ट्रानिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☑ करें)		☐ हां ☐ नहीं
5	*क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो ☑ का निशान लगाएं*		☐ हां ☐ नहीं
6	*यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख* तारीख/ मास/ वर्ष		...../...../.....

अनुसूची ईटी निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास

1	*क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?*		☐ हां	☐ नहीं
2	*क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों(☑) का निशान लगाए*		☐ हां	☐ नहीं
3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ☑ का निशान लगाएं)		☐ हां	☐ नहीं
4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ☑ का निशान लगाएं)		☐ हां	☐ नहीं
	यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		_____/_____/_____	
5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों ☑ का निशान लगाएं		☐ हां	☐ नहीं
6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे			
i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i		
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii		
iii	योग (i+ii)	iii		
iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv		
v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. Ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v		
vi	योग (iv+v)	vi		
Vii	धारा13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है)(नियम 17गक के अनुसार)	Vii		
viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष	Viii		

अनुसूची वीसी स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	स्थानीय				
i	समग्र निधि संदान			अi	
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त			अii	
	(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान			
	(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनीयों से प्राप्त अनुदान			
	(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान			
	(घ)	अन्य संदान			
	(ड़)	कुल		अiiड़	
iii	स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (अi + अiiड़)			अiii	

	आ	विदेशी अभिदाय			
		i	समग्र निधि संदान	आ i	
		ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
		iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आ iii	
	इ	कुल अभिदाय (आiii + आiii)		इ	
	ई	ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय			
		i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
		ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो	ii	
		iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

अनुसूची एआई ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां			1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां			2	
	3	किराया			3	
	4	कमीशन			4	
	5	लाभांश आय			5	
	6	ब्याज आय			6	
	7	कृषि आय			7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल			8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
			प्रकृति		रकम	
		क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क		
		ख		ख		
		ग		ग		
		घ		घ		
		ड	कुल (9क +9ख +9ग+9घ)	ड		9ड
	10	कुल				10

अनुसूची ईआर वर्ष के दौरान उपगत राजस्व व्यय और पूर्व वर्ष के दौरान न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों को लागू रकम-राजस्व खाता [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

					रकम
अ	स्थापन और प्रशासनिक व्यय				
	1	किराए		1	
	2	मरम्मत और अनुरक्षण		2	
	3	कर्मचारियों को प्रतिकर		3	
	4	बीमा		4	
	5	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		5	
	6	मनोरंजन और आतिथ्य		6	
	7	विज्ञापन		7	
	8	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस		8	
	9	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय		9	
	10	न्यासियों को पारिश्रमिक		10	
	11	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है)		11	
	12	ब्याज		12	
	13	संपरीक्षा फीस		13	
	14	अवक्षयण और अपाकरण लागत जिसका पहले दावा नहीं किया गया है जो उस वर्ष या किसी अन्य पूर्व वर्ष में लागू है		14	
	15	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			प्रकृति		रकम
		क		क	
		ख		ख	
		ग		ग	

		घ		घ			
		ङ	कुल (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	ङ		15	
	16	कुल (अ1 to अ15)				16	
आ	न्यास/संस्था के उद्देश्यों पर व्यय						
	1	संदान - कार्पस से भिन्न					
	2	धार्मिक				2	
	3	गरिबों के लिए अनुतोष				3	
	4	शिक्षा				4	
	5	योग				5	
	6	चिकित्सा अनुतोष				6	
	7	पर्यावरण संरक्षण				7	
	8	समारकों आदि का संरक्षण				8	
	9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता				9	
	10	कुल (आ 1 to आ9)				आ10	
इ	नामंजूर किए जाने योग्य व्यय (इ1 + इ2 + इ3 + इ4)					इ	
	1	डूबंत ऋण				1	
	2	उपबंध				2	
	3	कायिक निधि का भाग बनाने वाला दान				3	
	4	कोई अन्य नामंजूर किए जाने योग्य व्यय				4	
ई	वर्ष के दौरान उपगत कुल राजस्व व्यय (अ16 + आ10 + इ)					ई	
उ	राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए निधि स्रोत					उ	
	1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युतपन्न आय				1	
	2	धारा 11(1) के सपष्टीकरण 1 खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय (तभी लागू होगा जब धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया हो)				2	
	3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय				3	
	4	उधार ली गई निधि				4	
	5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				5	
ऊ	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि- राजस्व खाता [क16 + ख10 -ङ2 - ङ3 -ङ4 - ङ5]					ऊ	

अनुसूची ईसी पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम - पूंजीगत लेखा [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन फाइल किया जाए]

						रकम
1	कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)				1	
2	पूंजी आस्ति का अर्जन (आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया तथा जिसके लिए धारा 11(1क) के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है)				2	
3	धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित)				3	
4	अन्य पूंजी व्यय					
	क्र. सं.	प्रकृति		राशि		
	i		4i			
	ii		4ii			
	iii		4iii			
	iv	कुल व्यय (4i +4ii+4iii)			4iv	
5	कुल पूंजी व्यय (1 + 2 +3 +4)				5	
अ	पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत					
	1	पूर्व के दौरान संपत्ती से व्युत्पन्न आय			1	
	2	धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय			2	
	3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय			3	
	4	उधार ली गई निधि			4	
	5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			5	
आ	पूर्व वर्ष के दौरान कुल राशि– पूंजी खाता [5 – क2 - क3 - क4 - क5]				आ	

अनुसूची आईई-1 **आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23घक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), *10(23चख)*, धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहां आय बिना शर्त छूट प्राप्त है)**

	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	**संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन**	2	
	3	**संचित आय**	3	

अनुसूची आईई- 2 **आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितयों को लागू)**

अ	1		कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2		**संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन**	2	
	3		**संचित आय**	3	
आ	1		**क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं** (चिह्नित)☑	☐हां ☐नहीं	
		क	**गृह संपत्ति से आय (कृपया अनुसूची एचपी भरें)**	1क	
		ख	**कारबार या वृत्ति से आय (कृपया अनुसूची बीपी भरें)**	1ख	
		ग	**पूंजीलाभ से आय (कृपया अनुसूची सीजी भरें)**	1ग	
		घ	**अन्य स्रोत से आय (कृपया अनुसूची ओएस भरें)**	1घ	

अनुसूची आईई-3 **आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iiiकख) या धारा 10(23ग)(iiiकग) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारियतियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):**

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

अनुसूची आईई-4 **आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iiiकघ) या धारा 10(23ग)(iiiकड) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितयों को लागू)(कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें)*:***

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह संपत्ति **गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा** *(कृपया अनुदेशों को देखें)* ***(संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए))***

	1	**संपत्ति 1 का पता**	**नगर/ शहर**	**राज्य**	**पिन कोड / जिप कोड**

गृह संपत्ति

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ **(यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)**

संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	***सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/*** आधार सं.	**संपत्ति में अंश की प्रतिशतता**
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] ***(सही का निशान लगाएं)*** ☑	**किराएदार का नाम** (यदि किराये पर हो(	**किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/** *आधार सं.* *(यदि उपलब्ध हों)*	किरायदार (रों) का **पैन/**टैन/ *आधार सं.* (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)
☐ **यदि किराए पर हो**	I		
☐ स्वयं के उपभोग में	II		
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			

क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य			1क	
ख	**किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती**	1ख			
ग	**स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर**	1ग			
घ	**योग (1ख + 1ग)**	1घ			
ङ	**वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)**			1ङ	
च	**स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)**			1च	
छ	**1च का 30%**	1छ			
ज	**उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज**	1ज			

झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ – 1ज + 1ञ)	1ट	

2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)

संपत्ति में अंश की प्रतिशतता ☐

	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	*सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.*	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं] *(सही का निशान लगाएं)* ☑	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ *आधार सं.* (कृपया टिप्पण देखें)	किरायदार (रों) का पैन/टैन/ *आधार सं.* (कृपया टिप्पण देखें)
☐ यदि किराए पर हो	I		
☐ स्वयं के उपभोग में			
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	II		

क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे व-र्ा के लिए किराए पर दी गई है, तो *दोनों में* अधिकतम, यदि व-र्ा के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो *दोनों में* न्यूनतम)			2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख			
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग			
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ			
ङ	वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)			2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)			2च	
छ	1च का 30%	2छ			
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज			
झ	योग (2छ +2ज)			2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया			2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ – 2ज + 2ञ)			2ट	
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *			3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ा के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 2झ लें) दढझलें)			4	

टिप्पण ▶	कृपया अनुसूची एसपीअई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची पीटीआई में निर्दिष्ट पास थ्रू आय सम्मिलित करें।
टिप्पण ▶	किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है। किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।

अनुसूची पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त)				
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i अर्जन की लागत	खi		
		ii सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (i + ii + iii)	खiv		
	ग	अतिशे-ा (2क-खiv)	1ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	1घ		
	ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)			अ1ङ
2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है				
	क	i यदि विक्रीत आस्तियों में कोट न किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित बयौरे			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		ख कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके			

				ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				
			iii		कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
			i		अर्जन की लागत	खi			
			ii		सुधार की लागत	खii			
			iii		अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv		योग (i + ii + iii)	खiv			
		ग	अतिशेन (2कiii -खiv)			2ग			
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें)			2घ			
		ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)					2ङ	
	3	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची का 6-डीसीजी)						अ3	
	4	अल्पकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ4क+ अ4ख + अ4ग)						अ4	
		क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत आभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				अ4क		
		ख	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				अ4ख		
	5	कुल अल्पकालिक पंजी अभिलाभ (अ1ङ +अ2ङ +अ3 + अ4)						अ5	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ								
	1	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है							
		क	i		यदि विक्रीत आस्तियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें				
				क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
				ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके	iख			
				ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग			
			ii		कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii		कुल (iग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
			i		सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi			
			ii		सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii			
			iii		अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv		योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग	अतिशेन (1कiii-खiv)			1ग			
		घ	ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है					ख1घ	
	2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1)/112क के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना)							
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			2क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
			i		सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii		अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv		योग (खi + खii + खiii)	खiv			
		ग	अतिशेन (2क-खiv)			2ग			
		घ	ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1)/ 112क के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2ग)					आ2घ	
	3	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख3क+ ख3ख)						ख3	
		a	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय /क्षति के जरिए पास				आ3क		
		b	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				आ3ख		
	4	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (*आ*1घ + *आ*2घ + *आ*3)						आ4	

इ	"पूंजी अभिलाभ" शी-र्ा के अधीन प्रभार्य आय (अ 5+आ 4) (यदि हानि है तो आ4 कुछ नहीं के रूप में प्रवि-ट करें)	इ	

अनुसूची-अन्य स्त्रोत अन्य स्त्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
	क	लाभांश, सकल		1क	
	ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)		1ख	
	i	बचत बैंक से	खi		
	ii	निक्षपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii		
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv		
	v	अन्य	खv		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
	घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है(घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
	I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घi		
	Ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
	Iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
	Iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)	1 ङ		
	क्रं सं.	प्रकृति / राशि			
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोडी जा सकती हैं			
	ङ2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
2		विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)		2	
	क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय		2क	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य (गi से गxiv का योग)		2ग	
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गi		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गiii		
	iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गiv		
	v	धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गv		
	vi	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvi		
	vii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	गvii		
	viii	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुथान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गviii		
	ix	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या जीडीआर से ब्याज या लाभांश द्वारा आय	गix		
	x	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न)	गx		
	xi	धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य धारा 194ठग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	गxi		
	xii	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	गxii		
	xiii	धारा 115क(1)(अ)(iiकक) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	गxiii		
	xiv	धारा 115क(1)(अ)(iiकग) के तहत प्रभार्य धारा 194 थखक में संदर्भित लाभांश में वितरित आय	गxiv		
	घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय (ड्राप्डाउन उपलब्ध किया जाए)		2 घ	

	ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)										2 ङ	
		क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1क से 1ङ, 2क, 2ग & 2ङ जिसमें सम्मिलि है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		I											
		II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां *(उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)*												
		क	व्यय/ कटौतियां						3क				
		ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)						3ख				
		ग	धारा 57(1)के तहत ब्याज व्यय (यदि *आय* 1क में प्रस्तावित केवल तभी उपलब्ध)						3ग				
		घ	योग						3घ				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम											4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ											5	
6	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद)– 3 + 4 + 5) **(यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)**											6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)			7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय				
	क	प्राप्तियां	8क		
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख		
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग		
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ		
	ङ	अतिशे-ा (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 6xi के अंक प्रवि-टि करे)		8ङ	
9	"अन्य स्रोतों से आय" शी-र्ा के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)			9	
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी				

क्र.सं	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	लाभांश आय					
2	धारा2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल, द्युत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय					

अनुसूची ओए साधारण

		क्या कारबार और वृत्ति शी-र्ा के अधीन आपकी कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)		
	1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
	2	शाखाओं की संख्या ☐	2	
	3	पूर्ववर्-ा में लेखांकन की पद्धति ☑ (का निशान लगाएं) ☐ वाणिज्यिक ☐	3	
	4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☑ (का निशान लगाएं) ☐ हां	4	
	5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्-ा में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
	6	पूर्ववर्-ा में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे) ☐		
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)		
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☑ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ *नहीं* ☐ ऱ्दृ		
	घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

या वृत्ति	अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त कारबार एवं वृत्ति धारा 11(4क) में संदर्भित कारबार आय सहित		
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ	1	

		2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)	2			
		3	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दि-ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)	3			
		4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कङ में निर्दि-ट है	4			
		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
			क फर्म (फर्मों) से आय का अंश	5क			
			ख एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख			
			ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग			
			घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ			
		6	अतिशे-ा (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)			6	
		7	आय के अन्य शी-र्षों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7			
		8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है	8			
		9	योग (7 + 8)	9			
		10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10	
		11	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय	11			
		12	धारा 28 से 44घक के अधीन कोई अन्य मद या मदें	12			
		13	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मो से, जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	13			
		14	योग (10 +11+12+13)			14	
		15	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	15			
		16	कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है			16	
		17	योग (15 +16)			17	
		18	आय (14 – 17)			18	
		19	कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि				
			i धारा 44कघ	19i			
			ii धारा 44कघक	19ii			
			iii धारा 44कङ	19iii			
			iv योग (19i से 19iii)			19iv	
		20	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv)			20	
		21	नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशे-ा कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है)			क21	
	आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना					
		24	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			24	
		25	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			25	
		26	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			26	
		27	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26)			ख27	
	इ	विनिर्दि-ट कारबार से आय की संगणना				इ	
		28	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दि-ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)			28	
		29	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			29	
		30	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है)			30	
		31	विनिर्दि-ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30)			31	
		32	धारा 35कघ (1) के अनुसार कटौतियां			32	
		33	विनिर्दि-ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)			इ 33	
			धारा 35कघ की उपधारा (5) के सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट व्यवसाय को आच्छादित करता है				
	ई		धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना लाभ और अभिलाभ शी-र्ा के अधीन प्रभार्य आय (अ23+ आ27 +इ33)			ई34	
	उ	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना					
		35	आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [धारा 11 (4)देखें]			उ35	
		36	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय [ई34 - उ36]			उ36	

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

चालू वर्ष की हानि समायोजन

क्र. सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची-) (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-21)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 6)	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vii	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
viii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
ix	मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची पीटीआई धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि				
					कi	धारा 111क				
					कii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खi	धारा 112क				
					खii	112क से भिन्न धाराएं				
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा 10(23चखख)				

							के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.				i	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						कi	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	112क से भिन्न धाराएं				
					iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश					
					ख	अन्य					
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एस.आई विशे-ा दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)

विशे-ा दर

क्र. सं.	धारा	☑	विशे-ा दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एटीसीसी)	☐	15		
2	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एलटीसीजी)	☐	10		
3	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20		
4	112क (कारबार न्यास की साधार शेयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एलटीसीजी, जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है	☐	10		
5	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)	☐	30		
6	115 खखङ (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
7	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)	☐		(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
8	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओएस के 2ङ का भाग))	
9	15% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	15		
10	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	10		
11	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐	20		
12	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
			योग		

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय

1		न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य			1	
2		घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व			2	
3		आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)			3	
4	(i)	धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी	4i			
	(ii)	धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख के लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii			

	(iii)	धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफएमवी	4iii			
	(iv)	कुल (4i + 4ii + 4iii)			4iv	
5		उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व			5	
6		धारा 115नघ [3-(4iv-5] के अनुसार अभिवृद्धि आय			6	
7		अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर			7	
8		115नञ के अधीन संदेय ब्याज			8	
9		धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण			9	
10		अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज			10	
11		आय और संदत्त ब्याज			11	
12		संदाय/प्रत्यपर्णीय (10 - 11)			12	

13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुसूची- एफएसआई **भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे** (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर होने वाली आय

क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधो के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ)(ग)या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
				कुल					
2			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
				कुल					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर **भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी** (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान सं0	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल			
2	जहां डीटीएए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलबध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	जहां डीटीएए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ)				3

4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस व-र्ा के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है । यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजीए			4	हां/नहीं
	क	प्रतिदाय कर की रकम		ख	निर्धारण व-र्ा जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है	
टिप्पण ▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

आ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												

(ii)												

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है								
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति

यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें ;-

पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे

शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम

पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे

शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत

शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे

शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग - ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

		यदि धारा 12क/धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi) /10(23ग)(viक) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे (यथा लागू)		
	1	**समग्र निधि से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय** [अनुसूची फग (कiiङ +खiiङ)]	1	
	2	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (कi +खi)]	2	
	3	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v)और 10(23ग)(viक) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
	4	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-		
आय का विवरण	i	**उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोजन, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं** *[अनुसूची ईआर से क्रम संख्या च]*	4i	
	ii	**पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोजन को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं** *[अनुसूची ईसी से क्रम संख्या ख]*	4ii	
	iii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - **राजस्व/**पूंजीगत लेखा (ऋण का प्रतिसंदाय)	4iii	
	iv	धारा 11(1) के खंड (2) के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित की गई समझी गई रकम	4v	
		क यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है — 4ivक		
		ख यदि हां,प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) — 4ivख		
	V	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]	4v	
	Vi	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक् ऊपर (iv) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम, यदि धारा 11(2) और धारा11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक में की गई सभी शर्तें पूरी हो जाती है (अनुसूची 1 भरे)	4vi	
	vii	**धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम**	4vii	

		क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	4vii क			
		ख	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	4vii ख			
	Viii	कुल [4i +4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii]				4viii	
5	जोड़ें						
	i	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय				5i	
	ii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय				5ii	
	iii	आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है					
		क	अनुसूची वीसी के घiii पर गुप्त दान	5iii क			
		ख	धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अननुज्ञात (अनुसूची ञ के भाग ड समेंत)	5iii ख			
	iv	धारा 12(2) के अधीन प्रयार्य आय				5iv	
	V	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40(क)(iक) या 10(23ग) r.w.s 40(क)(iक)				5v	
	vi	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) r.w.s 40अ(3)/(3अ)				5vi	
	Vii	कुल [5i + 5ii+5iiiक +5iii ख +5ivा +5v + 5vi]				5vii	
6	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार]					6	
7	योग (1+2+3-4viii + 5vii + 6)					7	
8	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23क क क), 10(23ख) 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम					8	
9	धारा 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कङ), 10(23घ), 10(23घक), 10(23 चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम					9	
10	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट की उपयुक्त रकम (धारा 8 और धारा 9 से भिन्न)					10	
11	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय					11	
12 क	किसी राजनैतिक के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय					12 क	
12 ख	किसी चुनावी न्यास के मामले में धारा 13ख के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय					12 ख	

13	उपर्युक्त मद सं 7 से 12 का भाग नहीं बनने वाली आय					
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)		13i		
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं घ34 के अनुसार)		13ii		
	iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय				
		क	अल्पकालिक (अनुसूची गछ क5)	13iiiक		
		ख	दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख4) (शून्य भरें यदि हानि हो)	13iiiख		
		ग	कुल पूंजी अभिलाभ (13iiiक +13iiiख) (शून्य भरें यदि हानि हों)	13iiiग		
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)		13iv		
	v	कुल (13i + 13ii + 13iiic + 13iv)			13v	
14	सकल आय [7+11+13v-12क]				14	
15	चालू व-र्ा में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)				15	
16	कुल आय (14 - 15)				16	
17	धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशे-ा दर से आय पर प्रभार्य कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है				17	
18	कुल आय [16]				18	
19	ऐसी आय जिसे 18 में सम्मिलित किया गया और विशे-ा दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)				19	
20	दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृ-ि आय				20	
21	कुल आय (18 – 19 + 20) (यदि (18 - 19)उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)				21	
22	21 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी सी का घiii)				22	
23	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय				23	

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- आय मद के (21 – 22 – 23) पर सामान्य दरों पर कर	1क	
	ख	विशे-ा दरों पर कर *(अनुसूची एसआई का (ii) का योग)*	1ख	
	ग	भाग ख-कुल आय के 22 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर	1ग	

	घ	भाग ख-कुल आय के 23 पर अधिकतम (यदि जवाब हां है तो (यदि जवाब हां है तो यह सुनिश्चित)	1घ			
	ङ	कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 18-19 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभार्य है तो लागू हो)	1ङ			
	च	कुल आय पर कर संदाय **(1क + 1ख +1ग +1घ – 1ङ)**			1च	
2	अधिभार				3	
	i	अनुसूची घझ का 7(ii) का 25%	2i			
	ii	पर [1च -अनुसूची धझ का 7(ii)]	2ii			
	iii	कुल (i + ii)			2iii	
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च+ 2iii)				3	
4	सकल कर दायित्व (1च+2iii +3)				4	
5	कर राहत					
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	5ख			
	ग	कुल (5क+5ख)			5ग	
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)				6	
7	देय फीस और ब्याज					
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए **ब्याज** (धारा 234क)	7क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए **ब्याज** (धारा 234ख)	7ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए **ब्याज** (धारा 234ग)	7ग			
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234च)	7घ			
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)			7ङ	
8	कुल दायित्व (6+7ङ)				8	
9	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (*15क का स्तंभ 5)*	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (*15ख का स्तंभ 9)*	9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (*15ग का स्तंभ 9)*	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (*15क का स्तंभ 5)*	9घ			
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)			9ङ	
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो 12 प्रवि-ट करें अन्यथा 0 प्रवि-ट करें)				10	
11	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				11	
12	धारा 115नड़ के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)				12	
13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)					हां अथवा नहीं का चयन करें

संदत्त कर

बैंक खाता

क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत मैं धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)

क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजीटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातो को इंगित करें	उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे(प्रतिदाय के लिए एक खाते को ☑ करें)
i					
ii					

नोटः
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं

ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:

क्रं सं.	एसडब्ल्यूएफटी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आईबीएएन

14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय **(i)** भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। **(ii)** भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या **(iii)** भारत के बाहर किसी स्रोत से आहै? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)	☐ हां ☐ नहीं

15 अनुसूची-आयकर

क अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे

कर संदाय

क्रं.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण ▶ **भाग ख--टीटीआई की क्रम सं0 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रवि-ट करें ।**

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]

क्र.सं०	स्वंय/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पैन/ आधार	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान काटा गया टीडीएस)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			प्रस्तुत की गई तदनुरूपी रिसीट/ आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयंक के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय टीडीएस		आय टीडीएस	पैन/ आधार			
i													

टिप्पण भाग ख ▸ननझ के 9ख में स्तंभ *9* का योग प्रविष्ट करें

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोत पर संगृहीत कर

क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकांउट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रनीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर	(5) और (6)में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रनीत की गई रकम
			वित्तीय वर्ष जिसमें टीसीएस संग्रहित किया जाता है	अग्रनीत रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

टिप्पण ▶ कृपया भाग -ख टीटीआई के *9*ग में स्तंभ (*7*) योग प्रविष्ट करें

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ , सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह विवरणी अपनी ..... की हैसियत में दे रहा/दे रही हूं और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। मेरा स्थायी खाता संख्यांक ..... है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान **तारीख** **यहां हस्ताक्षर करें** ➔

फार्म आईटीआर- V	**भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म** [जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रानिक रूप से सत्यपित नहीं किए गए] (कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)	**निर्धारण वर्ष** **2021-22**

नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	

सत्यापन

मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है।

हस्ताक्षर →			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आईपी पता	

सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड

अनुदेश:

1. **कृपया विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आईटीआर-V को केवल साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500" को भेजें। वैकल्पिक रूप से आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके अथवा नेट बैंकिंग लोगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लोगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ईवीसी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं।**
2. **आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।**
3. **सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।**

भारतीय आयकर विवरणी पावती [जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए] **(कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)**	**निर्धारण वर्ष 2021-22**

स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति		फार्म संख्या	
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या	

कर योग्य आय तथा कर ब्यौरे	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	**1**	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो	**2**	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	**3**	
	देय निवल कर	**4**	
	देय ब्याज तथा फीस	**5**	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	**6**	
	अदा किया गया कर	**7**	
	(+)देय कर **/(-)**वापिस किए जाने योग्य **(6-7)**	**8**	
लाभांश वितरण कर ब्यौरे	देय लाभांश कर	**9**	
	देय ब्याज	**10**	
	देय कुल लाभांश कर तथा ब्याज	**11**	
	अदा किया गया कर	**12**	
	(+)देय कर **/(-)**वापिस किए जाने योग्य **(11-12)**	**13**	
मान्यता प्राप्त आय तथा कर ब्यौरे	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	**14**	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	**15**	
	धारा 115नड़ के अंतर्गत देय ब्याज	**16**	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	**17**	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	**18**	
	(+)देय कर **/(-)**वापिस किए जाने योग्य **(17-18)**	**19**	

दिनांक..... .....को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणी .....आईटी पते से ..... द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... .. पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग करके .....मोड के माध्यम से सृजित किया गया।

सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड

***** *जहां लागू नहीं है, काट दें*

इस पावती को सीपीसी, बैंगलूरू को नहीं भेजे .”

[अधिसूचना सं..21/2021 फा.सं.. 370142/5/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 212(अ) तारीख 26 मार्च, 2021 द्वारा किया गया था।